

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

संख्या-3

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii से ix
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के दायित्व	1.2	3
राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता	1.2.1	3
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	5
आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.2.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का स्वरूप-सारांश	1.2.4	5
लेखापरीक्षा द्वारा उजाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.3	6
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति	1.3.1	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन	1.3.2	7
स्वीकार मामलों की वसूली	1.3.2.1	7
शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही	1.3.2.2	8
लेखापरीक्षा योजना	1.4	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	9
वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	9
यह प्रतिवेदन	1.5.2	10
अध्याय-II : व्यापार कर/मूल्य संबन्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	11
प्राप्तियों पर रूझान	2.2	11
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	12
प्रति व्यापारी वैट लागत	2.4	12
कर निर्धारण हेतु बकाये मामले	2.5	13
संग्रह की लागत	2.6	13
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	2.7	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.8	14

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
व्यापार कर से मूल्य संवर्धित कर में पारगमन पर समीक्षा	2.9	15
अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	2.10	38
अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना	2.11	38
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण /अनारोपण	2.11.1	38
अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.11.2	40
भाड़ें को टर्नओवर में न जोड़ने के कारण कम कर का आरोपण	2.12	43
मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति	2.13	44
अनियमित कर मुक्ति	2.14	44
गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण	2.15	45
शासकीय विज्ञप्ति एवं विभागीय आदेश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न किया जाना	2.16	45
कर से अनियमित करमुक्ति का दिया जाना	2.17	46
फ्री बोनस स्कीम के अन्तर्गत कर से छूट	2.18	47
प्रवेश कर से छूट प्रदान करना	2.19	47
अध्याय-III : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	49
प्राप्तियों का रूझान	3.2	49
राजस्व बकाये का विश्लेषण	3.3	50
संग्रह की लागत	3.4	50
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	3.5	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.6	51
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.7	52
देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की हानि	3.8	52
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.9	53
टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति	3.10	53

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
अध्याय-IV : वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	55
संग्रह की लागत	4.2	55
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	4.3	55
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.4	56
परिवहन विभाग के कार्यकलाप पर समीक्षा	4.5	57
अध्याय-V : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	5.1	73
प्राप्तियों का रुझान	5.2	73
राजस्व बकाये का विश्लेषण	5.3	74
संग्रह की लागत	5.4	74
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	5.5	74
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.6	75
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	5.7	76
गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.8	76
लेखपत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.9	76
अध्याय-VI : अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	77
वन विभाग से प्राप्तियाँ पर समीक्षा	6.2	78
अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.3	91
निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार का अनारोपण	6.4	91
स्टोन बैलास्ट के संग्रह पर स्वामित्व-शुल्क की वसूली न किया जाना	6.5	92
शल्य-क्रिया शुल्क का कम आरोपण	6.6	92



प्राक्कथन

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा-16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणामों का प्रस्तुतिकरण है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2009-10 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन समीक्षाओं सहित 20 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/कम आरोपण आदि से सम्बन्धित ₹ 69.51 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2008-09 के ₹ 77,830.73 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2009-10 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 96,420.95 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 33,877.60 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 13,601.09 करोड़ को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 47,478.69 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 48,942.26 करोड़ (विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग ₹ 31,796.67 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 17,145.59 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री, व्यापार, आदि पर (₹ 20,825.18 करोड़) तथा विविध सामान्य सेवाओं पर (₹ 8,075.13 करोड़) क्रमशः कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य साधन थे।

(प्रस्तर-1.1)

31 दिसम्बर 2009 तक, जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में जून 2010 के अन्त तक 9,287 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 3,757.81 करोड़ धनराशि के 22,484 प्रस्तर लम्बित थे।

(प्रस्तर-1.2)

वर्ष 2009-10 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 1340 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 4,137 मामलों से सम्बन्धित ₹ 662.66 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम कर/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 660 मामलों में ₹ 12.78 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये गये जिनमें 34 मामलों में ₹ 14.92 लाख के वर्ष 2009-10 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 213 मामलों में ₹ 6.01 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर-1.5.1)

II. व्यापार कर/वैट

'व्यापार कर से वैट में पारगमन' पर निष्पादन समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- वैट लागू होने के तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी टैक्स आडिट अनुभाग कार्यशील नहीं है।

(प्रस्तर 2.9.9)

- ₹ एक करोड़ या इससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को वार्षिक सम्परीक्षित लेखे दाखिल करने होते हैं जबकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 40 लाख या उससे अधिक के टर्नओवर वाले सभी व्यापारी सम्परीक्षित वार्षिक लेखे रखते हैं।

(प्रस्तर 2.9.12.2)

- महत्वपूर्ण स्थानों पर दिन रात कार्यरत 83 जांच चौकियों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों को जाने वाले वाहनों के पारगमन पत्रों

(बहती) का जांच चौकियों के निकासी बिन्दु पर खारिज किया जाना सुनिश्चित नहीं होता है।

(प्रस्तर 2.9.13)

- दिनांक 1 जून 2009 से, राज्य विधायिका द्वारा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर लगा दिया गया। यद्यपि मूल्य संवर्धित कर (वैट) से सम्बन्धित श्वेतपत्र में विशेष रूप से अतिरिक्त कर न लगाये जाने के लिए हतोत्साहित किया गया था।

(प्रस्तर 2.9.15)

- व्यापारियों द्वारा जमा धनराशियों का सत्यापन अभी भी डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) द्वारा किया जा रहा है जबकि वैट नियमानुसार यह सत्यापन सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 2.9.17)

अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

- वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ कर का कम आरोपण/अनारोपण।

(प्रस्तर 2.11.1)

- ₹ 1.97 करोड़ अर्थदण्ड का अनारोपण तथा ब्याज का प्रभारित न किया जाना।

(प्रस्तर 2.11.2)

- विभाग द्वारा व्यापारी को अनियमित छूट दिये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ का वित्तीय लाभ।

(प्रस्तर 2.14)

III. राज्य आबकारी

- देशी मदिरा के 128 अनुज्ञापी, जिन्होंने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 27.92 लाख बल्क लीटर का कम उठान किया, द्वारा ₹ 1.31 करोड़ का अनुज्ञापन शुल्क देय था।

(प्रस्तर 3.8)

- टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन से शासन को ₹ 2.92 करोड़ की क्षति।

(प्रस्तर 3.10)

IV. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग के कार्यकलाप पर समीक्षा से प्रकाश में आया:

- अन्य प्रान्तों के यात्री वाहनों पर ₹ चार करोड़ अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.5.14)

- प्रक्रम वाहनों (स्टेज कैरिज) पर अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण के फलस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 4.5.15)

- वाहनों के लदान भार पर कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 2.18 करोड़ के कर तथा ₹ 54.53 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 4.5.16)

- स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.95 करोड़ के स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 5.77 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 4.5.17)

- दुर्घटना राहत निधि (दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 78.24 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की गयी।

(प्रस्तर 4.5.22)

V. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

- गलत मूल्यांकन के कारण 10 मामलों में ₹ 59.95 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण।

(प्रस्तर 5.8)

VI. अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्ति

वन विभाग से प्राप्ति पर समीक्षा से प्रकाश में आया:

- 45 से0मी0 से अधिक व्यास के यूकेलिप्टस के वृक्षों का आयतन गुणांक, पातन चक्र में परिवर्तन के साथ-साथ निर्धारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ की रायल्टी कम आरोपित हुई।

(प्रस्तर 6.2.10)

- वन तथा खनन विभागों में समन्वय की कमी के कारण ₹ 238.53 करोड़ के अभिवहन शुल्क की क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.2.12)

- जॉच चौकियों को हटाने/बन्द किये जाने के कारण ₹ 42.84 करोड़ की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 6.2.14)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों में प्रयुक्त खनिजों पर प्रभागों द्वारा अभिवहन शुल्क आरोपित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.62 करोड़ की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 6.2.16)

अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

- निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 92.54 लाख के राजस्व की वसूली न होना।

(प्रस्तर 6.4)

- चिकित्सा सेवा शुल्क का आरोपण पुनरीक्षित दर की आपेक्षा पुरानी दर से करने के फलस्वरूप ₹ 86.69 लाख का सेवा शुल्क कम आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 6.6)

अध्याय-1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व						
	▪ कर राजस्व	18,857.90	22,997.97	24,959.32	28,658.97	33,877.60
	▪ करेतर राजस्व	2,930.32	6,532.64	5,816.01	6,766.55	13,601.09
	योग	21,788.22	29,530.61	30,775.33	35,425-52	47,478.69
2. भारत सरकार से प्राप्तियाँ						
	▪ अनुदान विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	18,203.13	23,218.31	29,287.74	3,0905.72	31,796.67 ¹
	▪ सहायक अनुदान	5,357.80	7,850.60	8,609.40	11,499.49	17,145.59
	योग	23,560.93	31,068.91	37,897.14	42,405-21	48,942.26
3.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)	45,349.15	60,599.52	68,672.47	77,830.73	96,420.95
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	48	49	45	46	49

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 96,420.95 करोड़) का, विगत वर्ष के 46 प्रतिशत के विरुद्ध 49 प्रतिशत था। 2009-10 की प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

¹ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2009-10 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या-11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ- कर राजस्व' के अन्तर्गत-0020- निगम कर, 0021- आय और व्यय पर अन्य कर, 0028-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032- घन पर कर, 0037-सीमाकर, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 के सन्दर्भ में 2009-10 में वृद्धि (+) अथवा कमी(-)	2008-09 के सन्दर्भ में 2009-10 में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	वाणिज्य कर/वैट	11,284.67	13,278.82	15,023.10	17,482.05	20,825.18	3,343.13	19.12
2.	राज्य आबकारी	3,088.54	3,551.25	3,948.40	4,720.01	5,666.06	946.05	20.04
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,996.78	4,513.67	3,976.68	4,138.27	4,562.23	423.96	10.24
4.	वाहनों पर कर	965.20	1,017.60	1,145.84	1,124.66	1,403.50	278.84	24.79
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	182.26	193.92	206.65	216.72	272.16	55.44	25.58
6.	भू-राजस्व	108.69	187.52	392.53	549.28	663.14	113.86	20.73
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	114.76	131.57	137.50	140.58	193.34	52.76	37.53
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	105.19	108.70	109.65	266.49	271.05	4.56	1.71
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ, निगमित कर आदि)	11.81	14.92	18.97	20.91	20.94	0.03	0.14
	योग	18,857.90	22,997.97	24,959.32	28,658.97	33,877.60	5,218.63	18.21

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्न कारणों को सूचित किया:

वाणिज्य कर/वैट: राजस्व संग्रह में वृद्धि, वैट लागू होने के कारण बताया गया।

स्टाम्प तथा निबन्धन: वृद्धि का कारण सख्त एवं मासिक अनुश्रवण, स्टाम्प कानून एवं नियमों का प्रवर्तन, बकाया वादों का निस्तारण एवं स्टाम्प देयों की वसूली होना बताया गया।

वाहनों पर कर: नये पंजीकृत वाहनों में वृद्धि एवं अक्टूबर 2009 से नया टैक्सेसन एक्ट, 2009 लागू होने के कारण संग्रह में वृद्धि हुई।

अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (अगस्त 2010) के बाद भी सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2010)।

1.1.3 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 की अवधि में उगाहे गये करेत्तर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 के सन्दर्भ में 2009-10 में वृद्धि (+) अथवा कमी(-)	2008-09 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवायें	75.02	2,281.23	1,153.53	1,698.79	8075.13	6376.34	375.35
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	457.94	828.86	1,247.84	963.87	603.66	(-)360.21	(-)37.37
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	161.98	212.37	294.80	271.92	271.29	(-)0.63	(-)0.23
4.	मध्यम सिंचाई	53.78	143.29	319.43	260.91	240.21	(-)20.70	(-)7.93
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	934.81	814.96	1,217.62	1,080.61	2339.86	1259.25	116.53
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	99.96	99.71	146.10	145.04	147.19	2.15	1.48
7.	अलौह धातु उत्खनन एवं धातुमय उद्योग	354.60	345.34	395.20	427.31	604.97	177.66	41.58
8.	पुलिस	96.66	209.60	147.17	160.78	119.34	(-)41.44	(-)25.77
9.	क्राप हस्बेन्ड्री	40.84	33.96	51.03	49.64	37.60	(-)12.05	(-)24.25
10.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	14.23	15.77	19.73	34.06	39.69	5.63	16.53
11.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	39.75	62.67	72.11	618.84	94.35	(-)524.49	(-)84.75
12.	लघु सिंचाई	21.21	33.02	31.41	31.65	25.26	(-)6.39	(-)20.19
13.	सड़क एवं सेतु	55.36	58.83	74.24	60.69	87.10	26.41	43.52
14.	लोक निर्माण	36.09	26.59	34.03	57.52	72.80	15.28	26.56
15.	सहकारिता	6.27	7.02	6.33	26.46	16.39	(-)10.07	(-)38.06
16.	अन्य	481.82	1,359.42	605.44	878.46	826.25	(-)52.21	(-)5.94
	योग	2,930.32	6,532.64	5,816.01	6,766.55	13,601.09	6,834.54	101.00

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (अगस्त 2010) के बाद भी सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2010)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग के दायित्व

1.2.1 राज्य सरकार के हितों के संरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जवाबदेही लागू करने में विफलता

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जाँच और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्त लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (ए0जी0) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब तत्काल समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

31 दिसम्बर 2009 तक, जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2010 के अन्त तक 9,287 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 3,757.81 करोड़ धनराशि के 22,484 प्रस्तर लम्बित थे साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्रम सं०		2008	2009	2010
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,688	8,547	9,287
2.	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	21,049	20,222	22,484
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड में)	2,642.28	4,559.97	3,757.81

जून 2010 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं०	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	378	830	708.25	2003-04 से 2009-10
2.	व्यापार कर/वैट, प्रवेश कर सहित	2720	10,096	1801.98	1984-85 से 2009-10
3.	राज्य आबकारी	813	1316	376.37	1984-85 से 2009-10
4.	भू-राजस्व	558	785	25.93	1987-88 से 2009-10
5.	माल तथा यात्री वाहनों पर कर	946	2640	234.92	1984-85 से 2009-10
6.	लोक निर्माण	459	883	39.54	1986-87 से 2009-10
7.	सिंचाई	332	691	98.04	1984-85 से 2009-10
8.	गन्ने के क्रय पर कर	96	111	53.51	1985-86 से 2009-10
9.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2261	3844	191.81	1984-85 से 2009-10
10.	कृषि	182	309	22.22	1985-86 से 2009-10
11.	विद्युत शुल्क	172	210	166.15	1988-89 से 2009-10
12.	खादय एवं नागरिक आपूर्ति	105	179	19.77	1991-92 से 2009-10
13.	सहकारिता	93	114	5.97	1985-86 से 2009-10
14.	मनोरंजन कर	85	144	6.13	1997-98 से 2009-10
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	84	329	7.20	2002-03 से 2009-10
16.	कारागार	3	3	0.02	2002-03 से 2009-10
योग		9,287	22,484	3,757.81	

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी मात्रा में अनिर्णीत यह इंगित करता है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कमियाँ, त्रुटियाँ तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/लम्बित मांगों की वसूली में विफल रहने वाले

कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तारों के निराकरण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार ने विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तारों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

राजस्व शीर्ष	सम्पन्न बैठकों की संख्या	विचारार्थ प्रस्तारों की संख्या	निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	9	418	343	20.00
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2	19	19	0.07
राज्य आबकारी	2	82	31	5.36
माल तथा यात्री वाहनों पर कर	6	89	89	10.60
भू-राजस्व	3	42	41	0.26
योग	22	650	523	36.29

अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.2.3 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तारों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार के माध्यम से हमने अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तारों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित 17 आलेख प्रस्तर तथा तीन समीक्षाओं को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से नवम्बर 2006 तथा जून 2010 के मध्य भेजा गया था। विभागों के सचिवों ने दो समीक्षाओं के उत्तर भेजे हैं जबकि आलेख प्रस्तारों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। शासन/विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इनको इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तरवर्ती – सारांश

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तारों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों,

विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, सम्मिलित 28 प्रस्तरो/समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ तीन माह की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अक्टूबर 2010 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2004-05 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण नीचे वर्णित हैं:

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरो/समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरो/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरो/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2004-05	11 मार्च 2006	22	16	6
2005-06	25 जनवरी 2007	21	18	3
2006-07	15 फरवरी 2008	24	12	12
2007-08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008-09	28 जनवरी 2010	13	8	5
योग		96	68	28

1.2.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 2,593.50 करोड़ के अवनिर्धारण, करों के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों द्वारा अक्टूबर 2010 तक ₹ 972.13 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की गयीं और ₹ 17.73 करोड़ की वसूली की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामले तथा की गयी वसूली का विवरण नीचे वर्णित हैं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2004-05	449.74	30.39	2.11
2005-06	906.66	7.91	2.39
2006-07	92.18	1.74	0.37
2007-08	1,035.85	927.83	12.83
2008-09	109.07	4.26	0.03
योग	2,593.50	972.13	17.73

स्वीकार की गयी धनराशि की वसूली बहुत कम है (2 प्रतिशत)।

कम से कम स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरो पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तारों 1.3.1 से 1.3.2.2 में वाणिज्य कर विभाग के निष्पादन पर पिछले पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गयी है।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तारों और मार्च 2010 तक की उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक रहतिया			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम रहतिया		
	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि	नि.प्र.	प्रस्तर	धनराशि
2004-05	910	4634	1553.67	472	1724	64.68	165	565	10.26	1217	5793	1608.09
2005-06	1217	5793	1608.09	423	1530	79.40	150	336	3.43	1490	6987	1684.06
2006-07	1490	6987	1684.06	397	1457	72.17	--	--	--	1887	8444	1756.23
2007-08	1887	8444	1756.23	337	1260	46.73	394	1006	10.33	1830	8698	1792.63
2008-09	1830	8698	1792.63	419	1509	1191.18	363	1899	52.06	1886	8308	2931.75

वर्ष 2008-09 के दौरान पाँच आडिट कमेटी बैठकों में ₹ 1.07 करोड़ के 127 प्रस्तर निस्तारित किये गये और वर्ष 2009-10 के दौरान नौ आडिट कमेटी बैठकों में ₹ 20 करोड़ धनराशि के 343 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये तथा वसूली की धनराशि का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल प्रस्तारों की संख्या	प्रस्तारों की धनराशि	स्वीकार प्रस्तारों की संख्या	स्वीकार प्रस्तारों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल धनराशि	स्वीकार मामलों की वसूली का क्यूमिलेटिव स्थिति
2004-05	8	85.02	4	0.79	0.005	0.90
2005-06	7	101.85	2	0.71	--	0.86
2006-07	12	15.63	7	1.26	0.03	0.24
2007-08	7	1172.47	7	826.10	0.03	0.79
2008-09	5	9.23	2	0.73	--	0.03

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की प्रतिशतता और उनकी धनराशि बहुत कम है। वसूली गयी धनराशि स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि से बहुत कम है।

विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशि की वसूली सुनिश्चित करे, इसकी हम अनुसंशा करते हैं।

1.3.2.2 शासन/विभागों द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

हमारे द्वारा सम्पादित आलेख निष्पादन समीक्षाएँ, शासन/सम्बन्धित विभागों को सूचना के लिए एवं उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ अग्रसारित किये गये हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शासन/विभागों के विचार सम्मिलित किये गये एवं समापन विचार गोष्ठी में भी इन समीक्षाओं पर चर्चा की गयी।

पिछले पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वाणिज्य कर विभाग पर समीक्षाओं में मुख्य रूप से दिखाये गये मामलों पर की गयी सिफारिशें और विभाग द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर कृत कार्यवाही के विवरण सम्मिलित करते हुए नीचे दर्शाये गये हैं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	समीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	स्वीकार संस्तुतियों का विवरण
2004-05	व्यापार कर का संग्रह एवं कर निर्धारण	02	प्रतीक्षित
2005-06	व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नई इकाइयों का आस्थागन योजना	03	प्रतीक्षित
2008-09	वाणिज्य कर विभाग में बकाये का संग्रह	03	प्रतीक्षित

इन प्रतिवेदनों में दी गयी सिफारिशों पर विभाग ने अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पिछली रुझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन, शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामलें जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 3,163 इकाइयाँ लेखापरीक्षा हेतु शामिल करने योग्य थीं जिसमें से 1,487 इकाइयाँ योजना बद्ध की गईं और 1,340* इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कुल योजनाबद्ध इकाइयों का 89.85 प्रतिशत था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं०	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों की संख्या	योजनाबद्ध की गयी इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	बकाये इकाइयों	योजनाबद्ध इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रतिशतता
1.	व्यापार कर	1487	780	681+4	99	87.31
2.	राज्य आबकारी आसवनियों सहित	131	131	119	12	90.84
3.	मोटर वाहन कर	71	71	71	0	100.00
4.	सहकारिता	61	0	0	0	0
5.	कृषि	122	0	0	0	0
6.	भोजन एवं सिविल आपूर्तियाँ	61	0	0	0	0
7.	मनोरंजन कर	71	36	30	6	83.33
8.	लोक निर्माण विभाग	70	0	0	0	0
9.	स्टाम्प एवं पंजीयन	347	347	325	22	93.66
10.	भू-राजस्व	300	0	0	0	0
11.	सिंचाई	75	23	18	5	78.26
12.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	76	25	25	0	100.00
13.	विद्युत शुल्क	80	0	0	0	0
14.	कारागार	30	0	0	0	0
15.	ब्याज प्राप्तियाँ	32	11	4	7	36.36
16.	जिला खनन कार्यालय	36	0	0	0	0
17.	वानिकी एवं वन्य जीवन	113	63	63	0	100.00
	योग	3,163	1,487	1,336+4*	151	89.85

* चार ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) की लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 में की गयी लेकिन लेखापरीक्षा योजना में शामिल नहीं किया गया था।

उपरोक्त लेखापरीक्षा अनुपालन के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन के प्रभावोत्पादकता की जाँच के लिये तीन निष्पादन समीक्षाएँ भी ली गयी थीं।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2009-10 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहनों, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 1,340 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में 4,137 मामलों से सम्बन्धित ₹ 662.66 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम कर/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 660 मामलों में ₹ 12.78 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये गये जिनमें 34 मामलों में ₹ 14.92 लाख के वर्ष 2009-10 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 213 मामलों में ₹ 6.01 करोड़ की वसूली की गयी।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 17 आलेख प्रस्तर तथा व्यापार कर से वैट में पारगमन, परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली तथा वन विभाग से प्राप्तियाँ पर तीन समीक्षायें जो कर के अनारोपण/कम आरोपण, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित हैं जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 69.51 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 8.77 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 15.64 लाख की वसूली की गयी। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)। ये मामले अध्याय-II से VI में वर्णित किये गये हैं।

अध्याय-II व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या0क0) राज्य के राजस्व का मुख्य श्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात् इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य के कुल राजस्व (₹ 33,877.60 करोड़) के 61 प्रतिशत अंश (₹ 20,825.18 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण, 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0व्या0क0अधि0) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2007 (उ0प्र0 वैट अधि0) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0क0अधि0), के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

उ0प्र0व्या0क0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) (वाणिज्य कर अधिकारी) द्वारा कर निर्धारण किये जाने के पश्चात् शीघ्र उसके द्वारा व्यापारी को प्रपत्र-XI में सूचना के साथ कर निर्धारण आदेश की एक प्रति भी भेजी जायेगी ताकि व्यापारी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर निर्धारित कर जमा कर दे। माँगपत्र में व्यापारी द्वारा अदा किया गया कर तथा अवशेष बकाया प्रदर्शित रहता है। यदि कोई व्यापारी कर जमा करने में असफल रहता है तो इसकी वसूली उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0सु0अधि0) के प्रावधानों के अन्तर्गत भू राजस्व के बकाये की भाँति की जा सकेगी। क0नि0प्रा0 द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र (व0प्र0प0) उसमें निर्दिष्ट धनराशि की वसूली हेतु अग्रसारित किया जाता है। तथापि, अक्टूबर 1998 से 14 जिलों¹ में क0नि0प्रा0 को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में वसूली अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं तथा उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0सु0अधि0 के अधीन उन्हें वसूली का दायित्व सौंपा गया है। वे कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। वाणिज्य कर विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन क0वा0क0 में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उसकी सहायता के लिए एडीशनल कमिश्नर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0क0), डिप्टी कमिश्नर (डि0क0), असिस्टेन्ट कमिश्नर (अ0क0) एवं वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) हैं।


2.2 प्राप्तियों का रूझान

विगत वर्षों 2005-06 से 2009-10 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ समान अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका/ग्राफ में दर्शाया गया है:

¹ आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, नोएडा, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता कमी (-)/ आधिक्य (+)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियाँ में वाणिज्य कर/वैट प्राप्तियाँ का प्रतिशत
2005-06	10,524.00	11,284.67	(+) 760.67	(+) 7.23	45,349.15	24.88
2006-07	14,528.00	13,278.82	(-) 1,249.18	(-) 8.60	60,599.52	21.91
2007-08	17,314.10	15,023.10	(-) 2,291.00	(-) 13.23	68,672.47	21.88
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	77,830.73	22.46
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	(+) 0.40	96,420.95	21.60



2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को ₹ 16,453.30 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 11,462.56 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लम्बित राजस्व बकाये के विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	वर्ष के दौरान संग्रहित धनराशि	बकाया का अन्तिम रहतिया
2005-06	7,209.68	1,246.65	8,456.33
2006-07	8,456.33	6,113.24	14,569.19
2007-08	14,569.19	3,487.63	11,081.94
2008-09	11,081.94	4,307.91	15,389.85
2009-10	15,389.85	1,063.45	16,453.30

2.4 प्रति व्यापारी वैट लागत

प्रति व्यापारी मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) पर वर्ष 2008-09 से 2009-10 की अवधि में आयी लागत का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2008-09	5,79,900	17,482.05	272.54	4,699.78
2009-10	5,75,434	20,825.18	358.43	6,228.86

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाये मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में बताये गये वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त अतिरिक्त मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले
2005-06	5,30,722	5,33,349	10,64,071	5,22,962	5,41,109
2006-07	5,41,109	6,00,531	11,41,640	5,64,532	5,77,108 ²
2007-08	5,76,968	6,19,710	11,96,678	2,58,011	9,38,667
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386

2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह और सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2008-09 के दौरान सकल संग्रह पर हुये व्यय की प्रासंगिक अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत का प्रतिशतता	वर्ष 2008-09 के लिए अखिल भारतीय प्रतिशतता
वाणिज्य कर	2007-08	15,023.10	228.19	1.52	
	2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.88
	2009-10	20,825.18	358.43	1.72	

संग्रह लागत, अखिल भारतीय औसत से दो गुना संग्रह की लागत थी।

शासन को संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

2.7 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

पिछले पाँच वर्षों की अवधि (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन आँकड़ों को छोड़कर) तक, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर का अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर के कम आरोपण/निर्धारण से राजस्व हानि, गलत करमुक्ति, कर योग्य टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि तथा अन्य अनियमितताओं से ₹ 1644.16 करोड़ के कर के 7,044 मामले प्रकाश में लाये गये, जिसमें शासन/विभाग ने 419 मामलों में ₹ 8.93 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 1.32 करोड़ की राजस्व वसूली का संग्रह किया गया, विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

² 31 मार्च 2007 का अन्तिम बकाया, 1 अप्रैल 2007 के प्रारम्भिक बकाया से मिलान नहीं करता है।

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि	मामलों की सं०	धनराशि
2004-05	468	1,150	152.48	8	1.01	4	0.05
2005-06	411	1,169	161.29	47	1.45	6	0.11
2006-07	473	1,548	74.60	38	0.36	6	0.02
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
योग	2,432	7,044	1,644.16	419	8.93	258	1.32

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान वाणिज्य कर विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर का कम आरोपण/अनारोपण, माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की त्रुटिपूर्ण दर के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण, कर की अनियमित करमुक्ति, आदि के कारण ₹ 77.32 करोड़ के 2,711 मामले हमने पाये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

क्रम सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	व्यापार कर से वैट में पारगमन पर समीक्षा	01	—
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	917	25.95
3.	कर का कम आरोपण/अनारोपण	911	26.95
4.	कर से अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	539	16.40
5.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	68	0.71
6.	माल का गलत वर्गीकरण	52	1.10
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	29	0.47
8.	गणना की त्रुटि	39	0.65
9.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	09	0.31
10.	अन्य अनियमिततायें	146	4.78
योग		2,711	77.32

वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग ने 559 मामलों में ₹ 7.13 करोड़ के अवनियमितताएं एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 14.62 लाख के 33 मामले वर्ष 2009-10 में इंगित किये गये तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 112 मामलों में ₹ 35.99 लाख की वसूली की गयी, जिनमें से ₹ 1.97 लाख के 8 मामले वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

'व्यापार कर से वैट में पारगमन' पर एक समीक्षा तथा ₹ 15.95 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा के मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है।

2.9 व्यापार कर से मूल्य संवर्धित कर में पारगमन

प्रमुख अंश

- मूल्य संवर्धित कर (वैट) लागू होने के तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी टैक्स आडिट अनुभाग कार्यशील नहीं है।

(प्रस्तर 2.9.9)

- ₹ एक करोड़ या इससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को वार्षिक सम्परीक्षित लेखे दाखिल करने होते हैं जबकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 40 लाख या उससे अधिक के टर्नओवर वाले सभी व्यापारी सम्परीक्षित वार्षिक लेखे रखते हैं।

(प्रस्तर 2.9.12.2)

- महत्वपूर्ण स्थानों पर दिन रात कार्यरत 83 जांच चौकियों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों को जाने वाले वाहनों के पारगमन पत्रों (बहती) का जांच चौकियों के निकासी बिन्दु पर खारिज किया जाना सुनिश्चित नहीं होता है।

(प्रस्तर 2.9.13)

- दिनांक 1 जून 2009 से, राज्य विधायिका द्वारा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर लगा दिया गया। यद्यपि मूल्य संवर्धित कर (वैट) से सम्बन्धित श्वेतपत्र में विशेष रूप से अतिरिक्त कर न लगाये जाने के लिए हतोत्साहित किया गया था।

(प्रस्तर 2.9.15)

- व्यापारियों द्वारा जमा धनराशियों का सत्यापन अभी भी डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) द्वारा किया जा रहा है जबकि वैट नियमानुसार यह सत्यापन सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 2.9.17)

2.9.1 प्रस्तावना

राज्यों के बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्नताओं के निराकरण हेतु तथा राज्य स्तरीय मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू करने हेतु भारत सरकार, के वित्त मन्त्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकृत समिति (इम्पावर्ड कमेटी) का गठन किया। अधिकृत समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात राज्य स्तरीय मूल्य संवर्धित कर की आधारभूत संरचना स्पष्ट करते हुए जनवरी 2005 में एक श्वेतपत्र जारी किया। श्वेतपत्र द्वारा राज्यों को आधारभूत संरचना के अनुरूप अपने वैट अधिनियम में समुचित परिवर्तन करने की अनुमति दी गई। श्वेतपत्र में प्रमुख संरचनायें निम्नवत थीं:

- निर्माताओं एवं व्यापारियों को निर्माण या पुनर्बिक्रय में प्रयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करते हुए प्रयोज्यों के क्रय हेतु, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) प्रदान किया जायेगा।
- दूसरे वर्ष के अन्त तक असमायोजित एवं निर्यातों पर भी आई0टी0सी0 व्यापारियों को वापस कर दी जायेगी।
- राज्य स्तरीय मूल्य संवर्धित कर के अन्तर्गत व्यापारी अपनी करदेयता की घोषणा करते हुए स्व कर निर्धारण विवरणियां (रिटर्नस) प्रस्तुत करेंगे और ऐसे मामलों को छोड़कर जहां व्यापारी को लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षा हेतु नोटिस जारी की जा चुकी हो, इन स्व कर निर्धारण विवरणियों को ही कर निर्धारण माना जायेगा।

- कोई पूर्वाग्रह न हो अतः व्यापारियों की लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा का कर संग्रह शाखा से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
- यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि मूल्य संवर्धित कर श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी, राज्य द्वारा जैसा उचित समझा जाय, विद्यमान प्रोत्साहन योजनायें जारी रहेंगी।
- टर्नओवर टैक्स, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा विशेष अतिरिक्त कर जैसे करों को समाप्त कर दिया जायेगा।

निरसित अधिनियम (उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम) और मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के बीच प्रमुख अन्तर निम्नवत है:

उ०प्र० में वैट अधिनियम लागू होने के पूर्व वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर करारोपण, उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948 (यू०पी०टी०टी० ऐक्ट) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता था। नवम्बर 2007 में भारत के राष्ट्रपति ने उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर विधेयक 2007 लागू करने हेतु अनुमति प्रदान की। दिसम्बर 2007 में एक अध्यादेश के द्वारा विधेयक पेश किया गया और वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री से सम्बन्धित उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम को निरसित करते हुए दिनांक 01.01.2008 से मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (यू.पी. वैट ऐक्ट अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

- निरसित अधिनियम में चुनी हुई वस्तुओं के क्रय/विक्रय के प्रथम बिन्दु अथवा अंतिम बिन्दु पर करारोपण की व्यवस्था थी जबकि यू.पी. वैट अधिनियम में प्रत्येक स्तर पर मूल्य सम्वर्धन पर करारोपण का तथा खरीद पर आई.टी.सी. एवं कैसकेडिंग प्रभाव समाप्त करने की व्यवस्था है।
- निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी मामलों का कर निर्धारण आवश्यक था, जबकि यू.पी. वैट अधिनियम के अन्तर्गत स्व कर निर्धारण विवरणियां (रिटर्नर्स) पर ही ज्यादा भरोसा किया गया। निरसित अधिनियम में सीधे कर निर्धारण प्रावधान के स्थान पर यू.पी. वैट अधिनियम में अन्तिम कर निर्धारण से पूर्व चयनात्मक आधार पर व्यापारियों द्वारा रखे गये लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षा प्रावधान करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- उ०प्र० वैट अधिनियम लागू होने पर, निरसित अधिनियम के अन्तर्गत रियायत/करमुक्ति के विभिन्न घोषणा प्रपत्रों को समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत 82 धारायें एवं 5 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। उ०प्र० वैट अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने मार्च 2008 में उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियम-2008 अधिसूचित किया जिससे अधिनियम के लागू होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गयी।
- श्वेतपत्र में 4 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत एवं विशिष्ट श्रेणी की वस्तुओं पर 1 प्रतिशत कर की मूल दरें निर्धारित की गई हैं। श्वेतपत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची II में अधिकांश वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है। अनुसूची V में ऐसी वस्तुओं पर जो अन्यत्र उल्लिखित नहीं हैं, 12.5 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची III की वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की दर से कर देयता है। अनुसूची I में ऐसी वस्तुएं, जिस पर कोई कर आरोपणीय नहीं है, को सम्मिलित किया गया है। अनुसूची IV में 4 प्रतिशत से 32.5 प्रतिशत तक की सीमा तक कर की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.06.09 से घोषित वस्तुओं से भिन्न, अनुसूची II में उल्लिखित वस्तुओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची I से IV में निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त सभी

वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गई है। ये अतिरिक्त कर की दरें दिनांक 19.02.2010 से पुनरीक्षित हो गई है।



- निरसित अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को अलग से एक पंजीयन संख्या आबंटित थी। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम लागू होने पर व्यापारियों को 11 अंको की करदाता पहचान संख्या (टिन) आबंटित की गयी तथा यू0पी0 वैट ऐक्ट के अन्तर्गत नये व्यापारियों को भी टिन जारी किये गये हैं।
- उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत, अन्य उपबन्धों एवं निर्देशों के अधीन ऐसे व्यापारी, जिनका एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर ₹ पचास लाख से अधिक है, के लिए कर के स्थान पर एक मुश्त धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

हमने राज्य में व्यापार कर से वैट अधिनियम में पारगमन प्रक्रिया की समीक्षा की और प्रक्रिया में कई कमियों के साथ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में भी कई कमियां परिलक्षित हुई हैं।

2.9.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर-मनोरंजन कर) उ0प्र0, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियन्त्रण एवं निर्देशन, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के पास है जिनका मुख्यालय लखनऊ है।

वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात, विभाग को भौगोलिक रूप से 20 जोन में बाँटा गया है। प्रत्येक जोन एक एडिशनल कमिश्नर के अधीन है। पुनः ये जोन 45 परिक्षेत्रों में बाँटे गये हैं, और प्रत्येक परिक्षेत्र एक ज्वाइंट कमिश्नर के अधीन हैं। इन 45 परिक्षेत्रों में 436 खण्ड कार्यरत है और प्रत्येक खण्ड एक डिप्टी कमिश्नर के अधीन है।

2.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

वैट अधिनियम को लागू हुए दो वर्ष छः माह हो गये थे अतः यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने समीक्षा निष्पादित की कि क्या:

- व्यापार कर अधिनियम से वैट अधिनियम में पारगमन, कार्यान्वयन की योजना, कुशलतापूर्वक एवं समय पर पूर्ण कर ली गई थी;

- संगठनात्मक ढांचा पर्याप्त एवं प्रभावी हैं;
- वैट अधिनियम के प्रावधान और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम पर्याप्त हैं तथा उन्हें उचित रूप से इस प्रकार लागू किया गया है कि राज्य के राजस्व की सुरक्षा हो सके; तथा
- विभाग में आंतरिक नियन्त्रण विद्यमान है तथा वह राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी है।

2.9.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य एवं कार्यपद्धति

समीक्षा में वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि आच्छादित है। हमने समीक्षा दो चरणों में निष्पादित की। प्रथम चरण अगस्त 2009 से मार्च 2010 तक में, वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 के दौरान कर निर्धारण किये गये वादों की जाँच की। दूसरा चरण मई 2010 से अगस्त 2010 के मध्य हमने दिनांक 01.01.2008 से 31.03.2008 की अवधि में वैट अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों की जाँच की।

विभाग में 20 जोन के अन्तर्गत 45 परिक्षेत्र हैं। दूसरे राज्यों की सीमा से लगे हुए परिक्षेत्र एवं उच्च राजस्व उत्पादकता के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न तीन जोखिम क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया है। 70 प्रतिशत से अधिक राजस्व अंशदान करने वाले परिक्षेत्र को उच्च जोखिम क्षेत्र, 20 प्रतिशत से अधिक राजस्व का अंशदान करने वाले परिक्षेत्र को मध्यम जोखिम क्षेत्र और लगभग 10 प्रतिशत अंशदान करने वाले परिक्षेत्र को निम्न जोखिम क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षा के उद्देश्य से 440 कर निर्धारण कार्यालयों में से 105 कार्यालय चिन्हित किये गये। उच्च जोखिम क्षेत्र की 22 यूनिटें, मध्यम जोखिम क्षेत्र की 28 यूनिटें तथा निम्न जोखिम क्षेत्र की 11 यूनिटें थीं। सचल दल की दो यूनिटें भी जो प्रत्येक उच्च जोखिम एवं मध्यम जोखिम की थीं, समीक्षा हेतु चुनी गयीं। इसके अतिरिक्त 20 कर निर्धारण कार्यालयों एवं 20 सचल दल इकाइयों से सूचना एकत्रित की गयी। सम्पूर्ण राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जोन और राज्य के मध्य भाग से यूनिटों का चयन किया गया। वैट अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सूचनायें कमिश्नर वाणिज्य कर के कार्यालय एवं उ०प्र० सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग से संग्रहीत की गयी हैं।

2.9.5 अभिस्वीकृति

हम कर एवं निबंधन विभाग उ०प्र० एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचना तथा लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रदान करने के लिए दिये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त करते हैं। दिनांक 05 मई 2010 को विभाग के साथ प्रारम्भिक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति, क्षेत्र तथा मानदण्डों पर चर्चा की गई थी। विभाग का प्रतिनिधित्व एडिशनल कमिश्नर (विधि) द्वारा किया गया। समापन विचार गोष्ठी 26 नवम्बर 2010 को आयोजित की गयी जिसमें समीक्षा के आलेख पर चर्चा हुई। संयुक्त सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) द्वारा शासन का प्रतिनिधित्व किया गया। समीक्षा आलेख के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया समुचित स्थानों पर अनुवर्ती प्रस्तारों में सम्मिलित की गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.9.6 वित्तीय विश्लेषण

2.9.6.1 संग्रहीत राजस्व का मिलान

बजट मैनुअल के प्रस्तर 125 के अन्तर्गत विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) में दर्ज आंकड़ों से विभागीय लेखों की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है।

हमने, वाणिज्य कर विभाग (वा. क.वि.) के वार्षिक प्रतिवेदन में दर्शित आंकड़ों और वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष "0040-बिक्रीकर" के अन्तर्गत दर्शायी गई कुल प्राप्तियों के मध्य

भिन्नता देखी।

वाणिज्य कर विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन और वित्त लेखों में दिखाये गये आँकड़ों में भिन्नता निम्नवत दर्शाये गये हैं:

वर्ष	वाणिज्य कर विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार	वित्त लेखों के अनुसार	भिन्नता (₹ करोड़ में)
2004-05	9,226.37	8,888.31	338.06
2005-06	11,805.32	11,284.67	520.65
2006-07	14,053.85	13,278.82	775.03
2007-08	15,021.83	15,023.10	(-) 1.27
2008-09	17,403.68	17,482.05	(-)78.37

स्रोत— भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) उत्तर प्रदेश सरकार और वाणिज्य कर विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि अब पुनर्मिलान किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के अपनाने से लेखों के आँकड़ों के दो सेट के बीच अन्तर काफी कम हो गया है जबकि वास्तविकता यह है कि विभाग अभी भी आँकड़ों का मिलान वित्त लेखों से नहीं कर सका है।

2.9.6.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

वैट अधिनियम के पहले प्रत्येक वर्ष का (2004-05 से 2006-07) व्यापार कर संग्रह एवं वैट अधिनियम के बाद कर संग्रह (2007-08 से 2009-10) वृद्धि दर एवं कर संग्रह की औसत वृद्धि दर की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई तालिका में है:

(₹ करोड़ में)


वैट अधिनियम के पहले				वैट अधिनियम के बाद			
वर्ष	वास्तविक संग्रह	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि का प्रतिशत	तीन वर्षों की वृद्धि दर का औसत प्रतिशत	वर्ष	वास्तविक संग्रह	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि का प्रतिशत	तीन वर्षों की वृद्धि दर का औसत प्रतिशत
2004-05	8,888.31	15.67		2007-08 ³	15,023.10	13.14	
2005-06	11,284.67	26.96	20.10	2008-09	17,482.05	16.37	16.21
2006-07	13,278.82	17.67		2009-10	20,825.18	19.12	

स्रोत— भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) उत्तर प्रदेश सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान औसत वृद्धि दर 20.10 प्रतिशत थी, जबकि 2007-08 से 2009-10 तक यह वृद्धि 16.21 प्रतिशत थी। वैट के बाद की अवधि में औसत वृद्धि दर में 3.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2007-08 के वास्तविक संग्रह की वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2006-07 से कम था जबकि वैट दिनांक 01.01.2008 से लागू हुआ और इस नई व्यवस्था में प्रत्येक मूल्य वृद्धि पर कर की वसूली होनी थी। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान वास्तविक संग्रह की वृद्धि दर 20 प्रतिशत के नीचे थी जबकि वैट के पहले की अवधि अर्थात् वर्ष 2005-06 के दौरान यह 25 प्रतिशत से अधिक थी।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग दिसम्बर 2010 में बताया गया कि वैट लगने के पश्चात् जन सामान्य के उपयोग की लगभग 200 वस्तुओं को करमुक्त कर दिया गया। उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 8 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुएं वैट अधिनियम में 4 प्रतिशत के स्लैब में रख दी गयी। पुनश्च, केन्द्रीय बिक्री कर की दर में कमी अर्थात् 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथा अगले वर्ष 2 प्रतिशत हो जाने पर भी सकल राजस्व संग्रह पर प्रभाव पड़ा।

वर्षवार वास्तविक संग्रह



³ वैट अधिनियम के पूर्व एवं वैट अधिनियम के बाद की मिश्रित अवधि।

2.9.6.3 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधान के अनुसार बजट बनाने में बजट का उद्देश्य वास्तविक प्राप्तियों एवं अनुमानित प्राप्तियों में यथासंभव निकटता होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमान में न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की सभी मदें होनी चाहिए बल्कि पिछले वर्षों के संग्रह हेतु यदि कोई बकाया हो तो उसको भी सम्मिलित करना चाहिए।

उ0प्र0 वैट अधि0 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रह का लक्ष्य तथा वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए वास्तविक राजस्व संग्रह का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान	बजट अनुमान में पिछले वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत
2007-08 ⁴	17,314.10	19.18	15,023.10	13.14
2008-09	19,705.00	13.80	17,482.05	16.37
2009-10	20,741.27	5.26	20,825.18	19.12

(₹ करोड़ में)

स्रोत- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वैट अधिनियम के लागू होने के पश्चात जहाँ 2007-08 से 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का प्रतिशत बढ़ते हुए क्रम में है, वहीं उसी अवधि में बजट अनुमानों का प्रतिशत घटते हुए क्रम में है। वर्ष 2009-10 में बजट अनुमान की वृद्धि का प्रतिशत केवल 5.26 है। यह प्रदर्शित करता है कि बजट अनुमान बजट मैनुअल के प्रावधान के अनुसार पिछले वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों एवं बकायों पर आधारित नहीं थे।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इंगित किये जाने पर विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि वित्त विभाग से बजट अनुमान प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वृद्धि दर पर पुनरीक्षित बजट अनुमान बनाये जाते हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि के प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान की वृद्धि का प्रतिशत काफी कम है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान तैयार करते समय बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है शासन आवश्यक कदम उठा सकता है जिससे बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में लगभग एकरूपता हो।

2.9.7 तैयारियां एवं पारगमन प्रक्रिया

भारत सरकार द्वारा गठित राज्य के वित्त मन्त्रियों की अधिकृत समिति ने यह महसूस किया कि संघ के सभी राज्यों में राज्य स्तरीय वैट व्यवस्था एक साथ लागू हो, ताकि इसके लागू होने में तथा उद्योग एवं व्यापार में कोई समस्या न हो। श्वेत पत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू करने की, राज्यों की वास्तविक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति था।

अधिकांश राज्यों द्वारा वैट अधिनियम अप्रैल 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य लागू कर दिया गया था परन्तु उ0प्र0 में दिनांक 01 जनवरी 2008 से वैट अधिनियम लागू किया गया।

⁴ वैट के पहले एवं वैट के बाद की मिश्रित अवधि

2.9.7.1 व्यापारियों के मध्य वैट प्रणाली की जागरूकता पैदा करना

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम को लागू करने का दायित्व वाणिज्य कर विभाग को सौंपा गया था। विभाग ने व्यापारियों के बीच नये अधिनियम के प्रति जागरूकता लाने हेतु सम्मिलित प्रयास किया। यू0पी0 वैट में कानून की आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन पद्धति विकसित की गई और उ0प्र0 वैट कानून की रूपरेखा की पुस्तिकायें व्यापारियों के बीच मुफ्त में वितरित की गयी। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से भी वैट के बारे में जागरूकता पैदा की गयी।

2.9.7.2 विभाग का पुनर्गठन और कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति का विश्लेषण

हमने देखा कि वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात विभाग का ढांचा पुनर्गठित किया गया और जोन की संख्या, कर निर्धारण कार्यालयों और कर निर्धारण अधिकारियों की संख्या में क्रमशः 45 एवं 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन लिपिकीय कर्मचारियों और आंतरिक लेखापरीक्षा के ढाँचों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुनश्च, पदस्थ कर्मचारियों की स्थिति विगत चार वर्षों से स्वीकृत पदों से बहुत कम है। ये कमियाँ राजस्व उत्पादन में बाधक हो सकती हैं। वैट के पूर्व एवं वैट के पश्चात की अवधि में संगठनात्मक ढांचा, कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति का श्रेणी वार विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक एवं चालकों के केवल क्रमशः 49, 38 एवं 29 पद ही भरे जा सके। पुनश्च, विभिन्न श्रेणी के पदों की नियुक्ति हेतु शासन को अगस्त 2010 में पत्र भेजा गया है।

वाणिज्य कर विभाग में उचित मानवशक्ति की समीक्षा हेतु शासन आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर सकता है।

2.9.7.3 कर निर्धारण कार्यालयों के सापेक्ष व्यापारियों की संख्या में वृद्धि

अधिकृत समिति द्वारा जारी श्वेत पत्र में व्यापारियों द्वारा स्व निर्धारित कर की देयता का प्रावधान है। वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के अन्त में सभी मामलों के कर निर्धारण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और एक निश्चित प्रतिशत वादों की जाँच की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

वैट लागू होने के पहले एवं बाद प्रति कर निर्धारण कार्यालय में व्यापारियों की औसत संख्या की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	वैट अधिनियम के पहले			वर्ष	वैट अधिनियम के बाद		
	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण कार्यालयों की संख्या	प्रति कार्यालय व्यापारियों की औसत संख्या		व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण कार्यालयों की संख्या	प्रति कार्यालय व्यापारियों की औसत संख्या
2005-06	4,77,433	241	1,981	2008-09	5,79,900	441	1315
2006-07	5,14,350	241	2,134	2009-10	5,75,434	441	1305
2007-08 ⁵	5,15,826	241	2,140				

स्रोत- वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई सूचना।

⁵ वैट के पहले एवं वैट के बाद की मिश्रित अवधि

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जब सभी वादों का कर निर्धारण शत प्रतिशत होता था तब प्रति कर निर्धारण कार्यालयों⁶ में व्यापारियों की औसत संख्या 1,981 से 2,140 के बीच थी और वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात जब शत प्रतिशत कर निर्धारण करने के प्रावधान के स्थान पर केवल कुछ प्रतिशत ही कर निर्धारण का प्रावधान कर दिया गया है तो प्रति कर निर्धारण कार्यालयों में व्यापारियों की औसत संख्या कम होकर 1,305 से 1,315 के बीच हो गई है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वैट अधिनियम के लागू होने के पश्चात कर निर्धारण कार्यालयों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत 83 है जबकि वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात व्यापारियों की संख्या में मात्र 12.42 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि वैट लागू होने के पूर्व प्रति कर निर्धारण कार्यालय में 1000 व्यापारियों का होना आदर्श मानक था और वैट व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया। विभाग ने स्वीकार किया कि वैट के पहले की अवधि में प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालयों में व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक थी लेकिन कार्यालयों का पुनर्गठन नहीं किया गया।

विभाग में कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य कार्यों के समान वितरण हेतु एक निश्चित अन्तराल पर स्थिति की समीक्षा हेतु शासन विचार कर सकता है।

2.9.7.4 कर निर्धारण हेतु व्यापारियों का असमान आवंटन

हमने एक कर निर्धारण अधिकारी के प्रभार के अन्तर्गत व्यापारियों के कर निर्धारण व्यवस्था का सूक्ष्म परीक्षण किया। वर्ष 2009-10 के दौरान, 11 जिलों के 21 कार्यालयों⁷ से त्रिस्तरीय कर निर्धारण अधिकारियों के प्रभार के अन्तर्गत व्यापारियों के आवंटन की सूचना नीचे दी गई है:

व्यापारियों की संख्या की सीमा	प्रति डिप्टी कमिश्नर व्यापारियों की संख्या	प्रति असिस्टेंट कमिश्नर व्यापारियों की संख्या	प्रति वाणिज्य कर अधिकारी व्यापारियों की संख्या
0 से 100	10	शून्य	शून्य
101 से 200	9	शून्य	1
201 से 300	शून्य	6	2
301 से 400	1	6	5
401 से 500	1	7	3
501 एवं उससे अधिक	शून्य	2	10

हमने पाया कि कर निर्धारण के उद्देश्य से एक डिप्टी कमिश्नर, एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक वाणिज्य कर अधिकारी के प्रभार में व्यापारियों की कम से कम संख्या क्रमशः 49, 211 और 153 आबंटित थी जब कि कर निर्धारण हेतु व्यापारियों की अधिकतम संख्या क्रमशः 454, 790 और 1536 थी। हमने व्यापारियों के आबंटन के मापदण्ड का विश्लेषण किया और पाया कि एक जनपद का विभाजन भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक शहर में कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक कारोबार ज्यादा है और कुछ क्षेत्र गैर वाणिज्यिक हैं अर्थात् पूर्णतः आवासीय हैं। इस भौगोलिक बटवारे के कारण व्यापारियों की संख्या के आबंटन में भिन्नता आयी। पुनश्च, संख्या के सन्दर्भ में व्यापारियों के आबंटन हेतु विभाग द्वारा कोई मानक निश्चित नहीं

⁶ प्रत्येक कर निर्धारण कार्यालय में, तीन कर निर्धारण अधिकारी-डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी होते थे।

⁷ डि0कमि0-10 एवं 11 आगरा, डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-7 एवं 8 अलीगढ़, डि0कमि0-3 बरेली, डि0कमि0-12,17 एवं 21 कानपुर, डि0कमि0-16 लखनऊ, डि0कमि0-7 एवं सरधना मण्डल मेरठ, डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद, डि0कमि0-3 एवं 8 मुज्जफरनगर, डि0कमि0-10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0-5 एवं 6 वाराणसी।

किया गया। उपरोक्त तालिका में दिये गये आँकड़ों से यह पता चलता है कि कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य व्यापारियों के आंबटन से सम्बन्धित बटवारे के काम में एकरूकता नहीं थी।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा दिसम्बर 2010 में बताया गया कि वर्ष 2011-12 से ऐसी भिन्नताओं को दूर करने के लिए खण्डों का पुनर्गठन किया जायेगा।

कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य व्यापारियों के समान बटवारे हेतु शासन अधिक वैज्ञानिक ढंग से व्यापारियों के आंबटन पर विचार कर सकता है।

2.9.7.5 प्रति सत्यापन

उत्तर प्रदेश वैट विधि के अन्तर्गत क्रय/विक्रय करने वाले व्यापारियों के अभिलेखों का प्रति सत्यापन तथा दूसरे कराधान विभागों के उपलब्ध आँकड़ों का प्रति सत्यापन शासकीय राजस्व की समुचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के वाणिज्य कर कार्यालयों की सहायता हेतु एवं अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान हुये क्रय एवं विक्रय के अनुश्रवण हेतु राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत समिति ने अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के संग्रह हेतु एक टैक्स इनफार्मेशन एक्सचेन्ज सिस्टम (टिनएक्सिस) नामक वेबसाइट का सृजन किया।

हमने वाणिज्य कर कमिश्नर के कार्यालय के आई.टी. विंग से सूचनायें संग्रहीत की और पाया कि इस वेबसाइट से दूसरे प्रान्तों के फार्मों के सत्यापन के साथ व्यापारियों के आँकड़ों के सत्यापन हेतु 890 यूजर बनाये गये हैं। केन्द्रीय बिक्री कर के व्यापारियों की सूचना और केन्द्रीय बिक्री कर के फार्म से सम्बन्धित आधारभूत आँकड़े इस वेबसाइट में अपलोड एवं भेजे जाते हैं परन्तु वर्तमान में सभी

केन्द्रीय फार्म हस्तचालित विधि से जारी किये जा रहे हैं अतः ऐसे फार्मों के आँकड़ें टिनएक्सिस वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं। फलस्वरूप अंतर्प्रान्तीय सम्व्यवहार का सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि वर्तमान में हस्तचालित विधि से फार्म वितरित किये जा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही इसे ऑनलाइन पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस सुविधा के प्रारम्भ होने पर टिनएक्सिस के साथ डाटा बेस का आदान प्रदान भी संभव हो जायेगा।

इस व्यवस्था को अतिशीघ्र क्रियाशील बनाने हेतु शासन आवश्यक कदम उठा सकता है।

2.9.7.6 विभाग का कम्प्यूटरीकरण

वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के उत्तरार्द्ध से विभाग के कम्प्यूटरीकरण की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। परियोजना के परामर्शदाता, नेशनल इनफार्मेटिक सेन्टर (एन.आई.सी.) ने, वेब पर आधारित इन्टीग्रेटेड एप्लीकेशन साफ्टवेयर वाणिज्य कर आटोमेशन सिस्टम को विकसित किया जिसे व्यास की संज्ञा दी गयी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य, आन्तरिक कार्य कुशलता में सुधार, सम्भावित वास्तविक राजस्व का उपयोग, वर्तमान एप्लीकेशन में विस्तार एवं अपग्रेडेशन, जन साधारण एवं

अन्य शासकीय विभागों से सूचना का आदान प्रदान, सेवाओं को बदलने के लिये तकनीक का प्रयोग, वेब आधारित सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को प्रदान करके विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

सूचना एवं तकनीकी सिस्टम के लिए परियोजना की कुल लागत ₹ 45 करोड़ थी, और 31 मार्च 2012 तक इसे पूरा करना है। मार्च 2010 तक, ₹ 27.26 करोड़ का व्यय हो चुका है।

वर्तमान में व्यास एप्लीकेशन सिस्टम विकेन्द्रित रूप से 93 स्थानों पर परिचालित हो रहा है। मुख्यालय स्तर पर पांच अधिकारियों की एक केन्द्रीय टीम है, और तकनीकी पृष्ठभूमि के आधार वाले विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचना एवं तकनीकी अनुभाग का संचालन हो रहा है। 20 जोन हैं और प्रत्येक जोन, सिस्टम के परिचालन हेतु एक सूचना एवं तकनीकी ग्रुप के सदस्य एवं एक नोडल अधिकारी के अधीन है। 01 जनवरी, 2008 से व्यास सिस्टम माड्यूल के अन्तर्गत आन लाइन एप्लीकेशन कार्यशील है।

समीक्षा के दौरान हमने कम्प्यूटरीकरण कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित कमियां देखीं:

- यूजर्स को समय-समय पर अपने पासवर्ड को बदलने के लिए स्वचालित सतर्कता विधि विकसित नहीं की गयी है यद्यपि विवेकपूर्ण सुरक्षा नीति हेतु यह आवश्यक था।
- स्थानीय और केन्द्रीय सर्वर हेतु डाटा फ्लो अब भी व्यवस्थित नहीं है और आटोशेडिल्यूलिंग का भी अभी विकसित होना बाकी है। स्थानीय एवं केन्द्रीय सर्वर हेतु सहगामी डाटा बेस नहीं है। इस प्रकार राज्य स्तर पर विश्लेषणात्मक डाटा उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप एम0आई0एस0 और कन्ट्रोल से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट महत्वहीन है।
- ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) कानपुर के चार कार्यालयों⁸ और डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के छः कार्यालयों⁹ से एकत्रित सूचनाओं से स्पष्ट है कि कर की अनुमन्य छूट/रियायत के सम्बन्ध में कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं था यद्यपि व्यापारियों को कर में अनुमन्य छूट/रियायत से सम्बन्धित विश्वसनीय डाटा बेस तैयार करना विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अति आवश्यक है।
- पूर्व इतिहास के आधार पर संदिग्ध व्यापारियों के डेटा बेस तैयार नहीं किये गये।
- रिपोर्ट्स, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एम0आई0एस0 रिपोर्ट की आनलाइन एप्लीकेशन से सम्बन्धित माड्यूल विकसित तो हैं, परन्तु पूरी तरह संचालित नहीं हैं। कुछ विशेष एम0आई0एस0 रिपोर्ट्स हस्तचालित हैं।
- आपदा निराकरण और सिस्टम निरन्तरता योजना नहीं है और किसी सिस्टम आपदा की प्रबन्धन टीम एवं उसकी जिम्मेदारियां परिभाषित नहीं है।
- डाटा सेन्टर परिचालन, निष्पादन अनुश्रवण, सूचना सुरक्षा, आकस्मिक प्रबन्धन, अभिलेखीय यूजर प्रशासन की स्पष्ट नीति, प्रबन्ध योजना की भूमिका के लिए अभिलेखीय पद्धति एवं हार्डवेयर की स्पष्ट योजना का अभाव है।
- व्यास के अन्तर्गत डाटा बेस प्रबन्धन एन0आई0सी0 के द्वारा किया गया है परन्तु विभाग द्वारा अपने स्वयं के सूचना प्राद्यौगिकी पेशेवरों को रखने हेतु कोई लम्बी अवधि की नीति इस सम्बन्ध में कार्यान्वित नहीं की गई है।

⁸ ज्वा0कमि0 (कार्यपालक) सम्भाग-ए.बी.सी एवं डी कानपुर

⁹ डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-21 कानपुर, डि0कमि0-16 लखनऊ एवं डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद।

- कर निर्धारण कार्यालयों में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु कम्प्यूटर आपरेटरों की स्वीकृत संख्या में अब भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को इसे अक्टूबर 2010 में इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि कार्यालयों को पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश दिये गये हैं और आने वाले एप्लीकेशन साफ्टवेयर में इसे विकसित कर लिया जायेगा। स्थानीय से केन्द्रीय सर्वर में स्थानान्तरण के लिये साफ्टवेयर में आयात एवं निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। करमुक्ति एवं रियायत के डाटाबेस इसलिए नहीं बनाये गये क्योंकि 2012 के पश्चात् यह सुविधा लगभग नहीं रहेगी। सन्दिग्ध व्यापारियों का डाटाबेस बनाने का प्रावधान टैक्स आडिट मैनुअल में किया गया है। वर्तमान में बैकअप्स लिए जाते हैं और शीघ्र ही डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना प्रस्तावित है। वर्तमान में विभाग एन0आई0सी0 का डाटा सेन्टर उपयोग कर रहा है। भविष्य में विभाग स्टेट डाटा सेन्टर में चला जायेगा जिसकी अपनी सुपरिभाषित नीतियाँ हैं। जोन स्तर पर हार्डवेयर का रख रखाव किया जा रहा है। सिस्टम कन्ट्रोलर से कम्प्यूटर आपरेटर तक के अतिरिक्त पदों हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

रियायत एवं छूट को समाप्त करने एवं सन्दिग्ध व्यापारियों के डाटा बेस को तैयार करने के सम्बन्ध में विभाग के अभिमत से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि वैट अधिनियम के अन्तर्गत भी कर मुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है। अग्रेतर, टैक्स आडिट मैनुअल में सन्दिग्ध व्यापारियों के डाटा बेस को तैयार करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग के 93 स्थानीय साइटों पर डाटा सेन्टर परिचालन, निष्पादन अनुश्रवण, सूचना प्रतिरक्षा इत्यादि के लिये कोई अभिलेखीय पद्धति नहीं है।

स्थानीय एवं केन्द्रीय सरवर पर सहगामी डाटाबेस को निपुण मानवशक्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के लिए शासन आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर सकता है।

2.9.7.7 नियम पुस्तिकाओं (मैनुअल) की रचना

एक नियम पुस्तिका प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है एवं नये अधिनियम पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु एक सन्दर्भ बिन्दु प्रदान करती है। यह प्रभावी अनुश्रवण हेतु आंतरिक नियंत्रणों का ढांचा भी तैयार करती है।

यद्यपि वैट अधिनियम को लागू हुए दो वर्ष छः माह से भी अधिक हो गये हैं, फिर भी विभाग में वैट मैनुअल बनाया जाना शेष है। परिणामस्वरूप विभाग की विभिन्न शाखाओं में प्रभावी प्रयोग हेतु कोई सन्दर्भ

बिन्दु नहीं है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि टैक्स आडिट मैनुअल बना लिया गया है और विभाग के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित मैनुअल बनने की प्रक्रिया में है।

शासन, शीघ्र ही वाणिज्य कर विभाग के दिन प्रति दिन की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु कार्यप्रणाली को सम्मिलित करते हुये मैनुअल तैयार करने के लिये उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

2.9.7.8 प्रशिक्षण

हमने देखा कि वैट अधिनियम के लागू होने के पूर्व केवल जोन स्तर पर वादों के कर निर्धारण में लगे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही वैट से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थिति विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र पर भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था परन्तु उन्हें ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन वैट लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात् आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विभाग कोई विशेष उत्तर नहीं दे सका।

शासन नियमित अन्तराल पर आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है।

2.9.8 व्यापारियों का पंजीयन

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यापारी जिसका वार्षिक कर योग्य टर्नओवर ₹ 5 लाख तक हो, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित अवधि में पंजीयन प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। ऐसे व्यापारी जो निर्धारित सीमा के ऊपर हैं और व्यापार करते हुये पाये जाते हैं तो इनके पंजीयन के लिये अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसे व्यापारी जो निर्धारित सीमा से कम हैं इनके विश्लेषण के लिये कोई तंत्र है।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यापारियों एवं प्रति व्यापारी सापेक्ष प्राप्तियाँ नीचे तालिका में दी गई हैं:

अवधि	व्यापारियों की संख्या	पिछले वर्ष के सन्दर्भ में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	वास्तविक प्राप्तियाँ	पिछले वर्ष के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	(₹ लाख में) प्राप्तियाँ प्रति व्यापारी
2005-06	4,77,433	...	11,28,467	...	2.36
2006-07	5,14,350	7.73	13,27,882	17.67	2.58
2007-08	5,15,826	0.29	15,02,310	13.14	2.91
2008-09	5,79,900	12.42	17,48,205	16.37	3.01
2009-10	5,75,434	(-)0.77	20,82,518	19.12	3.61

स्रोत- वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि उ0प्र0 वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात् वैट प्राप्तियों एवं प्रति व्यापारी प्राप्तियों में वृद्धि थी परन्तु वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि तथा पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 में कमी का रुझान प्रदर्शित हो रहा है।

2.9.8.1 निर्धारित सीमा से ऊपर व्यापार करने वाले व्यापारियों का पंजीयन न किया जाना।

हमने असिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल) के 24 कार्यालयों¹⁰ से सूचनायें एकत्र की और पाया कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 के दौरान 7,777 व्यापारी, जिनके पास ₹ 96.45 करोड़ का सामान था, बिना वैध प्रपत्रों के पकड़े गये। ₹ 37.48 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड की राशि वसूल करके वाहन अवमुक्त कर दिये गये। सभी मामलों में यह देखा गया कि व्यापारी पंजीयन की निर्धारित सीमा से अधिक के थे और अपना व्यापार

¹⁰ असि0कमि0(स.द.)-1 से 9 आगरा, असि0कमि0(स.द.) बदायूँ, असि0कमि0(स.द.) आमटांडा, बरेली, असि0कमि0(स.द.)-ए एवं बी सम्भाग बरेली, असि0कमि0(स.द.) गाजीपुर, असि0कमि0(स.द.)-5 एवं 8 गाजियाबाद, असि0कमि0(स.द.)-1 से 5 नोएडा, असि0कमि0(स.द.) पीलीभीत, असि0कमि0(स.द.) शाहजहाँपुर, असि0कमि0(स.द.)-1 वाराणसी

कर रहे थे। अधिनियम में ऐसे व्यापारियों के अनिवार्य पंजीयन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर, 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा दिसम्बर 2010 में बताया गया कि वाणिज्य कर के कमिश्नर ने अपंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश¹¹ जारी कर दिये हैं परन्तु विभाग ऐसे व्यापारियों की संख्या नहीं बता सका जो परिपत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकृत हुए। हम महसूस करते हैं कि अधिनियम एवं नियम में अपंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन हेतु निश्चित प्रावधान बनाये जाने चाहिए।

सचल दलों द्वारा पकड़े गये अपंजीकृत व्यापारियों के अनिवार्य पंजीयन हेतु तथा ऐसे अपंजीकृत व्यापारी, जो पंजीयन की निर्धारित सीमा पार कर गये हों, उन्हें पंजीकृत करने तथा पहचान हेतु एक व्यवस्था विकसित करने पर शासन विचार कर सकता है।

2.9.8.2 ई-रिटर्न दाखिल करना

पिछले कर निर्धारण वर्ष के आधार पर एक व्यापारी जिसका सकल टर्न ओवर दिनांक 1 फरवरी 2009 से ₹ 1 करोड़ और 1 जुलाई 2009 से ₹ 2 करोड़ हो गया है अथवा ऐसी धनराशि जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये, विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर ऑन लाइन ई-रिटर्न दाखिल करेगा।

हमने कमिश्नर वाणिज्य कर के कार्यालय से सूचनायें संग्रहीत की और पाया कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान क्रमशः 3,09,366 और

1,62,875¹² ई-रिटर्नस दाखिल किये गये थे। हमने अक्टूबर 2010 में सुझाव दिया था कि शासन को सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ऑन-लाइन रिटर्न दाखिल करने हेतु प्रावधान बनाने चाहिए।

विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि परिपत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2010 के द्वारा सभी व्यापारियों के लिये ई-रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है चाहें उनका टर्नओवर कुछ भी हो।

2.9.9 टैक्स आडिट

टैक्स आडिट में आईटीसी के दावे सहित, व्यापारी के विभिन्न दावों के देयता के सत्यापन हेतु, व्यापारी द्वारा दाखिल कर रिटर्न अथवा दाखिल रिटर्न की विभागीय अधिकारियों द्वारा शुद्धता की जाँच हेतु उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 44, सपठित उ0प्र0 वैट नियम 43 के अन्तर्गत प्रावधान है

हमने 23 कर निर्धारण कार्यालयों¹³ से सूचनायें संग्रहीत की और पाया कि नये अधिनियम को लागू हुए दो वर्ष से अधिक हो गये और वर्ष 2007-08 (01.01.2008 से 31.03.2008) के वादों के

¹¹ परिपत्र सं0-1004 दिनांक 22 सितम्बर 2010

¹² एक करोड़ से बढ़कर कर मौद्रिक सीमा दो करोड़ होने के कारण व्यापारियों की संख्या कम हुई।

¹³ डि0कमि0-10 एवं 11 आगरा, डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-7 एवं 8 अलीगढ़, डि0कमि0-3 एवं असि0कमि0-3 बरेली, डि0मि0-4 गाजियाबाद, डि0कमि0-12,17 एवं 21 कानपुर, डि0कमि0-16 लखनऊ, डि0कमि0-7 एवं सरधना मण्डल मेरठ, डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद, डि0कमि0-3 एवं 8 मुज्जफरनगर, डि0कमि0-10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0-5 एवं 6 वाराणसी।

कर निर्धारण की कालबाधित तिथि 31 मार्च 2011 है परन्तु कोई टैक्स आडिट अनुभाग नहीं बनाया गया है। पुनश्च, इस सम्बन्ध में क0नि0प्रा0 के किसी भी कार्यालय में वाणिज्य कर के कमिश्नर के कार्यालय द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि प्रत्येक जोन में एक टैक्स आडिट इकाई की स्थापना की जा चुकी है। प्रत्येक जोन में एक ज्वाइंट कमिश्नर, दो डिप्टी कमिश्नर, तीन असिस्टेंट कमिश्नर तथा तीन वाणिज्य कर अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए इसे क्रियाशील बनाने हेतु केवल 17 ज्वाइंट कमिश्नर और तीन असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है। अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर शेष आडिट इकाईयों में अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

हम महसूस करते हैं टैक्स आडिट अनुभाग द्वारा मामलों की संवीक्षा में विलम्ब के परिणामस्वरूप यदि उस अवधि में कोई अतिरिक्त कर यदि देय हो, के अलावा ऐसे मामले, जो कालबाधित हो गये हों, की वसूली में विलम्ब हो सकता है। इस प्रकार टैक्स आडिट अनुभाग की शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु शासन विचार कर सकता है।

2.9.10 सेटेलमेन्ट कमीशन का गठन

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा 62 के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा विक्रय धन छिपाने अथवा अनधिकृत रूप से माल के आयात पर लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि के व्यवस्थापन हेतु एक सेटेलमेन्ट कमीशन होगा।

हमने वाणिज्य कर के कमिश्नर के कार्यालय से सूचनायें संग्रहीत की और देखा कि नये अधिनियम को लागू हुए दो वर्ष से ज्यादा का समय होने के

बाद भी सेटेलमेन्ट कमीशन का गठन नहीं किया गया, यद्यपि 15 सितम्बर 2008 को इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गयी।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि सेटेलमेन्ट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गयी है एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति शासन स्तर पर लम्बित है।

शीघ्र ही सेटेलमेन्ट कमीशन की कार्यशीलता पर शासन विचार कर सकता है।

2.9.11 स्व कर निर्धारण

कर निर्धारण के 23 कार्यालय¹⁴

उ0 प्र0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसने कर के टर्नओवर की वार्षिक विवरणी (रिटर्नस) निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में दाखिल कर दिया है, के सम्बन्ध में समझा जायेगा कि स्वीकृत रूप से देय कर के सम्बन्ध में उसका कर निर्धारण किया जा चुका है।

हमने पाया कि वर्ष 2007-08 (01.04.07 से 31.12.07) से सम्बन्धित मामले उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निस्तारित किये गये

¹⁴ डि0कमि0-10 एवं 11 आगरा, डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-7 एवं 8 अलीगढ़, डि0कमि0-3 एवं असि0कमि0-3 बरेली, डि0कमि0-4 एवं 9 गाजियाबाद, डि0कमि0-12,17 एवं 21 कानपुर, डि0कमि0-16 लखनऊ, डि0कमि0-7 एवं सरघना मण्डल मेरठ, डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद, डि0कमि0-3 एवं 8 मुज्जफरनगर, डि0कमि0-10 नोएडा एवं डि0कमि0-5 एवं 6 वाराणसी।

लेकिन 1.01.2008 से 31.3.2008 तक की अवधि के कोई भी मामले वैट अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किये गये। उपरोक्त वर्णित अवधि के लिये वैट अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारित होने वाले वादों के लिए कालबाधित सीमा 31.03.2011 है।

हमारा सुझाव है कि प्रत्येक माह में आनुपातिक रूप से कर निर्धारण वादों का निस्तारण होना चाहिए।

2.9.12 व्यवस्था में अपरोधक

2.9.12.1 अर्थदण्ड प्रावधान के प्रारूप में परिवर्तन

हमने उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने से सम्बन्धित इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 40 न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया और पाया कि 30 निर्णय¹⁵ व्यापारियों के पक्ष में दिये गये। विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार कुछ मामले, जो उच्चतम न्यायालय में अग्रेतर अपील के लिए उपयुक्त पाये जाते हैं, अपील के लिए राज्य प्रतिनिधि को सन्दर्भित कर दिये जाते हैं। परन्तु ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है।

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड के प्रावधानों से सम्बन्धित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वैट अधिनियम में अर्थदण्ड के प्रावधानों को पुनः लिपिबद्ध नहीं किया गया।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि मामले की विधि अनुभाग द्वारा जांच की जा रही है और यदि आवश्यक पाया गया तो अर्थदण्ड लगाये जाने वाले प्रावधान तदनुसार संशोधित कर दिये जायेंगे।

2.9.12.2 आयकर अधिनियम से भिन्नता

उ0 प्र0 वैट अधिनियम की धारा 21 (17) के प्रावधानों के अन्तर्गत, ₹ एक करोड़ से अधिक व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यापारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अपने लेखाओं का लेखापरीक्षण करायेगा। परन्तु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44-एबी में इसके लिए मौद्रिक सीमा ₹ 40 लाख रखी गई है।

हमने देखा कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 40 लाख से अधिक सकल टर्नओवर वाले व्यापारियों को लेखापरीक्षित लेखे रखने होते हैं परन्तु वे इसे वाणिज्य कर विभाग में

दाखिल करने हेतु बाध्य नहीं है क्योंकि वैट अधिनियम में इसकी मौद्रिक सीमा ₹ 1 करोड़ है। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में, आयकर अधिनियम के समान ही सीमा है। आयकर अधिनियम की तरह प्रावधानों के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ₹ 40 लाख से ₹ 1 करोड़ के मध्य सकल टर्नओवर वाले व्यापारी के मामलों में सूचनाओं का प्रतिसत्यापन नहीं कर सकते।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि वैट अधिनियम विस्तृत विचार विमर्श एवं व्यापक चर्चा के पश्चात् ही विधानमंडल द्वारा लागू किया गया है।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही ₹ 40 लाख की मौद्रिक सीमा तक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखाओं के लेखा परीक्षण हेतु शासन विचार कर सकता है।

¹⁵ विभाग के विरुद्ध न्यायिक निर्णयों के मामले परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

अन्य सम्बन्धित प्रकरण

2.9.13 जाँच बिन्दु

उ० प्र० वैट अधिनियम की धारा 49 और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच चौकियाँ और उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 45 के अधीन राज्य के अन्दर सचल दल इकाइयाँ, बिना उचित अभिलेखों के माल के संचालन की जाँच के लिए जिम्मेदार थीं। परन्तु जाँच चौकियों की समाप्ति के पश्चात सचल दल इकाइयाँ ही एक मात्र जाँच एजेन्सी हैं।

व्यापारियों द्वारा उ०प्र० में माल के अनियमित रूप से आयात करने एवं अपनी लेखा पुस्तकों में लेखांकन न करके जो करापवंचन किया जाता है उसे रोकने के विचार से पड़ोसी राज्यों की सीमा के साथ लगे हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच चौकियाँ स्थापित की गई थीं। वैट अधिनियम लागू

होने के समय भी जाँच चौकियों की यह व्यवस्था अस्तित्व में थी परन्तु वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान, दो चरणों में सभी 83 जाँच चौकियाँ समाप्त कर दी गईं। सचल दल की संख्या में वृद्धि करके 54 से 150 कर दी गई परन्तु वर्तमान में केवल 127 सचल दल इकाइयाँ ही क्रियाशील हैं।

वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक अनधिकृत माल के साथ प्रवेश हुए वाहनों और उनसे वसूल की गई जमानत/अर्थदण्ड की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
जाँच चौकियों की संख्या	78	81	81	83	83
वाहनों की संख्या जो अनधिकृत माल के साथ प्रवेश हुए	6,75,701	7,00,935	6,35,454	5,28,350	5,84,282
जमानत/अर्थदण्ड के रूप में वसूली गई धनराशि (₹ करोड़ में)	127.71	123.75	135.46	141.69	149.88

स्रोत- वाणिज्य कर विभाग का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में व्यापारी बिना वैध प्रपत्रों के राज्य में प्रवेश हुए और जब वे जाँच चौकियों पर पकड़े गये तो उन्होंने जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान कर दिया।

हमने पाया कि जब जाँच चौकियाँ दिन रात कार्यरत थीं, तब वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान, प्रत्येक वर्ष अनधिकृत प्रपत्रों के साथ प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या 5 लाख से 7 लाख के मध्य थी। हमने यह भी पाया कि वर्ष 2007-08 के दौरान जब महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ दिन रात कार्यरत थी, तो प्रान्त के अन्दर सचल दल इकाइयों ने 2282 अपंजीकृत व्यापारी पकड़े। यद्यपि जाँच चौकियों की समाप्ति के पश्चात, 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमशः 2,385 और 3,110 अपंजीकृत व्यापारी सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये। इन मामलों में वर्ष 2007-08 तथा 2009-10 के मध्य ₹ 96.46 करोड़ का माल पकड़ा गया और ₹ 37.48 करोड़ की राशि वसूल की गयी। अतः जाँच चौकियों के होने के पश्चात भी बिना वैध प्रपत्रों के व्यापारियों की जाँच चौकियों से होकर अन्दर आने की सम्भावना थी। इस प्रकार बिना प्रभावी विकल्प के जाँच चौकियों को समाप्त किये जाने से राज्य को राजस्व का काफी नुकसान हुआ।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार राज्य की सीमाओं पर स्थिति बैरियर को समाप्त करें। उक्त आदेश के आलोक में माल से लदे हुए वाहनों के सुगमता एवं सरलता से परिवहन के लिए जाँच चौकियों को दो चरणों में समाप्त किया गया तथा जाँच व्यवस्था को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से सचल दलों की संख्या में वृद्धि की गई। विभाग ने कोई ऐसी व्यवस्था प्रारम्भ नहीं की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उ0प्र0 से होकर दूसरे राज्यों को जाने वाले वाहन अपना समान उ0प्र0 में नहीं उतारते हैं।

जाँच चौकियों के समाप्त होने के पश्चात राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु तथा उ0प्र0 से होकर अन्य राज्य को जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे वाहन अपना सामान उ0प्र0 में नहीं उतार रहे हैं, शासन एक प्रभावी तंत्र बनाने पर विचार कर सकता है।

2.9.14 वैट लागू होने से क्षति प्रतिपूर्ति का दावा

वैट लागू होने के अनुक्रम में राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी थी तथा जून 2006 में इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

हमने वाणिज्य कर के कमिश्नर के कार्यालय से सूचनायें संग्रहीत की और पाया कि वर्ष 2007-08 (केवल फरवरी और मार्च 2008 माह के लिए) के लिये ₹ 189.96 करोड़ का दावा

बनाया गया और जिसे भारत सरकार के पास भेजा गया (07.01.2010)। प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अभी तक क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

2.9.15 अतिरिक्त कर का आरोपण

अधिकृत समिति द्वारा जारी श्वेत पत्र के प्रस्तर 2.16 में विशेष रूप से वैट व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य करों जैसे-टर्नओवर टैक्स, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और विशेष अतिरिक्त कर को न आरोपित करने हेतु हतोत्साहित किया गया था।

वैट व्यवस्था के अन्तर्गत बहु स्तरीय कर प्रणाली को समाप्त करने, कर ढाँचा को अधिक सरल करने तथा अन्य करों के न आरोपित किये जाने के प्रावधान का सुझाव दिया गया था। हमने देखा

कि वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात दिनांक 01.06.2009 से राज्य ने घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त अनुसूची II में वर्गीकृत वस्तुओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से और उ0प्र0 वैट अधिनियम की अनुसूची I से IV में वर्णित वस्तुओं के अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगा दिया। अतिरिक्त कर की ये दरें 19.02.2010 से पुनरीक्षित हो गयी। यह राज्य स्तरीय वैट की मूल परिकल्पना के विपरीत था।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि विधान मंडल के विचार-विमर्श के बाद ही अतिरिक्त कर लगाया गया है और दूसरे राज्यों ने भी अतिरिक्त कर लगाया है।

2.9.16 कर से छूट का अनुश्रवण

2.9.16.1 मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों को छूट

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-4 (ग) और उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-7 (ग) के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करती है तो, कर योग्य वस्तुओं पर छूट का प्रावधान है।

हमने देखा कि विज्ञप्ति सं. 1529, दिनांक 21 मई 1997, के अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन मेडिकल कालेजों को खोलने की अनुमति दिये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष तक ₹ दस करोड़ तथा

डेन्टल कालेजों को खोलने की अनुमति दिये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष तक ₹ पाँच करोड़ तक, अपरेट्स एवं इक्युपमेंट की खरीद पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा।

विशेष अधिसूचना जारी करके दी गई कर से छूट का अनुश्रवण नहीं हो रहा है क्योंकि मेडिकल एवं डेन्टल कालेज विभाग में पंजीकृत नहीं होते हैं। अतः निर्धारित समय के पश्चात एवं निश्चित धनराशि से अधिक की करमुक्त खरीद की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि अनुश्रवण का सुझाव विधि अनुभाग द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है और जब कभी भी आवश्यक होगा इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा परन्तु विभाग यह नहीं बता सका कि उपरोक्त वर्णित मामलों में दी गयी छूट का अनुश्रवण किस प्रकार किया जा रहा है।

दावों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिये शासन छूट से सम्बन्धित जारी प्रत्येक अधिसूचना में अनुश्रवण की विधि/व्यवस्था को समाहित करने पर विचार कर सकता है।

2.9.16.2 सशस्त्र बलों/प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों को वाहनों की बिक्री पर करमुक्ति

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग 2 के विज्ञप्ति सं० 2372 दिनांक 24.11.2009 के अनुसार पूरे राज्य में व्यक्तिगत उपयोग हेतु कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन एक व्यापारी द्वारा वाहनों की बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा परन्तु शर्त यह होगी कि पूरे वर्ष में यह छूट केवल 1200 चार पहिया वाहनों पर तथा 3000 दो पहिया वाहनों की बिक्री तक ही सीमित होगी। विभाग ने निर्धारित संख्या तक बिक्री में छूट हेतु व्यापारी द्वारा कोई विशेष रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान नहीं किया है।

हमने देखा कि भारतीय सशस्त्र बलों/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को उ०प्र० में स्थित विभिन्न कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट्स/मिलिट्री कैन्टीन द्वारा वाहनों की बिक्री की जाती है। उ०प्र० में इस प्रकार की कई कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट/मिलिट्री

कैन्टीन हैं। विज्ञप्ति में बिके हुए वाहनों की संख्या के अनुश्रवण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और न ही उसके अनुश्रवण हेतु कोई नोडल एजेन्सी ही विनिर्दिष्ट है। अनुश्रवण एजेंसी के अभाव में एक वर्ष में निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों की बिक्री से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि अनुश्रवण का सुझाव विधि अनुभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया है और जहां यह आवश्यक होगा, शासन को यह प्रस्ताव भेजा जायेगा परन्तु विभाग यह नहीं बता सका कि उपरोक्त वर्णित मामलों में छूट का अनुश्रवण किस प्रकार किया जा रहा है।

शासन द्वारा भारत के सशस्त्र बलों/प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों को वाहन बेचने वाले व्यापारियों के लिए एक अन्तराल में विशेष रिटर्न दाखिल करने हेतु विचार किया जा सकता है।

अनुपालन की कमियाँ

2.9.17 कोषागार द्वारा सत्यापन और भिन्नताओं का समाधान

कर निर्धारण के 24 कार्यालय¹⁶

निरसित उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948, के नियम 52 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा माह के दौरान जमा की गई धनराशियों के कोषागार अथवा उपकोषागार के अभिलेखों से सत्यापन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) या डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) जिम्मेदार थे परन्तु वैट नियमावली 2008 के नियम 14 के अन्तर्गत लेखाओं के सत्यापन के कार्य हेतु कर निर्धारण अधिकारी नामित किये गये हैं।

हमने देखा कि 30 प्रो वैट नियमावली को लागू हुए ढाई वर्ष से अधिक का समय हो चुका है फिर भी जमा राशियों का सत्यापन वैट के पहले स्थापित पुरानी व्यवस्था के अनुसार अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) द्वारा कराया जा रहा है न कि को नो प्रा

द्वारा।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव का परीक्षण किया जा रहा है।

शासन यह सुनिश्चित करने हेतु कि वैट पूर्व प्रभावी सत्यापन व्यवस्था समाप्त हो गयी है और जमा कर की राशि का पुनर्मिलान यू0पी0 वैट नियम के अनुसार किया जा रहा है, विचार कर सकता है।

2.9.18 कर निर्धारण वादों का निस्तारण

कर निर्धारण के 34 कार्यालय¹⁷

विभागीय मैनुअल (व्यापार कर अधिनियम पर आधारित) के नियम 232 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कर निर्धारण अधिकारियों के लिए कर निर्धारण आदेशों के निस्तारण का माहवार कोटा निश्चित किया गया था। नियमानुसार डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) प्रत्येक माह में 10 कर निर्धारण वादों का निस्तारण करेंगे।

हमने वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की सूचनायें संग्रहीत की और पाया कि मार्च के महीने में काफी संख्या में वाद निस्तारित

¹⁶ डि0कमि0-10 एवं 11 आगरा, डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-7 एवं 8 अलीगढ़, डि0कमि0-3 एवं असि0कमि0-3 बरेली, डि0कमि0-9 गाजियाबाद, डि0कमि0-12 एवं 21 कानपुर, डि0कमि0-15,16 एवं 17 लखनऊ, डि0कमि0-7 एवं सखना मण्डल मेरठ, डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद, डि0कमि0-3 एवं 8 मुज्जफरनगर, डि0कमि0-10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0-5 एवं 6 वाराणसी।

¹⁷ परिशिष्ट-III में विवरण दिया गया है।

किये गये थे। वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के दौरान माह मार्च में कुल निस्तारित वादों का प्रतिशत क्रमशः 79 और 77 प्रतिशत था।

हमने देखा कि वर्तमान समय में उपलब्ध मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार निश्चित मानक के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं किया गया। यह कोटा इसलिए निर्धारित किया गया था जिससे व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात निस्तारण किया जा सके।

वैट अधिनियम/नियम के अन्तर्गत कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु इस प्रकार का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। नया मैनुअल अभी नहीं बनाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश ही जारी किये गये हैं। यह स्पष्ट है कि ज्यादातर वाद वर्ष के अन्त में ही निस्तारित किये जाते हैं।

जब तक नया मैनुअल नहीं बना लिया जाता है तब तक उपलब्ध मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार वादों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिये शासन विचार कर सकता है।

2.9.19 अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्र

कर निर्धारण के 21 कार्यालय¹⁸

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत खरीद पर करारोपण से छूट/रियायत की अनुमति हेतु विभिन्न प्रकार के घोषणा प्रपत्र निर्धारित थे। वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात एक जनवरी 2008 से घोषणा प्रपत्रों पर आधारित छूट/रियायत की पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

हमने देखा कि वर्ष 2007-08 (01.04.07 से 31.12.07) के कर निर्धारण वाद अन्तिम रूप से पारित कर दिये गये हैं। ऐसे मामलों में जहाँ कर निर्धारण वादों का निस्तारण

हो चुका है और घोषणा प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये गये ऐसे प्रपत्रों को व्यापारियों से वापस ले लिया जाना चाहिए था जिससे इसका कोई दुरुपयोग न हो।

हमने देखा कि नई व्यवस्था को लागू हुए ढाई वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु विभाग द्वारा व्यापारियों से इन प्रपत्रों को वापस लेने हेतु कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये।

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि विधि अनुभाग द्वारा अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों को दुरुपयोग से बचाने के लिए पूर्व में जारी अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों के रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में शासन विचार कर सकता है।

¹⁸ डि0कमि0-10 एवं 11 आगरा, डि0कमि0-3 एवं 9 इलाहाबाद, डि0कमि0-7 एवं 8 अलीगढ़, डि0कमि0-3 बरेली, डि0कमि0-12,17 एवं 21 कानपुर, डि0कमि0-16 लखनऊ, डि0कमि0-7 एवं सस्धना मण्डल मेरठ, डि0कमि0-3 एवं 7 मुरादाबाद, डि0कमि0-3 एवं 8 मुज्जफरनगर, डि0कमि0-10 एवं 14 नोएडा एवं डि0कमि0-5 एवं 6 वाराणसी।

2.9.20 आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र

आन्तरिक लेखापरीक्षा कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्यतः परिभाषित है कि यह सभी नियंत्रणों पर नियन्त्रण है। आन्तरिक नियन्त्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करापवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध उचित सुरक्षा के लिए वित्तीय और प्रबन्धन की विश्वसनीय सूचना प्रणाली को सृजन करने में भी मदद करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग वाणिज्य कर के कमिश्नर के प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्यरत है और विभाग में 13 लेखापरीक्षा अधिकारियों, 40 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों और 51 लेखा परीक्षकों के पद स्वीकृत हैं। लेखापरीक्षा अधिकारी के सभी 13 पद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के नौ पद और लेखा परीक्षक के 46 पद खाली पड़े हुए हैं। केवल 60 प्रतिशत वरिष्ठ सम्प्रेक्षकों/सम्प्रेक्षकों द्वारा बिना लेखापरीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण के लेखापरीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि में आडिट प्लान के अनुसार कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ, कार्यालयों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गयी और ऐसे कार्यालयों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हो सकी नीचे दी गयी तालिका में दी गयी है:

वर्ष	आडिट प्लान के अनुसार लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	इकाइयाँ जिनकी लेखापरीक्षा की गयी	इकाइयाँ जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई
2005-06	613	360	253
2006-07	619	363	256
2007-08	619	520	99
2008-09	621	562	59
2009-10	618	432	186

हमारे द्वारा शासन तथा विभाग को अक्टूबर 2010 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि मानव शक्ति के अभाव में सभी लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं सम्पन्न की जा सकी और लेखापरीक्षक के खाली पदों को भरने के लिए विभिन्न अनुस्मारकों के साथ वर्ष 2002-03 और 2007-08 के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। वर्तमान में आयोग द्वारा केवल 10 लेखापरीक्षक उपलब्ध कराये गये हैं। जहाँ तक लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न है यह वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्रेणी-I द्वारा विभागीय परीक्षा को पास करने पर भरा जायेगा।

शासन यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाने पर विचार कर सकता है कि प्रत्येक संवर्ग के खाली पदों को भरा जाना सुनिश्चित हो जिससे आडिट प्लान में चिन्हित सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हो सके।

2.9.21 निष्कर्ष

हमने, व्यापार कर से वैट में पारगमन प्रक्रिया का विश्लेषण किया और देखा कि वैट अधिनियम में अपंजीकृत व्यापारियों को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण की व्यवस्था नहीं है। वैट अधिनियम को लागू हुए ढाई वर्ष से अधिक का समय हो गया है परन्तु विभाग में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

बिना वैध प्रपत्रों के व्यापारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए और बिना कोई प्रभावकारी विकल्प विकसित किये जाँच चौकियाँ समाप्त कर दी गयी। संभावित राजस्व के अन्य स्रोतों को पता लगाने के बजाय शासन ने अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था कर दी।

2.9.22 अनुशासनों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि:

- यह सुनिश्चित हो कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;
- वाणिज्य कर विभाग में व्यापक मानवशक्ति की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये;
- एक निश्चित अन्तराल पर विभाग के कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य कार्यों के समान वितरण की स्थिति की समीक्षा हो;
- कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य अधिक वैज्ञानिक ढंग से व्यापारियों की समान संख्या का आबंटन सुनिश्चित हो;
- व्यवस्था को शीघ्र ही क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाये;
- कुशल मानव शक्ति द्वारा स्थानीय एवं केन्द्रीय सरवर पर डाटाबेस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये;
- वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन हेतु मैनुअल बनाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित दिशा निर्देश निर्गत हो;
- नियमित अन्तराल पर आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाय;
- सचल दल द्वारा पकड़े गये अपंजीकृत व्यापारियों के अनिवार्य पंजीयन हेतु और ऐसे अपंजीकृत व्यापारी, जो निर्धारित सीमा पार कर गये हो उन्हें चिन्हित करके पंजीकृत कराने हेतु एक व्यवस्था हो;
- शीघ्र ही टैक्स आडिट अनुभाग की क्रियाशीलता सुनिश्चित हो;
- शीघ्र ही सेटेलमेन्ट कमीशन की क्रियाशीलता सुनिश्चित हो;
- आयकर अधिनियम के प्रावधान की तर्ज पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा कराने हेतु टर्नओवर की मौद्रिक सीमा ₹ 40 लाख हो;
- जाँच चौकियों के समाप्त हो जाने के पश्चात करापवंचक व्यापारियों की घुसपैठ रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित हो और एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश से होकर अन्य प्रान्तों को जाने वाले वाहनों ने उ0प्र0 में ही अपने माल को नहीं उतारा;
- वैट पूर्व की सत्यापन व्यवस्था को समाप्त करके उत्तर प्रदेश वैट नियमानुसार जमा कर के पुनर्मिलान का कार्य सुनिश्चित किया जाय;
- नये मैनुअल के तैयार होने तक, वर्तमान में उपलब्ध मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार ही मामलों का निस्तारण हो;
- अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों के रददीकरण से सम्बन्धित आदेश शीघ्रातिशीघ्र निर्गत हो जिससे अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग रोकना सुनिश्चित हो; और
- सभी संवर्गों में खाली पदों को भरने हेतु उचित कदम उठाया जाना सुनिश्चित हो जिससे आडिट प्लान में चिन्हित सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की जा सके।

2.10 अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की गलत दर लगाये जाने आदि के अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तारों में उल्लिखित हैं। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ न केवल ऐसी अनियमितताएं बल्कि लेखापरीक्षा कराये जाने के समय तक की छिपी हुई गलतियाँ प्रकाश में लाई जाती हैं। हमने महसूस किया कि शासन स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को मजबूती प्रदान किये जाने के साथ ही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की भी आवश्यकता है।

2.11 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को अमल में न लाया जाना

उ0प्र0व्या0क0अधि0 में प्रावधान है:

- (i) निर्धारित दरों के अनुसार कर एवं ब्याज के आरोपण तथा
- (ii) विभिन्न प्रकार के व्यापारिक अपराधों के लिए अर्थदण्ड के आरोपण;
- (iii) स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान की दशा में ब्याज को प्रभारित किये जाने;
- (iv) विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों के विषय में कर की रियायती दर/करमुक्ति

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय उपरोक्त प्रावधानों से कुछ को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ धनराशि के कर/अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ जो नीचे प्रस्तारों में उल्लिखित है:

2.11.1 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण तथा कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण/अनारोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर का प्रयोग नहीं किया तथा कुछ मामलों में माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतम दरें लागू की गयीं जिसके फलस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तारों में उल्लिखित है:

तीन वाणिज्य कर कार्यालय

के0बि0क0अधि0 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर, दोनों में से जो अधिक हो, कर आरोपणीय है।

2.11.1.1 हमने देखा कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान बिना फार्म 'सी' के ₹ 50.70 लाख के डी0ई0पी0बी0¹⁹, स्पिंट एवं अल्कोहल की केन्द्रीय बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर

2007 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय इन वस्तुओं पर आरोपणीय दरों के स्थान पर कम दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.78 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ जो नीचे तालिका में उल्लिखित है:

¹⁹ ड्यूटी इन्टाइटिलमेन्ट पास बुक

(₹ लाख में)

क्र. सं०	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय कर आरोपित (प्रतिशत में)	कर की अन्तरीय दर	कम आरोपित कर
1.	डि.कमि.-2 वा.क. बुलन्दशहर	2005-06 (सितम्बर 2007)	अल्कोहल	4.69	32.5 10	22.5	1.06
2.	डि.कमि.-1 वा.क. धामपुर	2006-07 (मार्च 2009)	अल्कोहल (स्प्रिट)	12.30	32.5 12	20.5	2.52
3.	डि.कमि.-1 वा.क. नोएडा	2005-06 (दिसम्बर 2008)	डी.ई.पी.वी.	13.69	10 0.5	9.5	1.30
		2006-07 (मार्च 2009)	-तदैव-	20.02	10 0.5	9.5	1.90
योग				50.70			6.78

हमने मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 2009 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

चार वाणिज्य कर कार्यालय

उ०प्र०व्या०क०अधि० की धारा 3क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएँ निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

2.11.1.2 हमने देखा कि 6 व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि में क०नि०प्रा० ने जनवरी 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 9.44 करोड़ के

माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.88 लाख का कम कर आरोपित हुआ। विवरण परिशिष्ट- IV में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को विभाग एवं शासन को सितम्बर 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2010 में बताया कि दो मामलों में (क्रम सं०-1 व 2) ₹ 3.59 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। इनकी वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में विभाग के तथा सभी मामलों में शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

14 वाणिज्य कर कार्यालय

हमने मई 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य देखा कि 14 व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2003-04 से 2006-07 की अवधि का क०नि०प्रा० ने फरवरी 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 14.87 करोड़ के माल की बिक्री पर गलत वर्गीकरण के कारण त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.99 लाख का कम कर आरोपित हुआ। विवरण परिशिष्ट- V में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा जुलाई 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2010 में बताया कि क्रम सं० 2 व 14 पर आरोपित कर सही है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं, प्रिजर्व फूड पर कर देयता निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर है न कि बिक्री के उपभोक्ता के बिन्दु पर, जैसा कि क०नि०आ० ने इन दो मामलों में आरोपित किया है।

आठ वाणिज्य कर कार्यालय

उ0प्र0व्या0क0अधि0 की धारा 3—एच सपडित कमिश्नर परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख से अधिक के कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। रा0वि0क0 इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन देय कर के अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।

2.11.1.3 हमने फरवरी 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य देखा कि आठ व्यापारियों के मामलों में जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक है, क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2005—06 एवं 2006—07 की अवधि का कर निर्धारण करते समय

(अक्टूबर 2007 तथा मार्च 2009) ₹ 44.52 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर राज्य विकास कर आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 44.53 लाख के राज्य विकास कर का अनारोपण हुआ जैसा कि विवरण परिशिष्ट—VI में उल्लिखित है।

हमने मामला अप्रैल 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.11.2 अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों के किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि अनियमित संव्यवहार, लेखा पुस्तकों के बाहर के संव्यवहार, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार। यद्यपि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ धनराशि के अर्थदण्ड का अनारोपण एवं ब्याज का प्रभारित न किया जाना हुआ जो कि नीचे प्रस्तारों में उल्लिखित है:

चार वाणिज्य कर कार्यालय

उ0प्र0 व्या0क0अधि0 की धारा—15 ए(1) (सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से सन्तुष्ट है कि एक व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझ कर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे व्यापारी को, कर के अतिरिक्त, इस प्रकार बचाये गये कर का न्यूनतम 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 प्रतिशत तक की धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

2.11.2.1 हमने अप्रैल 2008 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य देखा कि चार व्यापारियों ने वर्ष 1997—98 से 2006—07 के दौरान ₹ 6.79 करोड़ के बिक्रय टर्नओवर को छिपाया। क0नि0प्रा0 ने दिसम्बर 1999 तथा मार्च 2009 के मध्य उनके कर निर्धारण के समय ₹ 29.52 लाख कर तो आरोपित कर दिया परन्तु ₹ 14.76 लाख का न्यूनतम

अर्थदण्ड तक आरोपित नहीं किया। विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं०	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	वस्तु का नाम	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1.	डि.क.खण्ड-1 वा.क. भदोही	2000-01 (जुलाई 2003)	275.00	बुलेन यार्न	9.88	4.94
		2001-02 (जुलाई 2003)	310.00	—तदैव—	11.05	5.53
2.	ज्वा.कमि. (कारपोरेट) गाजियाबाद	2006-07 (मार्च 2009)	40.00	चाकलेट एवं कन्फेक्शनरी	3.60	1.80
3.	असि.कमि.(क.नि.) वा.क. हमीरपुर	1997-98 (दिसम्बर 1999)	15.00	बालू	1.13	0.56
		1998-1999 (दिसम्बर 1999)	16.63	—तदैव—	1.25	0.62
		1999-2000 (मार्च 2002)	2.88	—तदैव—	0.22	0.11
4.	डि.कमि.(क.नि.) -2 वा.क. मुरादाबाद	2004-05 (नवम्बर 2006)	19.89	जी.आई. पाइप्स, पाइप फिटिंग्स, सेनेटरी गुड्स	2.39	1.20
योग			679.40		29.52	14.76

हमारे द्वारा इन मामलों को विभाग एवं शासन को जून 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2009 एवं अगस्त 2010 के मध्य उत्तर में बताया कि दो मामले में (क्रम. सं.-2 व 4) ₹ तीन लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। इनकी वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों में विभाग के एवं सभी मामलों में शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

पाँच वाणिज्य कर कार्यालय

उ०प्र०व्या०क०अधि० 1948 की धारा-15ए (1)(ए) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने बिक्रय धन का विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहता है, तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा यदि कोई कर देय हो तो इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत, यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो, अदा करे।

2.11.2.2 हमने अक्टूबर 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य देखा कि 6 व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 की अवधि में ₹ 3.86 करोड़ का अपने स्वीकृत कर समय के अन्दर जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि 1 दिन से

लेकर 125 दिनों की थी। क०नि०प्रा० को फरवरी 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त व्यापारी को ₹ 38.59 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान के लिए निर्देशित करना अपेक्षित था। जिसे नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2009 में बताया कि एक मामले में (क्रम सं0-1) ₹ 3.03 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों में विभाग के तथा सभी मामलों में शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

12 वाणिज्य कर कार्यालय

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 8डी(6) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ठेकेदार को ऐसी संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में या कटौती करने के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व शासकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

2.11.2.3 हमने जनवरी 2008 तथा फरवरी 2010 के मध्य देखा कि 12 व्यापारियों ने वर्ष 1997-98 से वर्ष 2006-07 के दौरान ठेकेदारों को भुगतान करते समय ₹ 30.38 लाख

के कर की कटौती स्रोत पर की किन्तु उसे राजकीय कोषागार में निर्धारित समय पर जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि चार दिन से लेकर 244 दिनों की थी। क0नि0प्रा0 मार्च 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 60.76 लाख का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे। विवरण परिशिष्ट-VIII में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को मार्च 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य विभाग एवं शासन को इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2008 एवं अगस्त 2010 के मध्य बताया कि चार मामलों (क्रम सं0-2, 3, 6 एवं 8) में ₹ 14.41 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं शेष मामलों के सम्बन्ध में विभाग के एवं सभी मामलों में शासन के उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

10 वाणिज्य कर कार्यालय

के0बि0क0अधि0 की धारा 10 एवं 10ए के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से कोई ऐसा माल कर की रियायती दर पर प्रपत्र सी के आधार पर यह मिथ्या उद्घोषणा करते हुए क्रय करता है कि उक्त वस्तु के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित है या प्रान्त बाहर से रियायती दर से क्रय की गई वस्तु का प्रयोग उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न प्रकार से करता है, तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी यदि ठीक समझे तो अभियोजन के बदले वह ऐसी वस्तु की बिक्री पर देय कर का डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

2.11.2.4 हमने मार्च 2008 एवं अगस्त 2009 के मध्य देखा कि 10 व्यापारियों ने वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर पर ₹ 3.58 करोड़ के ऐसे माल का क्रय

किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 62.17 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किये। विवरण परिशिष्ट- IX में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को विभाग एवं शासन को अप्रैल 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने मार्च 2008 एवं अगस्त 2010 के मध्य बताया कि तीन मामलों में (क्रम० सं०-2,4 एवं 6) ₹ 16.34 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। इनकी वसूली की स्थिति तथा शेष मामलों के सम्बन्ध में विभाग के तथा सभी मामलों में शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

दो वाणिज्य कर कार्यालय²⁰

उ०प्र०व्या०क०अधि० की धारा 8(1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय था उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करे। यदि व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान देय जमा की तिथि तक नहीं किया जाता तो उक्त भुगतान पर देय तिथि तक दिनांक 11 अगस्त 2004 तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके पश्चात् 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

2.11.2.5 हमने जून 2009 तथा फरवरी 2010 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 के लिए जिनका कर निर्धारण मई 2008 तथा अक्टूबर 2008 के मध्य में किया गया

था, ₹ 30.90 लाख का स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया गया। विलम्ब की अवधि 1,107 से 1,828 दिनों की थी। स्वीकृत कर के बिलम्बित भुगतान पर ₹ 20.91 लाख का ब्याज प्रभारणीय था, जिसे क०नि०प्रा० द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा मामलों को विभाग एवं शासन को अगस्त 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने एक मामले में सितम्बर 2010 में ₹ 15.64 लाख धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया तथा समस्त धनराशि वसूल कर ली गयी है। दूसरे मामले में विभाग एवं शासन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.12 भाड़े को टर्नओवर में न जोड़ने के कारण कम कर का आरोपण

डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)-4, वा०क० नोएडा

उ०प्र०व्या०क०अधि० की धारा-2(i) के अन्तर्गत टर्नओवर का तात्पर्य उस सकल धनराशि से है जो अधिनियम के अन्तर्गत नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी द्वारा बिक्री के रूप में माल की आपूर्ति या वितरण किये जाने या उसकी बिक्री किये जाने से प्राप्त होता है। पुनश्च, यह न्यायिक रूप से निर्णीत²¹ हो चुका है कि भाड़ा टर्नओवर का भाग है यद्यपि इसे बिक्री देयक में अलग से दर्शाया गया हो।

हमने देखा (फरवरी 2009) कि एक व्यापारी ने वर्ष 2005-06 के दौरान अपनी बिक्री पर

²⁰ डि०कमि०-7 वा०क० लखनऊ एवं डि०कमि०-3 वा०क० मऊ

²¹ (1) सर्वश्री ब्लैक डायमंड बिजनेस एण्ड एना० बनाम दा वाणिज्य कर आफिसर, सेन्ट्रल सेक्शन, असेसमेंट विंग, कलकत्ता एण्ड अदर्स, एस०टी०आई० 1997 सर्वोच्च न्या०-272।

(2) सी०एस०टी० बनाम शिवालिक मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स एस०टी०आई०-2005 इला० उच्च न्या०-744, 2005 एन०टी०एन०(वाल्सू-28) 150 इला० उच्च न्याया०।

₹ 6.79 करोड़ भाड़े के रूप में प्रभारित किया। व्यापारी द्वारा प्रभारित भाड़ा उसके टर्नओवर का भाग था। क०नि०प्रा० ने मार्च 2008 में कर निर्धारण करते समय भाड़े को व्यापारी के बिक्री के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.91 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

हमने मामला विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.13 मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) वा०क० फतेहपुर

उ०प्र०व्या०क०अधि० की धारा-4ख के अन्तर्गत दिनांक 21 मई 1994 को जारी शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार किसी निर्माता को किसी माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य भंडार, मशीनरी, प्लान्ट, इक्विपमेन्ट, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, कम्पोनेन्ट, ईंधन या स्नेहक की खरीद पर विशेष राहत प्राप्त है।

हमने देखा कि एक व्यापारी को एम.एस. राड को एम.एस. वायर में ड्राइंग द्वारा परिवर्तित करने के लिए कच्चे माल की रियायती दर से खरीद के लिए

मान्यता प्रमाण पत्र में अधिकृत किया गया था। यह न्यायिक रूप से निर्णीत²² हो चुका है कि एम.एस. राड से एम.एस. वायर बनाना निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है। जब व्यापारी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया, तो वह वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान ₹ 6.80 करोड़ के कच्चे माल की रियायती दर से खरीद के लिए अधिकृत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति तथा ₹ 13.60 लाख की राजस्व की क्षति हुई।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जनवरी 2009 तथा अक्टूबर 2009 के मध्य इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जून 2009 में बताया कि वर्ष 2005-06 के लिए ₹ नौ लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की स्थिति एवं दूसरे वर्ष के लिए उत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2010)।

2.14 अनियमित कर मुक्ति

दो वाणिज्य कर कार्यालय²³

क०बि०क० अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत माल का अन्तर्प्रान्तीय बिक्री या क्रय एक राज्य से अन्य राज्य को माल के संचालन के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों (डाक्यूमेन्ट्स) के अन्तरण द्वारा फार्म-ई-1/सी के विरुद्ध किये जाने पर कर के भुगतान से मुक्त हैं। यदि कोई क्रय आदेश माल के स्वामित्व के स्थानान्तरण के पूर्व की तिथि का है तो छूट प्राप्त नहीं होगी।

हमने देखा कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 की अवधि में क०नि०प्रा० ने दो मामलों में सितम्बर 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते हुए ₹ 13 करोड़ के माल की फार्म-ई-1/सी के विरुद्ध बिक्री पर कर मुक्ति प्रदान किया जबकि क्रय आदेश माल के स्वामित्व के स्थानान्तरण के

²² सी०टी०टी० बनाम डीसेन्ट इण्डस्ट्रीज एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्या० 205: 2005 एन०टी०एन० (वालयूम 26) इला० उच्च न्या०

²³ डि०कमि० (क०नि०)-2 वा०क० इलाहाबाद एवं डि०कमि० (क०नि०)-2 वा०क० लखनऊ

पूर्व क्रय करने वालों के द्वारा जारी किये गये जैसा कि साक्ष्य के विवरण फार्म-सी में दिये गये हैं। क्योंकि क्रय आदेश माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण के पूर्व जारी किये गये थे, इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की अनियमित कर से करमुक्ति प्रदान की गई, जो अनुचित था।

हमने मामला विभाग एवं शासन को जून 2009 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.15 गणना की त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण

तीन वाणिज्य कर कार्यालय

हमने दिसम्बर 2004 तथा मार्च 2009 के मध्य तीन व्यापारियों के मामलों में देखा कि वर्ष 2002-03 तथा 2006-07 के वर्षों का कर निर्धारण किया गया, कर की गणना में त्रुटियाँ पायी गयीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37.28 लाख की धनराशि के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं०	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष (क०नि० आदेश का माह व वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर
1.	असि.कमि.-6 वा.क. इलाहाबाद	2002-03 (दिसम्बर 2004)	1,047.99	32.96	30.64	2.32
2.	डि.कमि.-9 वा. क. बरेली	2006-07 (मार्च 2009)	753.09	37.65	3.77	33.88
3.	डि.कमि.-20 वा. क. कानपुर	2002-03 (मार्च 2009)	12.00	1.20	0.12	1.08
योग			1,813.08			37.28

हमने मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 2006 तथा फरवरी 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.16 शासकीय विज्ञप्ति एवं विभागीय आदेश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न किया जाना

दो वाणिज्य कर कार्यालय

के०बि०क०अधिनियम की धारा-15(सी) सपठित कमिश्नर परिपत्र दिनांक 29 मार्च 2007 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य के भीतर क्रय किये गये धान पर कर आरोपित किया जाता है। यदि ऐसे धान से चावल का निर्माण किया जाता है तो केवल राज्य के भीतर बिक्री की दशा में चावल की बिक्री पर आरोपित कर में से क्रय कर घटा दिया जाता है और यदि इसकी अन्तर्राज्यीय वाणिज्य/व्यापार के दौरान बिक्री की जाती है तो ऐसा समायोजन अनुमन्य नहीं है।

हमने फरवरी 2009 तथा मई 2009 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान प्रान्त के भीतर से धान क्रय किया तथा इससे चावल का निर्माण किया। व्यापारियों ने धान से निर्मित चावल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की, जिस पर ₹ 9.07 लाख के क्रय

कर का भुगतान किया गया था। क०नि०प्रा० ने अक्टूबर 2005 तथा सितम्बर 2008 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 9.07 लाख क्रय कर का लाभ दिया जो कि अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.07 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुयी। विवरण नीचे उल्लिखित है:

(₹ लाख में)

क्र. सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (क०नि० आदेश का माह व वर्ष)	सकल केन्द्रीय बिक्री	आरोपित कर	क्रय कर की अनियमित करमुक्ति
1.	डि.कमि.(क.नि.) वा.क. कोसी कलॉ, मथुरा	1	2003-04 (अगस्त 2008)	107.56	4.30	2.38
			2005-06 (अगस्त 2008)	196.39	7.86	3.37
			2006-07 (सितम्बर 2008)	86.95	3.48	1.68
2.	डि.कमि.(क.नि.) वा.क. हरदोई	1	2003-05 (अक्टूबर 2005)	33.54	1.41	0.64
			2004-05 (अगस्त 2006)	50.74	2.03	1.00
योग				475.18	19.08	9.07

हमने मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल 2009 तथा अगस्त 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

2.17 कर से अनियमित करमुक्ति का दिया जाना

डि०कमि० खण्ड-16 आगरा के अन्तर्गत के०वी०आई०सी० की दो संस्थायें

विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2004 के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स गुड्स के निर्माण पर ही छूट अनुमन्य की गयी है। वोल्टेज स्टेबलाइजर, यू०पी०एस० तथा इनवर्टर इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में आते है न कि इलेक्ट्रानिक्स गुड्स की श्रेणी में।

हमने देखा (नवम्बर 2009) कि वर्ष 2006-07 के दौरान दो संस्थाओं द्वारा स्वनिर्मित इलेक्ट्रिकल गुड्स (वोल्टेज स्टेबलाइजर, यू०पी०एस० तथा इनवर्टर) ₹ एक करोड़

की बिक्री की गई। क०नि०प्रा० ने अक्टूबर 2008 में कर निर्धारण करते समय ₹ 11 लाख की छूट प्रदान की। जबकि ये संस्थायें (के०वी०आई०सी०) केवल इलेक्ट्रानिक्स गुड्स के बिनिर्माण हेतु ही अधिकृत की गयी थीं। अतः इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर प्रदान की गयी छूट अनियमित थी।

हमने मामला शासन तथा विभाग को दिसम्बर 2010 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2010)।

2.18 फ्री बोनस स्कीम के अन्तर्गत कर से छूट

डि०कमि० खण्ड-12 लखनऊ

विज्ञप्ति दिनांक 15 जनवरी 2000, के अनुसार दिनांक 17 जनवरी 2000 से 31 दिसम्बर 2007 तक, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एवं दवाओं पर निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर देयता थी।

हमने देखा (नवम्बर 2009) कि वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान एक व्यापारी ने 716 आयात घोषणा पत्रों से ₹ 78.28 करोड़ की दवाओं का आयात किया तथा उसमें से

₹ 2.91 करोड़ की दवायें बोनस के रूप में मुफ्त दी गयी। क०नि०प्रा० ने फरवरी 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पर ₹ 23.31 लाख की छूट प्रदान की। जबकि आयातित माल बिक्री करने योग्य था। दवाओं के मुफ्त में वितरण पर प्रदान की गयी छूट के फलस्वरूप ₹ 23.31 लाख के राजस्व की क्षति हुई। मुफ्त वितरण के प्रावधानों के अभाव में कर से छूट प्रदान किया जाना अनियमित था।

हमारे द्वारा इसे अक्टूबर 2010 में शासन तथा विभाग को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि व्यापारी ने खरीदकर्ता से दवाओं के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि वसूल नहीं की तथा बोनस के रूप में दी गयी मुफ्त दवाइयों कर योग्य नहीं है। हम विभाग के मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयात घोषणा पत्र से आयातित सभी वस्तुयें कर योग्य हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम तथा उसके नियमों में इस प्रकार की छूट देने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

2.19 प्रवेश कर से छूट प्रदान करना

डि० कमि० के एक कार्यालय²⁴ तथा ज्वा० कमि० गाजियाबाद (कारपोरेट) के अन्तर्गत दो व्यापारी

विज्ञप्ति संख्या 3238 दिनांक 01 नवम्बर 2001, के अनुसार शत प्रतिशत निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर से कैपिटल गुड्स, प्लाण्ट, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, कच्चा माल तथा उपभोज्य पदार्थ के प्रवेश कराने पर कोई कर न तो आरोपित किया जायेगा और न वसूल किया जायेगा। पुनश्च, 12 जनवरी 2005 द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 645 में यह स्पष्ट किया गया था कि शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाईयों को ईंधन/डीजल पर प्रवेश कर से ऐसी छूट अनुमन्य नहीं है।

हमने अक्टूबर 2009 तथा नवम्बर 2009 के मध्य देखा कि वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान दो व्यापारियों ने ₹ 193.09 करोड़ का डीजल तथा पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट आयात किया। क०नि०प्रा० द्वारा मार्च 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 9.65 करोड़ के प्रवेश कर की छूट प्रदान की गयी। विवरण नीचे दिया गया है:

²⁴ डि०कमि०-19 गाजियाबाद।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	वस्तु का नाम	वर्ष	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय कर की दर	कर का अनारोपण
1.	डि०कमि० खण्ड-19 गाजियाबाद	1	डीजल	2003-04 एवं 2004-05	11.50	5	0.57
2.	डि०कमि० खण्ड-19 गाजियाबाद / ज्वा०कमि० (कारपोरेट) गाजियाबाद	2	डीजल	2005-06 एवं 2006-07	4.32	5	0.22
			कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक	2006-07	177.27	5	8.86
योग					193.09		9.65

हमारे द्वारा अक्टूबर 2010 में शासन तथा विभाग को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने दिसम्बर 2010 में बताया कि दोनों मामलों की जाँच की जा रही है तथा यदि अनियमितता पायी जाती है तो नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-III राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर, अन्य मादक द्रव्यों जैसे चरस, भोंग एवं गांजा इत्यादि पर फीस आरोपित या आदेशित समपहरण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ० प्र० आ० अधि०) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत की जाती है। ये नियम मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद-बिक्री, अल्कोहल के आयात-निर्यात तथा उसके विधिविरुद्ध उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए राजस्व के रिसाव पर उचित नियंत्रण रखने हेतु बनाये गये हैं।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चीनी निर्माण के दौरान सह उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे०म०) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०) यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम एवं जिन निर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आसवनी से मानव उपभोग हेतु मदिरा का निर्गम या तो बन्ध-पत्र के अधिन बिना आबकारी अभिकर के या निर्धारित दर पर उसके अग्रिम भुगतान पर होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होती है। जिला अधिकारी (जि०आ०) जिला आबकारी अधिकारी (जि०आ०अ०) की सहायता से जिले में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी है।


अभिकर, फीस एवं अन्य करों के संग्रहण का संचालन एवं अनुश्रवण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है जिसका सहयोग मुख्यालय स्तर पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त (सं०आ०आ०), 10 उप आबकारी आयुक्त (उप आ०आ०) एवं छः सहायक आबकारी आयुक्त (स०आ०आ०) करते हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से प्रदेश को चार जोन एवं 17 प्रभागों में विभक्त किया गया है। राजस्व के निर्धारण, आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु जनपद स्तर पर जि०आ०अ०/स०आ०आ० तैनात हैं। आबकारी अभिकर के आरोपण एवं उद्ग्रहण हेतु आसवनी स्तर पर स०आ०आ०/प्रभावी अधिकारी (निरीक्षक) तैनात किए गए हैं।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

राज्य आबकारी विभाग की वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर/करेतर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

(₹ करोड. में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य(+) कमी(-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर/करेतर प्राप्तियों से प्रतिशत
2005-06	3,200.00	3,088.54	(-) 111.46	(-) 3.48	18,857.90	16.38
2006-07	3,650.00	3,551.25	(-) 98.75	(-) 2.71	22,997.97	15.44
2007-08	4,192.00	3,948.40	(-) 243.60	(-) 5.81	24,959.32	15.82
2008-09	5,040.00	4,720.01	(-) 319.99	(-) 6.35	28,658.97	16.47
2009-10	5,176.45	5,666.06	489.61	9.46	33,877.60	16.73



3.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को राजस्व बकाया ₹ 63.23 करोड़ था जिसमें से ₹ 58.41 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में राजस्व बकायों का विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित हैं।

(₹ करोड़. में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2005-06	58.41	0.30	59.86
2006-07	59.86	0.05	60.89
2007-08	60.89	0.06	61.39
2008-09	61.39	0.03	61.95
2009-10	61.95	0.07	63.23

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान बकाये की धनराशि में वृद्धि हो रही थी परन्तु विभाग द्वारा संग्रहीत धनराशि बहुत कम थी।

बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की हम संस्तुति करते हैं।

3.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2008-09 के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2008-09 के लिए संग्रह की लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
राज्य आबकारी	2007-08	3,948.40	44.57	1.13	
	2008-09	4,720.01	50.19	1.06	3.66
	2009-10	5,666.06	70.86	1.25	

हमने पाया कि राज्य आबकारी विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी कम है।

3.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन को छोड़कर), हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 676 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 1971.10 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 27 मामलों में शामिल ₹ 93 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 50.14 लाख वसूल किये जा चुके हैं। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2004-05	62	146	48.59	02	0.43	--	--
2005-06	66	126	470.67	04	0.24	04	0.24
2006-07	80	122	60.68	--	--	--	--
2007-08	82	93	18.80	12	0.06	12	0.06
2008-09	118	189	1,372.36	09	0.20	09	0.20
योग	408	676	1,971.10	27	0.93	25	0.50

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य आबकारी प्राप्तियों के 119 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 66.93 करोड़ के 140 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	46	57.16
2.	देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 का उठान न किया जाना	28	2.10
3.	अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना	15	0.43
4.	ब्याज का अनारोपण	11	0.15
5.	अन्य अनियमितताएं	40	7.09
	योग	140	66.93

वर्ष के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 20 मामलों में ₹ 94.79 लाख वसूल किये, जिसमें से ₹ 30,435 का एक मामला वर्ष 2009-10 के दौरान तथा शेष मामले विगत वर्षों में इंगित किये गये थे।

₹ 1.44 करोड़ के कुछ निदर्शी मामलों अनुवर्ती प्रस्तारों में वर्णित हैं।

3.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 का उठान न किया जाना, ब्याज का अनारोपण तथा टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन (ट्रान्जिट लॉस) के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरो में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

3.8 देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की हानि

नौ जिला आबकारी कार्यालय¹

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियमावली 2002 के नियम 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी, प्रत्येक अनुज्ञापन के लिए निर्धारित समस्त मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0 प्र0 मा0) को उठाने के लिए उत्तरदायी है। असफल होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से अनुज्ञापन शुल्क की बकाया अवशेष धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि वह प्रतिभूति की राशि की कमी को, या तो पुनः देशी मदिरा की उतनी मात्रा जिसमें समायोजित धनराशि के बराबर निहित शुल्क हो, उठाकर अथवा नकद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा पूरा करे। यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10 तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को पूरा करने में विफल रहता है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त समझा जायगा।

हमने देखा कि 128 अनुज्ञापियों ने वर्ष 2008-09 में देशी मदिरा की 29.18 लाख बल्क लीटर (ब0ली0) न्यू0प्र0मा0 के सापेक्ष 27.92 लाख ब0 ली0 का ही उठान किया। चूँकि वर्ष के दौरान देशी मदिरा की न्यू0 प्र0 मा0 की सम्पूर्ण मात्रा का उठान नहीं किया गया था, अतः 1.26 लाख ब0 ली0 मदिरा के कम उठान के लिए ₹ 1.31 करोड़ अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापियों से वसूल किया जाना था। विभाग ने प्रतिभूति से धनराशि के

समायोजन करने की अथवा लाइसेंस निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ आबकारी अभिकर की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है।

हमने मामला विभाग एवं शासन को मई 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

¹ इलाहाबाद, इटावा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, मथुरा, मऊ, ओरई तथा वाराणसी।

3.9 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

पाँच जिला आबकारी कार्यालय² एवं दो आसवनी³

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है।

हमने देखा कि वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 34.09 लाख आबकारी राजस्व 100 दिनों से लेकर 1,496 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया। फिर भी, विभाग ने विलम्बित भुगतान पर ₹ 12.85 लाख का ब्याज आरोपित नहीं किया।

हमने मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 2006 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

3.10 टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति

छः आसवनी⁴

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के नियम 8, 20 एवं 25 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित टोटल रिड्यूसिंग शुगर (टी0 आर0 एस0) पर कोई मार्गस्थ छीजन (ट्रान्जिट लास) अनुमन्य नहीं है। अग्रेत्तर, आबकारी आयुक्त के मई 1995 के परिपत्र के अनुसार टी0 आर0 एस0 में अधिकतम 12 प्रतिशत अनफरमेन्टेबिल शुगर विद्यमान होती है। इस प्रकार एक कुन्तल टी0 आर0 एस0 से 46.20 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल उत्पादित हो सकता है।

हमने देखा कि माह सितम्बर 2007 से नवम्बर 2009 के दौरान शीरे के परिवहन में टी0 आर0 एस0 की हानि हुई थी, जो कि चीनी मिलों द्वारा जारी परिवहन पास में दर्शाये गये टी0 आर0 एस0 की तुलना में 0.18 से 3.70 प्रतिशत के मध्य थी। आसवनियों को 1,636.24 कुन्तल टी0आर0एस0 कम प्राप्त हुआ, जिससे 75,593.22 ए0एल0 अल्कोहल का उत्पादन

हो सकता था जिसमें ₹ 2.92 करोड़ का आबकारी राजस्व सन्निहित था जैसा कि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है।

हमने मामला विभाग एवं शासन को अगस्त 2009 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

² झाँसी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मऊ तथा रायबरेली।

³ एन0आई0सी0एल0 राजा का सहसपुर, मुरादाबाद एवं रामपुर आसवनी।

⁴ बजाज हिन्दुस्तान लि0, गांगनौली, सहारनपुर, कोआपरेटिव शुगर मिल्स आसवनी, अनूपशहर, बुलन्दशहर, के0एम0शुगर मिल्स आसवनी, फँजाबाद, नारंग आसवनी, गोण्डा, सिम्भावली, गाजियाबाद तथा सर शादी लाल आसवनी, मुजफ्फरनगर।

अध्याय-IV वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0 या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान किया गया है।

करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 70 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) द्वारा की जाती है।

4.2 संग्रह की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2008-09 के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2008-09 के लिए संग्रह की लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	2007-08	1,255.49	36.15	2.87	
	2008-09	1,391.15	50.43	3.62	2.93
	2009-10	1,674.55	69.16	4.13	

परिवहन विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

विभाग को संग्रह की लागत को कम करने हेतु समुचित उपाय करने की आवश्यकता है।

4.3 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन को छोड़कर), हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,240 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 308.82 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 273 मामलों में शामिल ₹ 29.83 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की तथा ₹ 3.55 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2004-05	39	190	61.57	115	25.15	114	0.61
2005-06	41	250	20.45	3	1.73	1	0.02
2006-07	48	243	14.01	3	0.21	3	0.18
2007-08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008-09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
योग	261	1,240	308.82	273	29.83	270	3.55

4.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग की प्राप्तियों से सम्बन्धित वर्ष 2009-10 के दौरान 71 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 26.46 करोड़ के 245 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	परिवहन विभाग के कार्यकलाप (एक समीक्षा)	1	15.60
2.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	127	8.00
3.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	8	0.44
4.	माल कर का कम आरोपण	9	0.40
5.	अन्य अनियमिततायें	100	2.02
	योग	245	26.46

वर्ष के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 40 मामलों में ₹ 84.93 लाख स्वीकार किये जो विगत वर्षों में इंगित किये गये थे। यह धनराशि वसूल की जा चुकी है।

परिवहन विभाग के कार्यकलाप पर एक समीक्षा जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 15.60 करोड़ है, अनुवर्ती प्रस्तारों में उल्लिखित है।

4.5 परिवहन विभाग के कार्यकलाप

मुख्य अंश

- अन्य प्रान्तों के यात्री वाहनों पर ₹ चार करोड़ अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।
(प्रस्तर 4.5.14)
- प्रक्रम वाहनों (स्टेज कैरिज) पर अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण के फलस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ की कम वसूली हुई।
(प्रस्तर 4.5.15)
- वाहनों के लदान भार पर कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 2.18 करोड़ के कर तथा ₹ 54.53 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।
(प्रस्तर 4.5.16)
- स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.95 करोड़ के स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 5.77 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।
(प्रस्तर 4.5.17)
- दुर्घटना राहत निधि (दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 78.24 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की गयी।
(प्रस्तर 4.5.22)

4.5.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग, राज्य के सकल कर राजस्व का पॉच प्रतिशत योगदान करता है। मोटरयानों के करों का आरोपण एवं संग्रहण, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन, पंजीयन, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, परमिट, अपील तथा अभियोगों के लिए शुल्क का आरोपण तथा संग्रहण, मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो0या0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 (के0मो0या0 नियमावली) तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। गैर परिवहन यानों के सम्बन्ध में मोटरयानों का कर, एक मुश्त एक बारीय कर के रूप में वसूल किया जाता है जबकि परिवहन यानों से कर एवं अतिरिक्त कर, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम में विनिर्दिष्ट मासिक/त्रैमासिक दरों पर वसूल किया जाता है।

4.5.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर परिवहन विभाग के शीर्ष प्रशासक प्रमुख सचिव होते हैं। परिवहन विभाग की समवेत जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त, (प0आ0) लखनऊ पर होती है जिनकी सहायता हेतु मुख्यालय पर दो अपर परिवहन आयुक्त तथा परिक्षेत्र स्तर पर छः उप परिवहन आयुक्त होते हैं। सम्भागीय स्तर पर 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0प0अ0) तथा जिला स्तर पर 70 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण हेतु होते हैं।

4.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने परिवहन विभाग के कार्यकलाप पर समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की कि क्या :

- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण तथा इसके शासकीय लेखे में जमा किये जाने हेतु विभाग में पर्याप्त क्रिया विधियाँ एवं तंत्र उपलब्ध थे;
- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिए अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया; तथा
- बकाये की वसूली एवं उचित लेखांकन तथा राजस्व के क्षरण/रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण विद्यमान था।

4.5.4 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

समीक्षा का संचालन निम्नलिखित अधिनियमों, नियमावलियों तथा आदेशों के प्रावधानों के सन्दर्भ में किया गया:

- (i) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997।
- (ii) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998।
- (iii) मोटर यान अधिनियम, 1988।
- (iv) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989।
- (v) उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998।
- (vi) शासकीय/विभागीय आदेश/परिपत्र आदि।

4.5.5 नमूना चयन एवं लेखापरीक्षा की विधि

समीक्षा के उद्देश्य से हमने 2004-05 से 2008-09 की अवधि में स0प0अ0/स0स0प0अ0 द्वारा उगाहे गये राजस्व के आधार पर इकाइयों को उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम क्षेत्रों¹ में विभाजित किया। हमने उच्च जोखिम चिन्हित सभी 13 जिला² कार्यालयों, मध्यम जोखिम क्षेत्र चिन्हित कुल 13 जिलों में से सात जिला³ कार्यालयों तथा निम्न जोखिम क्षेत्र चिन्हित शेष 44 जनपद कार्यालयों में से 11 जिला⁴ कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की। मध्यम तथा निम्न जोखिम क्षेत्रों की इकाइयों का चयन रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया। समीक्षा का संचालन सितम्बर 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान किया गया।

4.5.6 अभिस्वीकृति

हम लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने में विभाग के सहयोग को स्वीकार करते हैं। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों पर विचार विमर्श, 21 अगस्त 2009 को आयोजित एक प्रारंभिक विचार गोष्ठी में किया गया था। विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त परिवहन आयुक्त द्वारा किया गया। निष्कर्षों पर विभाग के साथ

¹ उच्च जोखिम: जहाँ राजस्व संग्रह 25 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक था।
मध्यम जोखिम: जहाँ राजस्व संग्रह 10 तथा 25 करोड़ रुपये के मध्य था।
निम्न जोखिम: जहाँ राजस्व संग्रह 10 करोड़ रुपये से कम था।

² स0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी तथा स0स0प0अ0 गौतमबुद्ध नगर।

³ स0प0अ0 आजमगढ़, फ़ैजाबाद, झॉंसी, मिर्जापुर, स0स0प0अ0 बिजनौर, चन्दौली तथा मुजफ्फरनगर।

⁴ स0स0प0अ0 औरैया, बागपत, बाराबंकी, बदायूँ, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, मऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर तथा उन्नाव।

विचार विमर्श, समापन विचार गोष्ठी में दिनांक 22 जून 2010 को किया गया। विभाग का प्रतिनिधित्व, संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा किया गया। विभाग के विचारों का समावेश संगत प्रस्तरों में किया गया है।

लेखापरीक्षा के परिणाम

तंत्र की कमियाँ

4.5.7 अवास्तविक बजट अनुमान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधानों के अनुसार बजट की तैयारी में यह उद्देश्य होता है कि यह वास्तविकता के यथासम्भव अनुमान के नजदीक हो। इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल राजस्व तथा प्राप्तियों के सभी मदों का पूर्वानुमान करते हुए इसे सम्मिलित कर लिया जाए अपितु बजट वर्ष में विगत बकाए की प्रत्याशित वसूली को सम्मिलित करते हुए सही-सही प्रदर्शित किया जाए।

हमने देखा कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व वसूली में कमी थी, यद्यपि वास्तविक प्राप्तियों में क्रमिक बढ़ोत्तरी पायी गयी। यह प्रदर्शित करता है कि बजट अनुमान बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार विगत वर्षों की

वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित नहीं था। विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान	वसूल किया गया वास्तविक राजस्व	बजट अनुमान के सापेक्ष कमी (+/-)	(₹ करोड़ में) भिन्नता का प्रतिशत
2004-05	1,084.49	857.58	(-) 226.91	(-) 20.92
2005-06	1,241.74	1,070.39	(-) 171.35	(-) 13.80
2006-07	1,352.00	1,126.30	(-) 225.70	(-) 16.69
2007-08	1,533.30	1,255.49	(-) 277.81	(-) 18.12
2008-09	1,600.00	1,391.15	(-) 208.85	(-) 13.05

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि अगस्त 2001 से नवम्बर 2003 तक विभाग में मालवाहनों पर विशेष टोकन योजना प्रभावी थी जिसके कारण 2002-03 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 144 करोड़ राजस्व वसूल किया गया। उक्त योजना के स्थान पर 2005-06 में भी एक स्वतः घोषणा योजना प्रभावी थी। इन योजनाओं के अस्तित्व में न होने के बाद भी शासन द्वारा लक्ष्य को कम नहीं किया गया तथा 2006-07 से उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया गया जो प्राप्त किए जाने योग्य नहीं था। विभाग द्वारा अक्टूबर 2009 में शासन से लक्ष्य को व्यावहारिक एवं न्यायसंगत बनाने के लिए प्रार्थना की गई।

बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर शासन बजट अनुमान तैयार कर सकता है।

4.5.8 बकाये की स्थिति

4.5.8.1 वर्ष 2004-09 की अवधि के दौरान बकाये की स्थिति जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है:

वर्ष	उ0प्र0रा0स0प0नि0	निजी संचालक	योग (₹ करोड़ में)
2004-05	613.98	25.66	639.64
2005-06	688.07	23.70	711.77
2006-07	732.47	23.00	755.47
2007-08	734.28	71.74	806.02
2008-09	732.47	72.06	804.53

हमने देखा कि वर्ष 2004-08 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) के चिट्ठे में ₹ 3.87 करोड़ तथा ₹ 40.71 करोड़ के बीच लाभ प्रदर्शित किया गया लेकिन उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा विभाग को बकाये का भुगतान नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा भी उ0प्र0रा0स0प0नि0 से इसे वसूल नहीं किया गया जिससे 2005 तथा 2009 के मध्य बकाया ₹ 118.49 करोड़ और बढ़ गया। अग्रेतर, हमने यह देखा कि वर्ष 2004-09 के बीच भुगतान न की गयी बकाये की धनराशि पर अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 55.81 करोड़ की मांग विभाग द्वारा नहीं की गयी।

विभाग के स्तर पर इसी प्रकार की शिथिलता के कारण वर्ष 2007-08 के दौरान निजी संचालकों के बकाये में ₹ 48.74 करोड़ की असामान्य वृद्धि हुई। उ0प्र0रा0स0प0नि0 के साथ-साथ निजी संचालकों से बकायों की वसूली न किये जाने के कारणों का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिला।

सोलह स0प0अ0 / स0स0प0अ0

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर अथवा अर्थदण्ड के बकाये की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जानी चाहिए। नियमों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया तथा विभाग के पास विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं उस पर नियंत्रण रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

4.5.8.2 हमने देखा कि 2004-09 की अवधि के दौरान उन मोटरयान स्वामियों के विरुद्ध जो अपने देयों को अदा करने में विफल रहे, वर्ष 1983 से आगे के देयों से सम्बन्धित 1005 मामलों⁵ में ₹ 4.23 करोड़⁶ के देयों की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) तहसीलों को

निर्गत किये गये। कर/अतिरिक्त कर की भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये गये। ये सभी आर0सी0 तहसील द्वारा देय बकाये की वसूली किये बिना इस प्रकार की टिप्पणी, जैसे वाहन स्वामी की मृत्यु हो गयी है, बकायेदार के पास कोई सम्पत्ति नहीं है, बकायेदार आर0सी0 में दिये गये पते पर नहीं रहता है, इत्यादि के साथ विभाग को वापस कर दी गयी। समय सीमा तथा नियंत्रण प्रणाली के अभाव में आर0सी0 के निर्गत किये जाने में विलम्ब हुआ तथा वसूली प्रभावित हुई।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि यात्री वाहनों पर अतिरिक्त कर में बढोत्तरी का मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिसके कारण राजस्व की वसूली नहीं हुई। इस सम्बन्ध में एक बारीय निस्तारण योजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बिना

⁵ स0प0अ0 आगरा-14, आजमगढ़-13, फैजाबाद-99, मेरठ-453, सहारनपुर-44, वाराणसी-33, स0स0प0अ0 बाराबंकी-10, बिजनौर-131, बदायूँ-130, इटावा-3, फतेहपुर-20, हरदोई-6, हाथरस-3, कानपुर देहात-4, मथुरा-29 तथा सुल्तानपुर-13।

⁶ परिशिष्ट-XII।

वसूली किये आर0सी0 के वापसी के मामलों की आपत्ति को विभाग ने स्वीकार किया तथा बताया कि जाँच के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

इन बकायों की समीक्षा हेतु तंत्र निर्धारित करने, समय से वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा इन बकायों की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने पर शासन विचार कर सकता है।

4.5.9 कम्प्यूटरीकरण

विभाग ने अपने कार्यों को तत्परता एवं सुव्यवस्थित ढंग से किए जाने हेतु अपने कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने का निर्णय लिया (1998-99)। कम्प्यूटरीकरण के कार्य के लिए शासन द्वारा 1998-99 से 2008-09 के मध्य ₹ 11.86 करोड़ विभाग को स्वीकृत तथा निर्गत किए गए तथा विभाग ने कार्य निष्पादन संस्था, राष्ट्रीय सूचना संचार केन्द्र (एन0आई0सी0) तथा इसकी सह संस्थाओं को ₹ 8.93 करोड़ का भुगतान किया। 22 कार्यालयों⁷ में कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति की नमूना जाँच में हमने देखा कि प्रवर्तन शाखा, अतिरिक्त कर (यात्री वाहन), वसूली प्रमाण पत्रों तथा अनापत्ति प्रमाण पत्रों का निर्गमन इत्यादि का कार्य कम्प्यूटर से नहीं किया जा रहा था।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया गया कि इस कार्य का निष्पादन कार्य निष्पादक अभिकरण, एन0आई0सी0 द्वारा अपने सीमित मानव संसाधनों द्वारा किया गया जिसके कारण कार्य की प्रारम्भिक प्रगति धीमी थी। वर्तमान में सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है। विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों के बीच आपसी सहमति में कमी के कारण प्रवर्तन का प्रारूप विकसित नहीं हुआ है।

इस उत्तर के प्राप्त होने के पश्चात् हमने नवम्बर 2010 में पुनः तीन बड़े स0प0अ0 यथा इलाहाबाद, कानपुर एवं लखनऊ में किये गये कम्प्यूटरीकरण का सत्यापन किया तथा देखा कि इन बड़े कार्यालयों में कार्य का केवल आंशिक कम्प्यूटरीकरण विद्यमान था। चालक अनुज्ञप्तियों, माँगपत्रों, वसूली प्रमाण पत्रों का निर्गमन तथा प्रवर्तन का कार्य अभी भी हस्तलिखित रूप से किए जा रहे थे। इस प्रकार 10 वर्षों से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद तथा प्रचुर धनराशि व्यय किए जाने के बाद भी विभाग ने कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया।

परिवहन विभाग के सभी कार्यों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने पर शासन विचार कर सकता है।

4.5.10 विभागीय मैनुअल का अस्तित्व में न होना

किसी भी विभाग के कार्य को दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी बनाने के लिए एक मैनुअल आवश्यक है जिसमें कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों, प्रक्रिया का अनुपालन तथा विभिन्न प्रकार के तैयार किये जाने वाले पंजिकाओं/विवरणियों का विवरण निर्धारित हो।

हमने देखा कि विभाग में विभागीय मैनुअल अस्तित्व में नहीं है। विभाग द्वारा अगस्त 2008 में विभागीय मैनुअल बनाने के लिए एक समिति गठित की गई परन्तु समिति बनाने के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जून 2010 तक

एक भी बैठक नहीं बुलायी गयी जो विभाग की शिथिलता को इंगित करता है। कर्तव्यों,

⁷ स0प0अ0 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, स0स0प0अ0 औरैया, बाराबंकी, बिजनौर, चन्दौली, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, मऊ तथा रायबरेली।

दायित्वों, क्रिया-विधियों तथा आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली के निर्धारण के अभाव के फलस्वरूप विभाग, शिथिल क्रिया क्षेत्रों के प्रति सचेत नहीं था जिसके लिए समय पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

विभागीय मैनुअल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर शासन विचार कर सकता है।

4.5.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्यकलाप

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0), आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है तथा इसे सामान्यतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संस्था के लिए यह अपने आप में सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तंत्र संगत रूप से अच्छी तरह कार्यरत है।

परिवहन विभाग से सम्बद्ध आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, दो वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा चार लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा तीन लेखापरीक्षक थे। आ0ले0प0शा0 द्वारा वार्षिक रूप से 131 इकाई का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान कुल निरीक्षण योग्य 655 इकाइयों में से केवल 148 इकाइयों का निरीक्षण आ0ले0प0शा0 द्वारा किया गया। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान आ0ले0प0शा0 द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0)/प्रस्तरों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी		निस्तारण		अन्तिम अवशेष		निस्तारण का प्रतिशत	
	नि0प्र0 की सं0	प्रस्तरों की सं0	नि0प्र0 की सं0	प्रस्तरों की सं0	नि0प्र0 की सं0	प्रस्तरों की सं0	नि0प्र0 की सं0	प्रस्तरों की सं0	नि0प्र0	प्रस्तर
2004-05	333	2,749	24	349	1	43	356	3,055	0.28	1.39
2005-06	356	3,055	26	298	-	128	382	3,225	-	3.82
2006-07	382	3,225	28	372	-	120	410	3,477	-	3.34
2007-08	410	3,477	28	368	-	-	438	3,845	-	-
2008-09	438	3,845	32	332	-	-	470	4,177	-	-

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नि0प्र0 के निस्तारण का प्रतिशत 2004-05 (0.28 प्रतिशत) को छोड़कर शून्य था तथा प्रस्तरों का निस्तारण शून्य से 3.82 प्रतिशत के मध्य रहा। मार्च 2009 के अंत में 470 नि0प्र0 तथा 4,177 प्रस्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु अवशेष थे। अवशेष आपत्तियों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति, निरीक्षणों के बकाए तथा आ0ले0प0शा0 में रिक्तियाँ, यह प्रदर्शित करते हैं कि यह महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण मजबूत नहीं था।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त अपेक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। निरीक्षण के बकाए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निस्तारण में कमी के सम्बन्ध में विभाग ने कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किया (अक्टूबर, 2010)।

आ0ले0प0शा0 को सुदृढ़ बनाने तथा आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने पर शासन विचार कर सकता है जिससे राजस्व हित की सुरक्षा हो तथा इंगित त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

4.5.12 विद्यालय वाहनों पर दुर्घटना राहत निधि (दु0रा0नि0) के आरोपण का प्रावधान अस्तित्व में न होना

उन्नीस स0प0अ0 / स0स0प0अ0⁸

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना की जायेगी जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" के नाम से जानी जायेगी, जिससे प्रभावित यात्रियों या उनके आश्रितों को, जैसी स्थिति होगी, सहायता प्रदान की जायेगी। जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सार्वजनिक सेवायान को पूर्णतः या आंशिक अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट हो वहाँ यह मानते हुए कि उस वाहन पर जो अतिरिक्त कर देय होता उस पर 5 प्रतिशत की दर से इस निधि के उद्देश्य से अधिभार आरोपणीय होगा। विद्यालय वाहनों पर अतिरिक्त कर की पूर्ण छूट है लेकिन कथित निधि के उद्देश्य से अधिभार के आरोपण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने देखा कि वर्ष 2004-09 के दौरान 2,043 विद्यालय वाहन विद्यार्थियों के परिवहन हेतु संचालित किये जा रहे थे परन्तु दु0रा0नि0 के आरोपण के प्रावधान के अभाव में विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में उक्त निधि से किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पात्र नहीं थे।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन

को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि विद्यालय वाहन सार्वजनिक सेवायान के अन्तर्गत नहीं आते तथा किसी दुर्घटना की स्थिति में विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उक्त निधि से सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

विद्यालय वाहनों के मामलों में दु0रा0नि0 के मद में अधिभार के आरोपण का प्रावधान बनाये जाने पर शासन विचार कर सकता है जिससे किसी दुर्घटना की स्थिति में विद्यार्थी या उनके अभिभावक सहायता प्राप्त कर सकें।

4.5.13 अधिक भार को बिना खाली कराये माल वाहनों को अवमुक्त किया जाना

बारह स0प0अ0 / स0प0अ0⁹

मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई मोटरयान या ट्रेलर जिसका लदान सहित भार पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित सकलभार भार से अधिक है किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा न तो चलाया जायगा और न ही चलाये जाने के लिए प्रेरित या अनुमन्य किया जायगा। अग्रतर, प्रवर्तन अनुभाग द्वारा जाँच के दौरान यदि वाहन अधिभारित पाया जाता है तो अधिकभार को खाली करा दिया जायेगा तथा परमिट निर्गम प्राधिकारी को सूचना के साथ इस प्रकार की सम्बन्धित अधिभारिता का विवरण परमिट पर भी पृष्ठांकित कर दिया जायेगा।

हमने देखा कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान अधिक माल लदे 21,218 चालान/जब्त माल वाहनों को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अधिक भार को कम कराये

⁸ स0प0अ0 आगरा, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, स0स0प0अ0 बागपत, चन्दौली, इटावा, जी0बी0 नगर, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, रायबरेली, मथुरा, मऊ तथा उन्नाव।

⁹ स0प0अ0 इलाहाबाद-165, बरेली-167, फैजाबाद-4,710, झाँसी-171, मेरठ-110, मिर्जापुर-59, वाराणसी-8,907, स0स0प0अ0 औरैया-81, बाराबंकी-3,497, बिजनौर-3,249, रायबरेली-36 तथा सुल्तानपुर-66।

अवमुक्त कर दिया गया क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रवर्तन शाखा में अपेक्षित संसूचना की प्रति अभिलेखों में नहीं पायी गयी। अधिक माल लदे हुए वाहन का संचालन मानव जीवन तथा यातायात के लिए खतरनाक है।

हमारे द्वारा इसे शासन एवं विभाग को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि के०मो०या० अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत अधिभारिता का अभियोग प्रशमनीय है तथा के०मो०या० अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत अधिक भार को उतरवाने एवं प्रशमन शुल्क जमा कराने के बाद अवमुक्त किये जाने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

वाहन को आगे जाने की अनुमति देने के पूर्व अधिक माल खाली कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्धारित किए जाने पर शासन विचार कर सकता है।

अनुपालन की कमियाँ

4.5.14 अन्य राज्यों के यात्री वाहनों पर अतिरिक्त कर का कम आरोपण

स०स०अ० मथुरा तथा गौतम बुद्ध नगर

मो०या० अधिनियम सपटित उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत द्विपक्षीय समझौते के अभाव में अन्य राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवायान पर 'क' श्रेणी के मार्गों पर ₹ 961 प्रतिसीट प्रति त्रैमास की दर से अतिरिक्त कर आरोपित एवं अदा किया जायगा। ऐसे राज्यों के मामले में जिनसे द्विपक्षीय समझौता है, एक राज्य में अनुमत परमिट दूसरे राज्य में तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न हो।

4.5.14.1 हमने देखा कि उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्य के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं होने के बावजूद भी दिल्ली परिवहन निगम के 159 वाहन अप्रैल 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे थे तथा उनके द्वारा

निर्धारित दर के अनुसार देय कर एवं अतिरिक्त कर ₹ 3.70 करोड़ के बजाय ₹ 87.14 लाख कमतर दर पर अदा किया गया। यद्यपि, सम्बन्धित स०स०प०अ० कर एवं अतिरिक्त कर के कम जमा को पता करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 2.83 करोड़ के कर एवं अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।

स०प०अ० आगरा

4.5.14.2 हमने देखा कि उ०प्र० राज्य, मध्य प्रदेश (एम०पी०) तथा राजस्थान के साथ द्विपक्षीय समझौते में सम्मिलित हुआ लेकिन एम०पी० तथा राजस्थान के 80 वाहन अप्रैल 2007 से मार्च 2009 के मध्य उ०प्र० के राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा०प०प्रा०) द्वारा परमिट को बिना प्रतिहस्ताक्षरित कराये उ०प्र० में संचालित किये जा रहे थे। इन वाहनों द्वारा निर्धारित दर पर देय ₹ 3.03 करोड़ के बजाय ₹ 1.86 करोड़ अतिरिक्त कर का भुगतान किया गया। यद्यपि, सम्बन्धित स०प०अ० कर एवं अतिरिक्त कर कम जमा किये जाने का पता लगाने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव के बीच द्विपक्षीय समझौता निष्पादन की प्रगति पर है। यद्यपि, हमारे द्वारा इंगित अतिरिक्त कर की कम वसूली पर उत्तर मौन है।

4.5.15. स्टेज कैरिज पर अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण

सत्रह स०प०अ०/स०स०प०अ०¹⁰

उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्टेज कैरिज पर एक त्रैमास में कुल चलित दूरी पर निर्धारित प्रतिसीट की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है। इस उद्देश्य के लिए किसी स्टेज कैरिज में खड़े होने की स्वीकृत क्षमता का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता में आगणित किया जाएगा, इसमें किसी सीट का भाग एक सीट के रूप में माना जाता है। उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम के अन्तर्गत स्टेज कैरिज का प्रत्येक संचालक निर्धारित किये गये प्रारूप तथा समय के अन्दर अपने वाहन के आगमन एवं प्रस्थान की समय सूची तथा एक त्रैमास में चलित एकल फेरों की संख्या एवं अन्य ऐसे विवरण, जैसा कि कराधान अधिकारी को आवश्यकता हो, उपलब्ध करायेगा।

4.5.15.1 हमने देखा कि 748 वाहन स्वामियों द्वारा प्रस्तुत समय सारणी के अनुसार इन वाहनों द्वारा चलित दूरी के आधार पर आरोपणीय अतिरिक्त कर ₹ 18.53 करोड़ के सापेक्ष एक त्रैमास में स्वीकृत किलोमीटर के संचालन के आधार पर ₹ 11.13 करोड़ अतिरिक्त कर जमा

किया गया। सम्बन्धित स०प०अ०/स०स०प०अ० अतिरिक्त कर की कम जमा धनराशि का पता लगाने तथा इसे वाहन स्वामियों से वसूल करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 7.40 करोड़¹¹ की कम वसूली हुई।

पॉंच स०प०अ०/स०स०प०अ०¹²

4.5.15.2 हमने देखा कि विभाग द्वारा उ०प्र०मो०या० अधिनियम द्वारा निर्धारित खड़े होने की क्षमता की उपेक्षा करके स्टेज कैरिज की वास्तविक सीट क्षमता पर अतिरिक्त कर की गणना की गयी जिसके कारण 243 वाहनों पर अतिरिक्त कर ₹ 1.32 करोड़¹³ कम आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा इसे विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि सामान्य उपबन्ध अधिनियम में विनिर्दिष्ट एक माह में 30 दिनों के आधार पर त्रैमास में 90 दिन मानते हुए अतिरिक्त कर की गणना की गयी थी।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि एक त्रैमास में 90 दिन, एक वर्ष में 365 दिनों की गणना को प्रदर्शित नहीं करता तथा सामान्य उपबन्ध अधिनियम माह में दिनों को तो विनिर्दिष्ट करता है लेकिन त्रैमास में नहीं। बैठने की क्षमता की कम गणना के आधार पर अतिरिक्त कर के कम आरोपण की हमारी आपत्ति पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया।

¹⁰ स०प०अ० आगरा, बरेली, गोरखपुर, झोंसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, स०स०प०अ० बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बर्दोय, चन्दौली, जौनपुर, मथुरा तथा रायबरेली।

¹¹ परिशिष्ट-XIII ।

¹² स०प०अ० मुरादाबाद, स०स०प०अ० इटावा, हरदोई, मथुरा तथा उन्नाव ।

¹³ परिशिष्ट-XIV ।

4.5.16 वाहन के लदान भार पर कर का अनारोपण

सोलह स0प0अ0 / स0स0प0अ0¹⁴

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसीमित मात्रा का परिवहन करने वाले सार्वजनिक सेवायानों पर वाहन के पंजीकृत सकल लदान भार (स0ल0भा0) या उसके भाग के लिए ₹ 45 प्रति मीट्रिक टन (मी0ट0) प्रति त्रैमास की दर से अन्य करों के अतिरिक्त, कर देय है। निर्धारित सीमा के अन्दर कर न जमा किए जाने पर देय धनराशि का 25 प्रतिशत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

हमने देखा कि 8,415 सार्वजनिक सेवा यानों पर जो सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी तथा सीमित मात्रा में यात्रियों के माल का परिवहन करने के लिए संचालित थे, विभाग द्वारा वाहनों के सकल लदान भार पर ₹ 2.18 करोड़¹⁵ का कर आरोपित नहीं किया

गया। इसके अतिरिक्त संगत अर्थदण्ड ₹ 54.53 लाख भी आरोपित किया जाना था।

हमारे द्वारा विभाग एवं शासन को जून 2010 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए समापन विचार गोष्ठी में बताया कि धनराशि के वसूली की कार्यवाही की जायेगी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

4.5.17 स्वस्थता प्रमाण-पत्र के बिना संचालित वाहनों के कारण राजस्व क्षति

सत्रह स0प0अ0 / स0स0प0अ0¹⁶

मो0या0अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये के0मो0या0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा, जबतक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण-पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध रहता है तत्पश्चात् हल्के, मध्यम तथा भारी वाहनों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शुल्क क्रमशः ₹ 300, ₹ 400 तथा ₹ 500 जिसमें स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने का शुल्क ₹ 100 सम्मिलित है, के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। अवहेलना के मामले में जाँच शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। स्वस्थता प्रमाण-पत्र के बगैर किसी वाहन का संचालन, मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2500 प्रति अभियोग की दर से प्रशमनीय है।

हमने कम्प्यूटर से प्राप्त आँकड़ों से देखा कि वर्ष 2004 एवम् 2009 के मध्य 23,099 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण-पत्र के संचालित थे। ऐसे वाहनों का संचालन सार्वजनिक सुरक्षा के साथ समझौता था। इन वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 2.95 करोड़¹⁷ तथा अर्थदण्ड ₹ 5.77 करोड़ आरोपणीय था।

¹⁴ स0प0अ0 इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉंसी, मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी, स0स0प0अ0 बर्दौयू, बस्ती, फर्रुखाबाद, हरदोई, जौनपुर तथा प्रतापगढ़।

¹⁵ परिशिष्ट—XV।

¹⁶ स0प0अ0 आगरा, आजमगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉंसी, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, स0स0प0अ0 बाराबंकी, बिजनौर, हरदोई, मथुरा, रायबरेली तथा उन्नाव।

¹⁷ परिशिष्ट—XVI।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किए जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी गयी हैं। अग्रेतर प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

4.5.18 नये पंजीयन चिन्ह का आवेदन न किया जाना

बाइस स0प0अ0/स0स0प0अ0¹⁸

मो0या0 अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये के0मो0या0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटरयान दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तब वाहन का स्वामी उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीयन प्राधिकारी को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा तथा उस प्राधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। भारी, मध्यम, हल्के यान तथा मोटर साइकिल के लिए नये पंजीयन चिन्ह आबंटन के लिए निर्धारित दरों पर शुल्क देय होगा।

हमने देखा कि अन्य प्रान्तों में पंजीकृत 4,292 भारी/मध्यम/हल्के मोटर यान एवं मोटर साइकिल अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के साथ उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) में लाये गये तथा 12 महीने से अधिक अवधि से उ0प्र0 में संचालित थे। यद्यपि वाहनों के स्वामी एक वर्ष से अधिक अवधि

से उ0प्र0 का कर जमा कर रहे थे, परन्तु उन्होंने नये पंजीयन चिन्ह आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया। प्रवर्तन शाखा द्वारा ऐसे वाहनों को खोजने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इस प्रकार शासन को ₹ 22.16 लाख¹⁹ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में बताया कि उ0प्र0 का नया पंजीयन चिन्ह देने हेतु शुल्क आरोपित किया जाता है। चूँकि ऐसे वाहनो को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान नहीं किया गया है, अतः समनुदेशन शुल्क की हानि का प्रश्न पैदा नहीं होता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि अपेक्षित शुल्क जमा करने के पश्चात् उ0प्र0 का नया पंजीयन चिन्ह लेना वाहन स्वामी के लिये अनिवार्य है।

4.5.19 अग्रेषण/यात्रा अभिकर्ताओं के पंजीयन का नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति

चार स0प0अ0²⁰

मो0या0 अधिनियम तथा उ0प्र0मो0या0नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों के बिक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की याचना करने में, या माल को संग्रहीत, अग्रेसित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को नहीं लगाएगा, जब तक कि उसने सक्षम प्राधिकारी से ₹ 1,000 के शुल्क का भुगतान करके अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर लिया हो। ऐसे अनुज्ञप्ति का 5 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000 भी जमा की जायेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त जन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषण अभिकर्ताओं का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

हमने देखा कि 132 अग्रेषण अभिकर्ता वर्ष 2004 से 2009 के मध्य बिना अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराये अपना व्यवसाय चला रहे थे। विभाग इन अभिकर्ताओं को पंजीकृत करने तथा

¹⁸ स0प0अ0 इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, फैजाबाद, झाँसी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, स0स0प0अ0 औरैया, बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, चन्दौली, इटावा, जी0बी0नगर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, मथुरा, मऊ तथा रायबरेली।

¹⁹ परिशिष्ट-XVII।

²⁰ बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर तथा कानपुर नगर।

प्रतिभूति ₹ 13.20 लाख तथा शुल्क ₹ 1.37 लाख²¹ को वसूलने में असफल रहा।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के बाद विभाग ने आपत्ति स्वीकार की तथा जून 2010 में बताया कि सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

4.5.20 परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर अर्थदण्ड का अनारोपण

परिवहन आयुक्त (प0आ0)

मो0या0 अधिनियम तथा उ0प्र0मो0या0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत, ठेका वाहन का स्वामी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट की शर्तों के अन्तर्गत लागू बुक का त्रैमासिक सारांश तथा यात्रियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। यदि वाहन स्वामी परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अधिकतम ₹ 2500 के अर्थदण्ड के आरोपण से दण्डनीय होगा।

हमने देखा कि 2004 से 2008 की अवधि के दौरान 17,956 परमिट धारक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (उ0प्र0 रा0प0प्रा0) को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे। परमिट धारकों द्वारा वांछित प्रलेख प्रस्तुत न करने

पर ₹ 4.49 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित तथा वसूल करने में विभाग विफल रहा।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किया गया, विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2010)।

4.5.21 जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

नौ स0प0अ0/स0स0प0अ0²²

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा जब्त किये गये वाहन, देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान के दायी होंगे तथा इन्हे अवमुक्त करायेगें। यदि वाहन स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे वाहनो को जब्त किये जाने की तिथि से 45 दिनों के बाद नीलाम कर दिया जायेगा तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

हमने देखा कि दिसम्बर 1997 से मार्च 2009 की अवधि में उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 92 वाहन जब्त किये गये जिनके विरुद्ध देय ₹ 35.29 लाख²³ की धनराशि वसूली हेतु शेष थी। इन वाहनो के स्वामी जब्त करने की तिथि के 45 दिन के अन्दर देयों के भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुए। जब्ती की तिथि से तीन माह से

²¹ परिशिष्ट-XVIII।

²² स0प0अ0 आगरा, आजमगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, स0स0प0अ0 बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर, मथुरा तथा सुल्तानपुर।

²³ परिशिष्ट-XIX।

12 वर्षों का समय व्यतीत होने के बावजूद सम्बन्धित कार्यालयों साथ ही साथ स0प0अ0/स0स0प0अ0 द्वारा भी अधिनियम के अन्तर्गत इन वाहनों की नीलामी द्वारा देयों की वसूली की अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किए जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में आपत्ति को स्वीकार किया तथा जून 2010 में बताया कि नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

4.5.22 दुर्घटना राहत निधि (दु0रा0नि0) स्थापित न किया जाना

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना की जायेगी जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" के नाम से जानी जायेगी जिससे प्रभावित यात्रियों या उनके आश्रितों को, जैसी स्थिति होगी, सहायता प्रदान की जायेगी। अधिनियम के अनुसार आरोपणीय अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि दुर्घटना राहत निधि में जमा की जायेगी।

विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन से हमने देखा कि 2004 से 2009 के दौरान ₹ 1,643 करोड़ अतिरिक्त कर आरोपित किया गया जिसमें से ₹ 78.24 करोड़ दु0रा0नि0 में जमा किया जाना था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 (प्रस्तर 4.2.13) में हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बावजूद अभी तक दु0रा0नि0 स्थापित नहीं की गयी है।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किए जाने के बाद विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा जून 2010 में बताया कि दु0रा0नि0 स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

अन्य विषय

4.5.23 मानवशक्ति प्रबन्धन

आठ स0प0अ0/स0स0प0अ0

हमने समीक्षा की अवधि में देखा²⁴ कि चार स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालयों²⁵ में 66 कर्मचारियों की स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती थी जबकि चार अन्य स0प0अ0/स0स0प0अ0 कार्यालयों²⁶ में 45 पद रिक्त थे। यह कमजोर मानवशक्ति प्रबन्धन को प्रदर्शित करता है। हम अनुभव करते हैं कि अधिकतम प्रभावपूर्ण तैनाती सुनिश्चित करने हेतु विभाग को मानवशक्ति आवश्यकताओं का आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए।

²⁴ परिशिष्ट-XX ।

²⁵ स0प0अ0 लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर तथा स0स0प0अ0 सुल्तानपुर।

²⁶ स0प0अ0 झॉंसी, स0स0प0अ0 औरैया, बर्दोयू तथा मऊ।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में यह बताया कि राज्य स्तर पर कर्मियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक नहीं है। सम्भागीय कार्यालयों में कर्मियों की तैनाती कार्यभार को ध्यान में रखकर की गयी है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि इन आठ कार्यालयों के राजस्व प्राप्तियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत पदों से 44 अधिक कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद पिछले तीन वर्षों में लखनऊ की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता में झॉसी, जिसमें 26 कर्मियों की कमी है, के सापेक्ष कम वृद्धि²⁷ देखी गयी। यह इंगित करता है कि आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात् मानवशक्ति तर्कसंगत नहीं थी।

4.5.24 चालान किए गए मामलों को न्यायालय में न भेजा जाना

पाँच स0प0अ0 / स0स0प0अ0²⁸

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा प्रशमित न किये गये अभियोगों को, मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा जाना अपेक्षित है। पुनः अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी0आर0पी0सी0) की धारा 468 के अनुसार ऐसे अभियोगों का, जो केवल शास्ति से दण्डनीय है, अभियोग किये जाने की तिथि के छः माह की समाप्ति के पश्चात्, न्यायालय कोई संज्ञान नहीं लेगा।

हमने देखा कि 2004-09 के दौरान अभियोगों के प्रशमित न किये गये 282 मामले जो केवल शास्ति से दण्डनीय थे, या तो छः माह की समाप्ति से पूर्व न्यायालय में नहीं भेजे गये या नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात्

न्यायालय भेजे गये। इसके फलस्वरूप अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय प्रशमन शुल्क के रूप में ₹ 20.52 लाख²⁹ की क्षति हुई।

4.5.25 राजस्व का विलम्ब से जमा किया जाना

चार स0प0अ0³⁰

वित्तीय हस्त पुस्तिका में विहित है कि एक शासकीय कर्मचारी द्वारा उसके कार्यालयी क्षमता में प्राप्त की गयी सभी धनराशियों को बिना किसी अनुचित विलम्ब के कोषागार अथवा बैंक में जमा किया जायेगा तथा शासकीय लेखे में क्रेडिट किया जायेगा।

हमने देखा कि 13 मई 2004 से 30 मार्च 2009 के बीच संग्रहीत ₹ 14.87 करोड़ की धनराशि कोषागार में एक से नौ दिनों के विलम्ब से जमा की

गयी। निहित धनराशि ₹ 2,746 तथा ₹ 1.77 करोड़ के मध्य थी। शासकीय राजस्व का विलम्ब से जमा किया जाना उक्त प्रावधानों के विपरीत था।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में संग्रहीत राजस्व का समय से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

²⁷ परिशिष्ट-XXI।

²⁸ स0प0अ0 बरेली,मिर्जापुर,स0स0प0अ0 औरैया,बाराबंकी तथा मुजफ्फरनगर।

²⁹ परिशिष्ट-XXII।

³⁰ गोरखपुर,कानपुर नगर,लखनऊ तथा मिर्जापुर।

4.5.26 चोरी तथा बरामद वाहन की पंजिका का न बनाया जाना

तेरह स0प0अ0 / स0स0प0अ0³¹

उ0प्र0मो0या0नियमावली के अन्तर्गत पिछले कैलेण्डर माह की अवधि को समाहित करते हुए, सम्पूर्ण राज्य में पुलिस के संज्ञान में आये चोरी एवं बरामद वाहनों से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक माह की 15 तारीख को अथवा इससे पूर्व, महानिदेशक पुलिस द्वारा एक मासिक रिटर्न रा0प0प्रा0 को प्रेषित किया जायेगा। अग्रेतर, मासिक रिटर्न तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा रा0प0प्रा0 को भेजा जायेगा। रिटर्न प्राप्त होने के पश्चात् रा0प0प्रा0 इसकी प्रति प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकारी को भेजेगा। नियम 53(4) के अन्तर्गत रा0प0प्रा0 के सचिव एवम् प्रत्येक पंजीयन प्राधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चोरी एवं बरामद वाहनों की पंजिका तैयार करेंगे।

हमने देखा कि 2004-09 की अवधि के दौरान इन कार्यालयों द्वारा चोरी तथा बरामद वाहनों की पंजिका नहीं बनाया गया था। इन पंजिकाओं के अभाव में पंजीयन एवं कराधान अधिकारी चोरी तथा बरामद वाहनों के विवरण से अवगत नहीं थे तथा ऐसे वाहनों से सम्बन्धित कार्यों को समाप्त/पुनः प्रारम्भ करने में असमर्थ थे।

हमारे द्वारा इसे जून 2010 में विभाग एवं शासन को इंगित किए जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में आपत्ति को स्वीकार किया तथा जून 2010 में बताया कि कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

4.5.27 निष्कर्ष

हमने देखा कि कार्यविधियों, अभिलेखों के नियंत्रण, प्राधिकारियों के विशिष्ट कार्यों तथा दायित्वों को निर्धारित करने वाला एक मैनुअल विभाग में विद्यमान नहीं है। बकायों की वसूली, अतिरिक्त कर के आरोपण, स्वस्थता प्रमाण-पत्र निर्गमन, नये पंजीयन चिन्ह के समनुदेशन इत्यादि के लिये प्रभावपूर्ण एवं सक्षम व्यवस्था का अभाव है। वाहनों के अधिक लदान, दु0रा0नि0 स्थापित न किये जाने तथा राजस्व के विलम्ब से जमा किये जाने जैसे प्रकरण संज्ञान में आये।

4.5.28 संस्तुतियाँ

शासन विचार कर सकता है:

- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित बजट अनुमान बनाये जायें;
- बकायों की समीक्षा करने, वसूली प्रमाण-पत्रों को समय से जारी करने तथा बकायों की वसूली हेतु विशेष अभियान को चलाये जाने हेतु एक तंत्र निर्धारित किया जाये;
- परिवहन विभाग के सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये;
- विभागीय मैनुअल को बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें;

³¹ स0प0अ0 इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, मेरठ, मिर्जापुर, लखनऊ, स0स0प0अ0 औरैया, बिजनौर, जी0बी0 नगर, जौनपुर, मऊ, रायबरेली तथा सुल्तानपुर।

- आ0ले0प0शा0 को मजबूत बनाया जाये एवम् आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर परिवहन कर्मचारियों द्वारा राजस्व हित में समयबद्ध कार्यवाही तथा इंगित गलतियों की पुनरावृत्ति रोकना सुनिश्चित किया जाये;
- सामाजिक सुरक्षा के हित में विद्यालय वाहनों के मामले में दु0रा0नि0 के लिये अधिभार आरोपित करने हेतु प्रावधान निर्धारित किया जाय;
- अधिक लदान रोकने हेतु एक तंत्र बनाया जाय; तथा
- अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अध्याय-V स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन


भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0स्टा0 अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम (भा0नि0 अधिनियम) 1908, उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (स्टा0स0का मू0) नियमावली, 1997 तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं परिपत्रों के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियों विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। स्टाम्प शुल्क का अपवंचन, सामान्यतः सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, विलेखों को निबन्धन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने तथा निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के कम/न भुगतान किए जाने के कारण होता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता एक अपर महानिरीक्षक (अ0म0नि0), मण्डल स्तर पर 17 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला स्तर पर 63 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा जिला एवं तहसील स्तर पर 347 उप निबन्धक (उ0नि0) करते हैं।

5.2 प्राप्तियों का रुझान

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर/करेत्तर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियों	अन्तर आधिक्य(+) कमी(-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर/करेत्तर प्राप्तियों से प्रतिशत
2005-06	2,928.00	2,996.78	68.78	2.35	18,857.90	15.89
2006-07	3,500.00	4,513.67	1,013.67	28.96	22,997.97	19.63
2007-08	4,276.00	3,976.68	(-) 299.32	(-) 7.00	24,959.32	15.93
2008-09	5,370.53	4,138.27	(-) 1,232.26	(-) 22.94	28,658.97	14.44
2009-10	5,351.02	4,562.23	(-) 788.79	(-) 14.74	33,877.60	13.47



5.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2010 को राजस्व बकाया ₹ 594.83 करोड़ था। पाँच वर्षों से अधिक अवधि के बकाये का विवरण विभाग में उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में राजस्व बकाये का विवरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है।

(₹ करोड. में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2005-06	216.38	61.55	215.02
2006-07	215.02	60.03	246.50
2007-08	246.50	101.06	213.25
2008-09	213.25	109.08	553.05
2009-10	553.05	129.87	594.83

स्रोत: आकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये (नवम्बर 2010)।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान बकाये की धनराशि में वृद्धि हो रही थी परन्तु विभाग द्वारा संग्रहीत धनराशि बहुत कम थी।

बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने की हम संस्तुति करते हैं।

5.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ ही साथ वर्ष 2008-09 के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड. में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2008-09 के लिए संग्रह की लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2007-08	3,976.68	72.71	1.83	
	2008-09	4,138.27	76.01	1.84	2.77
	2009-10	4,562.23	120.73	2.65	

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

5.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन को छोड़कर), हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, अनियमित छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,506 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 121.90 करोड़ का राजस्व निहित था। विभाग/शासन ने इनमें से 20 मामलों में शामिल ₹ 7.73 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसकी वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड. में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गयी धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2004-05	241	195	3.76	--	--	--	--
2005-06	122	150	3.06	--	--	--	--
2006-07	186	233	7.08	--	--	--	--
2007-08	210	320	93.30	--	--	--	--
2008-09	329	608	14.70	20	0.08	20	0.08
योग	1,088	1,506	121.90	20	0.08	20	0.08

5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित 325 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में स्टाम्प शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 13.52 करोड़ के 620 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड. में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	297	5.75
2.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	255	5.90
3.	अन्य अनियमितताएं	68	1.87
योग		620	13.52

वर्ष के दौरान, विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 19 मामलों में ₹ 3.56 लाख स्वीकार किये, जो विगत वर्षों में इंगित किये गये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान 19 मामलों में ₹ 3.56 लाख वसूल किये गये।

₹ 68.61 लाख के कुछ निदर्शी मामलों अनुवर्ती प्रस्तारों में वर्णित हैं।

5.7 लेखापरीक्षा अपत्तियाँ

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में गलत मूल्यांकन एवं लेखपत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तारों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएँ न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

5.8 गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

दस उप-निबन्धक

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषयवस्तु वाली किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती हैं।

हमने देखा कि 10 मामाले में अन्तरण विलेखों का पंजीयन निर्धारित से कम दर पर मूल्यांकन कर किया गया। जिनमें से सात अकृषि भूमि सम्बन्धी विलेखों का पंजीयन कृषि दर से, एक आवासीय भूमि एवं भवन सम्बन्धी विलेख का पंजीयन औद्योगिक दर से तथा दो सड़क किनारे की भूमि के विलेखों का

पंजीयन सड़क से दूर स्थित भूमि की दर से किया गया। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 59.95 लाख स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा कि परिशिष्ट-XXIII में दर्शाया गया है।

हमने मामला विभाग एवं शासन को मई 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

5.9 लेखपत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उप-निबन्धक ऊँचाहार, रायबरेली

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ऐसे किसी विलेख, जिसमें शुल्क प्रभार्य हो तथा जिस पर उचित शुल्क अदा हो, में केवल लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। अग्रेतर, अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अन्तरण विलेखों में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हस्तान्तरण विलेख की भाँति होगी।

हमने अक्टूबर 2009 में देखा कि विभाग ने एक अन्तरण विलेख¹ का गलत वर्गीकरण कर उसे शुद्धिपत्र माना। विभाग ने लेखपत्र पर ₹ 8.67 लाख के स्थान पर ₹ 1,000 स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जिसके परिणामस्वरूप

₹ 8.66 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

हमने मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2009 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

¹ दिनांक 9.4.2009 को पंजीकृत लेखपत्र सं० 383 ।

अध्याय-VI अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2009-10 के दौरान सिंचाई, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा वन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 478.43 करोड़ के प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) एवं स्वामित्व शुल्क (रायल्टी) की वसूली न किया जाना, चिकित्सा प्रभारों में वृद्धि न किया जाना, इत्यादि के 421 मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
सिंचाई विभाग			
1.	प्रतिशत प्रभार की वसूली न किया जाना	2	4.04
2.	स्वामित्व शुल्क की वसूली न किया जाना	3	0.14
3.	अन्य अनियमितताएँ	47	9.16
	योग	52	13.34
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग			
1.	10 प्रतिशत वार्षिक की दर से चिकित्सा प्रभारों में वृद्धि न किया जाना	48	1.19
2.	अपंजीकृत जेनेटिक केन्द्रों पर शास्त्र का अनारोपण	7	0.08
3.	अन्य अनियमितताएँ	60	1.92
	योग	115	3.19
वन विभाग			
1.	वन विभाग से प्राप्तियाँ (एक समीक्षा)	1	33.93
2.	विभिन्न हानियाँ	86	204.09
3.	निष्क्रिय निवेश, निष्क्रिय संस्थापना, निधि का अवरुद्ध रहना	31	6.13
4.	नियमितता प्रकरण	11	4.30
5.	लम्बित वसूलियाँ	79	171.32
6.	उद्देश्य प्राप्त न किया जाना	1	4.31
7.	अन्य अनियमितताएँ	45	37.82
	योग	254	461.90
	महायोग	421	478.43

वर्ष 2009-10 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये 22 मामलों में ₹ 3.82 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकार एवं वसूल किये गये।

वन विभाग से प्राप्तियों पर एक समीक्षा जिसमें ₹ 33.93 करोड़ की धनराशि सन्निहित है तथा ₹ 1.90 करोड़ के कुछ निदर्शी मामले अनुवर्ती प्रस्तरो में वर्णित हैं।

6.2 वन विभाग से प्राप्तियाँ

मुख्य अंश

- 45 से0मी0 से अधिक व्यास के यूकेलिप्टस के वृक्षों का आयतन गुणांक, पातन चक्र में परिवर्तन के साथ-साथ निर्धारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ की रायल्टी कम आरोपित हुई।

(प्रस्तर 6.2.10)

- वन तथा खनन विभागों में समन्वय की कमी के कारण ₹ 238.53 करोड़ के अभिवहन शुल्क की क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.2.12)

- जाँच चौकियों को हटाने/बन्द किये जाने के कारण ₹ 42.84 करोड़ की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 6.2.14)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों में प्रयुक्त खनिजों पर प्रभागों द्वारा अभिवहन शुल्क आरोपित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.62 करोड़ की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 6.2.16)

6.2.1 प्रस्तावना

वन विभाग की स्थापना राज्य के वनों के संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए की गयी थी। उत्तर प्रदेश में वन भूमि का कुल आच्छादित क्षेत्रफल 22,330 वर्ग कि0मी0 है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 का 9.27 प्रतिशत है। विभाग के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय वन नीति एवं राज्य वन नीति को लागू करना है जिसका लक्ष्य संरक्षण, विकास एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा मौजूदा प्राकृतिक एवं लगाये गये वनों का सुधार साथ ही साथ सामाजिक, कृषि वानिकी व वृक्षारोपण योजनाओं द्वारा वृक्षाच्छादन में वृद्धि करना, पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन (इकोलाजिकल बैलेन्स) सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रह, रायल्टी, फीस तथा दंड के रूप में भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा उत्तर प्रदेश वन मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। वन विभाग में राजस्व का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) से वृक्षों, बांस व तेन्दूपत्ता आदि के विदोहन पर रायल्टी से प्राप्त किया जाता है।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, वन विभाग, विभाग की नीतियों के कार्यान्वयन तथा क्रियाकलापों की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं। विभागीय स्तर पर प्रमुख वन संरक्षक (प्र0व0सं0) अध्यक्ष हैं जिनकी सहायता तीन अपर प्र0व0सं0 व वित्त नियंत्रक (वि0नि0) द्वारा की जाती है। वि0नि0 वित्तीय प्रबन्धन जिसमें अनुदान/विनियोग पर नियंत्रण भी सम्मिलित है के लिए उत्तरदायी हैं तथा विभाग के मुख्य आन्तरिक लेखापरीक्षक भी हैं। राजस्व/प्राप्ति का संग्रह संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों द्वारा किया जाता है।

6.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमारा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- प्रभागों की कार्ययोजना तैयार की गयी तथा उसका अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त किया गया था;
- राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी;
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियमों, नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों का अनुपालन किया जा रहा था; तथा
- राजस्व के संग्रहण एवं उचित प्रबन्धन की निगरानी हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समुचित एवं प्रभावी थी।

6.2.4 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

हमने निम्न प्रावधानों के संदर्भ में समीक्षा का संपादन किया:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया।
- उत्तर प्रदेश वन मैनुअल (प्राप्तियाँ)।
- शासनादेश/परिपत्र इत्यादि।
- वन मैनुअल (प्राप्ति) एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका।
- उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978।

6.2.5 नमूना चयन एवं लेखापरीक्षा की विधि

वर्ष 2008-09 में संग्रहीत राजस्व के आधार पर 80 वन प्रभागों को उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत करने के उपरान्त हमने नमूना जांच हेतु स्टैटिस्टिकल रैण्डम सैम्पलिंग प्रणाली द्वारा 26 प्रभागों¹ को चयनित किया।

हमने प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय व 26 चयनित प्रभागों के अभिलेखों (2004-09) की नमूना जांच माह सितम्बर 2009 से मार्च 2010 के दौरान किया।

6.2.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए हम विभाग के आभारी हैं। प्रमुख वन संरक्षक के साथ 18 नवम्बर 2009 को आयोजित प्रारम्भिक विचार गोष्ठी में समीक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की गयी। समीक्षा परिणामों की 8 जुलाई 2010 को आयोजित समापन विचार गोष्ठी में चर्चा की गयी। शासन एवं विभाग का प्रतिनिधित्व क्रमशः सचिव, वन, उत्तर प्रदेश व अपर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा किया गया। उनके उत्तर सम्बन्धित प्रस्तारों में सम्मिलित किये गये हैं।

¹ उच्च जोखिम क्षेत्र: (राजस्व ₹ 7.50 करोड़ से अधिक) वन प्रभाग आगरा, बहराइच, बरेली, बिजनौर (नजीबाबाद), हमीरपुर, महोबा, ओबरा, पीलीभीत (आर0एफ0), रामनगर तथा रेनूकूट (10)।

मध्यम जोखिम क्षेत्र: (राजस्व ₹ 7.50 करोड़ से कम परन्तु ₹ 1 करोड़ से अधिक) वन प्रभाग चित्रकूट, गोंडा, कानपुर देहात, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, पडरौना तथा पीलीभीत (9)।

कम जोखिम क्षेत्र: (राजस्व ₹ 1 करोड़ से कम) वन प्रभाग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (खीरी), एटा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर तथा सिद्धार्थ नगर (7)।

लेखापरीक्षा के परिणाम

तंत्र की कमियाँ

6.2.7 अवास्तविक बजट अनुमान

बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार आंकलन को बजट वर्ष में प्राप्त होने वाली सम्भावित वास्तविक प्राप्तियों के अनुरूप दर्शाना चाहिये।

विगत पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियों तथा बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के

बीच अंतर के प्रतिशत की स्थिति नीचे वर्णित है:

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
2004-05	79.31	107.42	28.11	35
2005-06	79.10	161.98	82.88	105
2006-07	127.46	212.37	84.91	67
2007-08	185.15	294.80	109.65	59
2008-09	185.15	271.92	86.77	47

(₹ करोड़ में)

यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर 35 प्रतिशत से 105 प्रतिशत तक था। इस व्यापक अन्तर से पता चलता है कि बजट अनुमान अवास्तविक थे तथा पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों को संज्ञान में नहीं लिया गया था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी, जुलाई 2010 में बताया कि वन विभाग राजस्व उन्मुखी नहीं है तथा अनुमानों को हमेशा संरक्षित पक्ष में रखा जाता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि बजट अनुमान केवल शासन की राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही नहीं बनाये जाते बल्कि राजस्व संग्रह हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग के अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश का कार्य भी करते हैं।

हमारा सुझाव है कि बजट अनुमान वास्तविकता तथा बजट मैनुअल में वर्णित पद्धति के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए।

6.2.8 बकाये की स्थिति

हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2009 को कुल ₹ 10.93 करोड़ राजस्व संग्रह हेतु लंबित था। विवरण निम्नवत है:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (1) उ0प्र0व0नि0 से वसूली योग्य बकाया | ₹ 1.11 करोड़ |
| (2) अन्य से वसूली योग्य बकाया | ₹ 9.82 करोड़ |

योग ₹ 10.93 करोड़

बकायों की अवधिवार/वर्षवार विवरण प्र0व0सं0/प्रभागों के पास उपलब्ध नहीं था।

हमारा सुझाव है कि बकायों के उचित अनुश्रवण हेतु विभाग को एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये। अग्रेतर, उ0प्र0व0नि0 से बकायों की वसूली उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य से भू-राजस्व के बकाये की भाँति मामलों को राजस्व प्राधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संदर्भित करते हुए की जानी चाहिए।

6.2.9 कार्ययोजना

कार्ययोजना एक अभिलेख है जो कि 10 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें वनवर्धन² (सिलवीकल्चरल) कार्य प्रबन्धन का विस्तृत विवरण रहता है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त वन उपज, विभाग के लिये राजस्व अर्जित करते हैं। प्रभाग द्वारा पेड़ों का छपान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कक्षों में किया जाता है तथा अनुमानित प्राप्त प्रकाष्ठ के साथ उ0प्र0व0नि0 को विदोहन हेतु सौंप दिया जाता है।

6.2.9.1 कार्ययोजना की तैयारी में विलम्ब

पाँच प्रभाग³

कार्ययोजना यथासमय तैयार करके भारत सरकार से अनुमोदित करा लिया जाना चाहिये। कार्ययोजना की गैर मौजूदगी वन उपज के विदोहन में बाधा उत्पन्न करती है जो विभाग के राजस्व तथा वन दोनों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बगैर स्वीकृत कार्य योजना के किसी वन उपज का विदोहन गैर कानूनी है।

हमने पाया कि वर्तमान कार्ययोजना वर्ष 2007-08 में कालातीत हो गयी थी तथा 2008-09 के आगे कार्ययोजना अस्तित्व में नहीं थी। कार्ययोजना की तैयारी में विलम्ब दर्शाता है कि निगरानी तंत्र

कमजोर था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी में उत्तर दिया कि कार्ययोजना अब पूर्ण की जा चुकी है। तथापि कार्ययोजना की तैयारी में विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तर मौन है जिसके फलस्वरूप लकड़ी के विदोहन तदोपरान्त इन प्रभागों से राजस्व वसूली में अनवरत विलम्ब हुआ।

हम अनुशंसा करते हैं कि कार्ययोजना की तैयारी की निगरानी की जानी चाहिये तथा वर्तमान कार्ययोजना के समाप्त होने के पूर्व ही भारत सरकार से इसे अनुमोदित करा लेना चाहिये जिससे कि विभाग का राजस्व प्रभावित न हो। शासन को राज्य में कार्ययोजनाओं की तैयारी एवं लागू होने की स्थिति की प्रभावी निगरानी हेतु प्रभागों द्वारा भेजे जाने वाले आवधिक रिटर्न/प्रतिवेदन निर्धारित करने पर विचार करना चाहिये।

² नये रोपस्थली का निर्माण एवं वर्तमान रोपस्थली का विकास तथा इसी प्रक्रिया में वन उपज की बिक्री से राजस्व का संचय।

³ अवध, गोंडा, हरदोई, काशी (रामनगर) तथा सिद्धार्थ नगर।

6.2.9.2 बाँस का विदोहन न किये जाने के कारण रॉयल्टी की क्षति दो प्रभाग⁴

सम्बन्धित कार्ययोजनाओं में वर्णित पातन-चक्र के अनुसार बाँस का पातन/विदोहन तीन से चार वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक पातन श्रेणी तीन/चार वर्षों में काटने योग्य हो जाती है। यदि बाँस की कटाई निर्धारित पातन श्रेणी में नियत वर्ष में नहीं की जाती है, तो वह पातन श्रेणी की कटाई तीन/चार वर्षों बाद ही होगी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व क्षति होगी। बाँस का विदोहन न किया जाना कापिस/कल्लों की ताजा वृद्धि को रोकता है जिससे भविष्य में सम्भावित बाँस बनते हैं।

हमने देखा कि 2004-09 के दौरान उ०प्र०व०नि० को अत्यधिक संख्या में आबंटित बाँस की लाटों का विदोहन उ०प्र०व०नि० द्वारा नहीं किया गया। विभाग ने इन लाटों के विदोहन के मामले

को उ०प्र०व०नि० के साथ आगे भी नहीं बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.75 लाख की रॉयल्टी की क्षति हुई तथा उन लाटों में बाँस की नयी वृद्धि भी बाधित हुई जिससे भविष्य का राजस्व प्रभावित हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान हमारी आपत्ति पर सहमति व्यक्त की और कहा कि वन निगम को विदोहन करना चाहिये। यद्यपि पातन चक्र के अनुसार बाँस का विदोहन सुनिश्चित किये जाने हेतु किये गये प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

6.2.10 45 से०मी० से अधिक व्यास के वृक्षों का आयतन गुणांक निर्धारित न किया जाना

20 प्रभाग⁵

मुख्य वन संरक्षक (प्रबंधन) उ०प्र०, नैनीताल द्वारा जारी आदेशों (जून 1978) के अनुसार यूकेलिप्टस के केवल 45 से०मी० व्यास वर्ग तक के वृक्षों की रॉयल्टी की गणना हेतु पातन चक्र को आठ वर्ष मानते हुए आयतन गुणांक निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात अप्रैल 1993 में पातन चक्र बढ़ाकर 10/30 वर्ष (नहर की पटरी के किनारे के वृक्षों के लिए 10 वर्ष तथा सड़क की पटरी के किनारे के वृक्षों के लिए 30 वर्ष) तथा अप्रैल 1998 में 15 वर्ष (नहर तथा सड़क दोनों की पटरी के किनारे के वृक्षों के लिए) किया गया परन्तु आयतन गुणांक अपरिवर्तित रहा। आयतन गुणांक वृक्षों के व्यास पर निर्भर करता है जो कि आयु के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। 45 से०मी० से अधिक व्यास वाले वृक्षों के आयतन गुणांक का निर्धारण दिसम्बर 2008 में ही किया गया था।

हमने देखा कि 2004-09 के दौरान उ०प्र०व०नि० को 90,916 यूकेलिप्ट के वृक्ष आबंटित किये गये थे जिनका व्यास 45-50 से०मी० तथा 90-95 से०मी० के बीच था। यद्यपि पातन-चक्र को बढ़ाकर क्रमशः अप्रैल 1993 में आठ से 10 वर्ष तथा अप्रैल 1998 में 15 वर्ष कर दिया गया, परन्तु विभाग

⁴ महोबा ₹ 32.28 लाख; रेनूकूट : ₹ 8.47 लाख।

⁵ आगरा: ₹ 2 लाख; बहराइच: ₹ 13.90 लाख; बरेली : ₹ 31.17 लाख; फैजाबाद : ₹ 45.24 लाख; फिरोजाबाद : ₹ 6 लाख; गोंडा: ₹ 6.33 लाख; हरदोई: ₹ 21.19 लाख; जौनपुर : ₹ 2.43 लाख; कानपुर देहात : ₹ 32.12 लाख; ललितपुर : ₹ 2.16 लाख; लखनऊ : ₹ 16.54 लाख; महोबा : ₹ 28,000; मेरठ: ₹ 1.27 करोड़; मिर्जापुर : ₹ 3.43 लाख; ओबरा : ₹ 15,000; पडरौना (कुशीनगर) : ₹ 2.08 लाख; पीलीभीत (आर०ए०फ०) : ₹ 8.09 लाख; पीलीभीत (एस०ए०फ०) : ₹ 1.67 करोड़ रेनूकूट ₹ 15,000; सिद्धार्थ नगर : ₹ 74,000।

द्वारा साथ ही साथ वृक्षों का आयतन गुणांक निर्धारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप अधिक व्यास के वृक्षों पर 2004-09 के मध्य 45 सेमी0 तक के व्यास के वृक्षों की रायल्टी की दर ही लागू की गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी पर सहमति व्यक्त की कि आयतन सारणी विलम्ब से निर्गत की गयी।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जब भी वृक्षों का पातन-चक्र परिवर्तित किया जाए, साथ ही साथ आयतन गुणांक भी निश्चित किया जाये।

6.2.11 वृक्षों की जड़ों को एकत्रित तथा आबंटित करने तथा रायल्टी आरोपण हेतु प्रणाली का न होना

सात प्रभाग⁶

राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों का पातन किया जाता है तथा उ0प्र0व0नि0 द्वारा वन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर देय रायल्टी का भुगतान किया जाता है। सामान्य पातन में वृक्षों को पृथ्वी की सतह से 10 सेमी0 ऊपर से काटा जाता है तथा जड़ों का खुदान अलाभकारी होने के कारण जड़ों को छोड़ दिया जाता है, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों के निर्माण में वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों के निर्माण के रास्ते में पडने वाले पेड़ की जड़ों को एकत्रित तथा उ0प्र0व0नि0 को आबंटित करने तथा उस पर रायल्टी प्रभारित करने हेतु विभाग ने कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की।

हमने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्गों (रा0रा0) तथा सड़कों के निर्माण के दौरान निर्माण एजेन्सियों द्वारा 2004 तथा 2009 के मध्य 88,572 पेड़ जड़ से उखाड़े गये। चूँकि जड़ों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः इनको एकत्र करके उ0प्र0व0नि0 को आबंटित कर रायल्टी प्रभारित की जानी चाहिये थी जैसा कि सीतापुर तथा मुरादाबाद प्रभागों द्वारा

किया गया जहाँ पर जड़ों का आबंटन उ0प्र0व0नि0 को किया गया। यदि इस प्रक्रिया को सभी सात प्रभागों द्वारा अपनाया गया होता तो रायल्टी के रूप में विभाग ₹ 58.01 लाख अर्जित करता।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने जुलाई 2010 में समापन विचार गोष्ठी के दौरान उत्तर दिया कि जलौनी लकड़ी पर रायल्टी वसूली की कोई नीति नहीं है तथा जड़ें जलौनी लकड़ी की श्रेणी में आती हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वन मैनुअल के अनुसार उ0प्र0व0नि0 निस्तारण हेतु आबंटित जलौनी लकड़ी पर रायल्टी देने के लिए उत्तरदायी है। अग्रेतर, विभाग के अन्तर्गत दो प्रभागों ने उ0प्र0व0नि0 को जड़ों का आवंटन किया था।

⁶ फिरोजाबाद : 21,519; हरदोई : 2,277; कानपुर देहात : 9,462; ललितपुर : 12,673; मेरठ : 10,486; पडरौना : 14,526; रामनगर : 17,629; कुल : 88,572 जड़ें।

हमारा सुझाव है कि राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों के निर्माण के दौरान रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों की जड़ों को एकत्रित करके उ०प्र०व०नि० को आबंटित करने तथा उस पर रायल्टी वसूलने की कोई प्रणाली शासन को विकसित करनी चाहिए।

6.2.12 वन तथा खनन विभागों में समन्वय की कमी

आठ प्रभाग⁷

निजी ठेकेदारों द्वारा गैर वन भूमि से खनन हेतु वन प्रभागों द्वारा जिलाधिकारी (खनन विभाग) को जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने फरवरी 2008 में दिशानिर्देश जारी किये। निकाली गयी खनिज पर उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के अन्तर्गत अभिवहन शुल्क आकर्षित होता है।

हमने देखा कि गैर वन भूमि से खनिजों (वन उपज) के खनन के लिए जिलाधिकारियों को 449 अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये। यद्यपि इस प्रकार निकाले गये खनिजों पर अभिवहन शुल्क आकर्षित होता है, विभाग के पास ठेकेदारों/पट्टा धारकों द्वारा

निकाली गयी खनिज की मात्रा की सूचना खनन विभाग से संकलित करने की कोई भी प्रणाली नहीं थी जिससे उन पर अभिवहन शुल्क आरोपित किया जा सके। इस प्रकार समन्वय तथा जिलों में निकाले गये खनिज की मात्रा के आकलन की प्रणाली न होने के कारण विभाग को राजस्व की क्षति हुई। खनन विभाग द्वारा जुलाई 2009 तथा सितम्बर 2010 में सूचित आँकड़ों के आधार पर हमने चार प्रभागों⁸ में वर्ष 2004-09 की अवधि के लिए वसूली योग्य अभिवहन शुल्क ₹ 238.53 करोड़ आगणित किया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान हमारी टिप्पणी से सहमति जतायी, परन्तु राजस्व हानि के बिन्दु को स्वीकार नहीं किया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्खनित खनिज पर उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली के अन्तर्गत अभिवहन शुल्क आकर्षित होता है।

राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए शासन को खनन एवं अन्य विभागों का वन विभाग के साथ समन्वय हेतु कोई तंत्र निर्धारित करने की हम अनुशंसा करते हैं।

6.2.13 दरों का पुनरीक्षण न किया जाना

हमने देखा कि वन विभाग एवं उ०प्र०व०नि० के अधिकारियों की एक समिति की नवम्बर 1992 में बैठक में संस्तुति की गयी कि लीजरेन्ट की दर को बढ़ाकर ₹ 500 से ₹ 1,000 प्रति हेक्टेयर वार्षिक कर दिया जाये। समिति ने यह भी अनुशंसा की कि उ०प्र०व०नि० व वन विभाग की आपसी सहमति से प्रत्येक 5 वर्षों बाद दरों का पुनरीक्षण

⁷ हमीरपुर : 207; हरदोई: 5; कानपुर देहात: 8; ललितपुर: 32; महोबा: 72; ओबरा: 93; पडरौना: 5; रेनूकूट: 27।

⁸ हमीरपुर: ₹ 102.62 करोड़ (2004-09); ललितपुर: ₹ 49.73 करोड़ (2004-09); महोबा: ₹ 85.46 करोड़ (2004-09); ओबरा: ₹ 72.12 लाख (2008-09)।

किया जाये परन्तु 30 नवम्बर 1992 से प्रभावी दर का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी की दरें पिछले कई वर्षों से पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं। उदाहरणार्थ चराई शुल्क 1981 से, अभिवहन शुल्क 2004 से, आरामिल लाइसेंस फीस 2004 से, रोड फीस 1995 से तथा तेंदूपत्ते पर रायल्टी 2002 से बदले नहीं गये हैं। यद्यपि बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु बाजार मूल्य के बढ़ते रुझान को देखते हुए दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया। इन दरों की समय-समय पर समीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान हमारे दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की तथा उत्तर दिया कि जहाँ भी सम्भव है दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

शासन को नियतकालिक रूप से तय अन्तराल पर शुल्क, किराया तथा रॉयल्टी की दरों के पुनरीक्षण हेतु एक प्रणाली निर्धारित करनी चाहिये।

6.2.14 जाँच चौकियों को हटाने/बन्द किये जाने के कारण राजस्व क्षति

सत्रह प्रभाग⁹

उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियमों के अन्तर्गत स्थापित जाँच चौकियों पर प्रत्येक वन उपज पर अभिवहन शुल्क आरोपणीय है। शासन ने वन उपज के अभिवहन पर देय अभिवहन शुल्क, दण्ड आदि के संग्रह हेतु स्थापित वन जांच चौकियों को जुलाई 2008 में तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया। राजस्व संग्रह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे प्रवर्तन गतिविधियों का सुदृढीकरण किया जाना था।

हमने देखा कि इन प्रभागों ने 2007-08 में ₹ 84.44 करोड़ का राजस्व एवं जाँच चौकियों को बन्द किये जाने से पहले अप्रैल 2008 तथा जून 2008 के बीच ₹ 41.60 करोड़ राजस्व का संग्रह

किया। यदि पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2007-08 के राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए तो जाँच चौकियों को हटाने के बाद इन प्रभागों में जुलाई 2008 से मार्च 2009 के मध्य ₹ 42.84 करोड़ की राजस्व की कमी हुई। यद्यपि विभाग को राजस्व में कमी/रिसाव में रोक सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं जैसे प्रवर्तन गतिविधियाँ इत्यादि का सुदृढीकरण करना था तथापि वह पूर्व वर्षों में जाँच चौकियों की सहायता से प्राप्त राजस्व वसूली स्तर को कायम रखने में असफल रहा। शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान भी स्वीकार किया कि जाँच चौकियों को हटाने से राजस्व में आवर्ती क्षति हुई।

⁹ बहराइच: ₹ 2.03 लाख; दुधवा: ₹ 74,000; फैजाबाद: ₹ 4.36 लाख; फिरोजाबाद: ₹ 28.42 लाख; गोडा: ₹ 3.43 लाख; हमीरपुर : ₹ 9.35 करोड़; हरदोई: ₹ 52,000; कानपुर देहात : ₹ 25.29 लाख; ललितपुर: ₹ 44.93 लाख; लखनऊ : ₹ 5.88 लाख; महोबा : ₹ 9.38 करोड़; मिर्जापुर: ₹ 2.66 करोड़; नजीबाबाद: ₹ 1.82 करोड़; ओबरा: ₹ 16.65 करोड़; पीलीभीत (आर0एफ0) ₹ 54.15 लाख; रेनूकूट : ₹ 1.28 करोड़; सिद्धार्थ नगर: ₹ 89,000।

हमारा सुझाव है कि पूर्व में जाँच चौकियों पर संग्रह किये जाने वाले राजस्व में रिसाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

6.2.15 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

किसी संगठन को खुद को आश्वस्त करने के लिए कि निर्धारित प्राणालियाँ अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं०ले०शा०) आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित की गयी है। आं०ले०शा० का वर्ष 2004-05 से 2008-09 के कार्यों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

अवधि	प्रस्तारों का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निस्तारण	प्रस्तारों का अन्तिम अवशेष
2004-05	4,692	460	-	5,152
2005-06	5,152	609	-	5,761
2006-07	5,761	375	-	6,136
2007-08	6,136	145	-	6,281
2008-09	6,281	872	-	7,153

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2004-09 की अवधि के दौरान कोई भी आपत्ति निस्तारित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही के अभाव में 7,153 प्रस्तर लम्बित थे। इससे परिलक्षित होता है कि यह महत्वपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सर्वोत्तम राजस्व संग्रह प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सका।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने समापन विचार गोष्ठी में अवगत कराया कि कर्मचारियों एवं कम्प्यूटरों की कमी की वजह से आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर वन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने पर शासन विचार कर सकता है ताकि राजस्व हितों की सुरक्षा हो तथा इंगित की गयी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनुपालन की कमियाँ

6.2.16 अभिवहन शुल्क का अनारोपण

ललितपुर प्रभाग

उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978, यथासंशोधित जून 2004 के अन्तर्गत वन उपज पर ₹ 38 प्रति मीट्रिक टन (मी0ट0) की दर से अभिवहन शुल्क आरोपणीय है। भारतीय वन अधिनियम के अनुसार पीट, सतही मिट्टी, रॉक तथा खनिजों (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल तथा खानों-खदानों के सभी उत्पादों सहित) को वन उपज माना गया है। उ0प्र0 लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 के अनुसार साधारण मिट्टी भी खनिज है।

हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के निर्माण के दौरान विभाग को बिना अभिवहन शुल्क का भुगतान किये विभिन्न प्रकार के वन उपज जैसे,

मिट्टी, बालू, मोरम, गिट, बजरी तथा स्टोन पिचिंग का अभिवहन किया। विभाग ने भी ठेकेदारों के विरुद्ध अभिवहन शुल्क की माँग सृजित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.62 करोड़ के अभिवहन शुल्क का आरोपण/वसूली नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

सामग्री	आयतन में मात्रा (घन मीटर)	भार में मात्रा (मी0टन) ¹⁰	देय अभिवहन शुल्क (₹ में)
मिट्टी	24,32,322	41,38,165.97	15,72,50,307
बालू	--	46,436.00	17,64,568
मोरम	8,24,305	16,48,610.00	6,26,47,180
बजरी	8,73,879	18,16,376.67	6,90,22,314
अन्य सामग्री स्टोन पिचिंग	86,000	1,46,313.80	55,59,924
योग		77,95,902.44	29,62,44,293

हमने देखा कि इसी तरह के निर्माण कार्य नमूना जाँच किये गये अन्य छः प्रभागों¹¹ में किया गया है, परन्तु प्रयुक्त खनिज/वन उपज के विवरण उपलब्ध नहीं थे, अतः इन छह प्रभागों में वास्तविक हानि को मात्राकृत नहीं किया जा सका। यद्यपि, ऐसे सभी प्रभागों में जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क निर्माण/अन्य निर्माण कार्य किये गये हैं, अभिवहन शुल्क की क्षति हुई है।

¹⁰ खनिजों का घनमीटर से मीट्रिक टन में रुपान्तरण की दर:-
मिट्टी तथा स्टोन पिचिंग : 9 मी0ट0 प्रति 5.29 घनमीटर
मोरम : 9 मी0ट0 प्रति 4.50 घनमीटर
बजरी : 9 मी0ट0 प्रति 4.33 घनमीटर

¹¹ फिरोजाबाद; हरदोई; कानपुर (देहात); मेरठ; पडरौना; रामनगर।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान उत्तर दिया कि ये सामग्रियाँ वन क्षेत्रों से नहीं लायी गयी थीं तथा भारतीय वन अधिनियम में वन उपज की परिभाषा के अनुसार यह वन उपज नहीं थे। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासन ने ही गैर-वन भूमि से निकाले गये खनिजों पर अभिवहन शुल्क वसूल करने हेतु आदेश (फरवरी 2008) जारी किया था।

6.2.17 जब्त एवं दावारहित प्रकाष्ठ का निस्तारण न किया जाना

तेरह प्रभाग¹²

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत दावारहित प्रकाष्ठ सरकार में निहित होगी। प्रमुख वन संरक्षक द्वारा जारी आदेश (मार्च 1996) के अनुसार जब्त एवं दावारहित वन उपज को तत्काल उ0प्र0व0नि0 को आबंटित अथवा हस्तान्तरित कर देना चाहिए जो आबंटन के 90 दिनों के अन्दर नीलाम की जा सकती है।

हमने देखा कि 1989-90 से 2008-09 तक ₹ 86.89 लाख मूल्य का प्रकाष्ठ अनिस्तारित पड़ा हुआ था। चूँकि प्रकाष्ठ नाशवान है, अतः अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने हेतु इसका समय से निस्तारण

आवश्यक है। विभाग की निष्क्रियता के कारण ₹ 86.89 लाख का राजस्व अवरुद्ध रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमति जतायी। यद्यपि उत्तर में जब्त एवं दावारहित प्रकाष्ठ के निर्धारित समय से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु उठाये गये कदमों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

6.2.18 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल न किया जाना

तीन प्रभाग¹³

पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2003 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में प्रयोग हेतु वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य भूमि की मात्रा एवं घनत्व के आधार पर ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हेक्टेअर तक वसूल किया जायेगा।

हमने देखा कि वन भूमि का हस्तान्तरण (2003-05) सरकारी विभाग (लोक निर्माण, सिंचाई) तथा एक निजी कम्पनी (एयरटेल) को किया गया। भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य

₹ 3.90 करोड़ की वसूली भूमि हस्तान्तरण से पहले की जानी चाहिये थी। हमने देखा कि इसमें से उपयोक्ता विभागों/अभिकरणों से केवल ₹ 2.95 करोड़ की ही मांग मार्च 2006 से दिसम्बर 2009 के मध्य सृजित की गयी तथा ₹ 94.60 लाख शेष छोड़ दिया गया। कम मांग सृजित करने के कारण न तो अभिलेखों में अंकित थे और न ही शुद्ध वर्तमान देय जिसकी मांग सृजित की गयी थी, की वसूली का कोई प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ के शुद्ध वर्तमान देय की वसूली नहीं हुई।

¹² आगरा: ₹ 1.57 लाख; बरेली: ₹ 2.19 लाख; दुधवा: ₹ 23.97 लाख (1993-94); गोंडा: ₹ 3.32 लाख (2005); हरदोई: ₹ 13.90 लाख (2004); जौनपुर: ₹ 99,000 (1989-90); कानपुर देहात: ₹ 39,000 (2007-08); लखनऊ: ₹ 5.05 लाख (2001-02); मेरठ: ₹ 11.24 लाख (1997-98); मिर्जापुर: ₹ 1.51 लाख (2001); पडरौना (कुशीनगर): ₹ 2 लाख (1997-98); पीलीभीत (एस0एफ0): ₹ 6.11 लाख; रामनगर: ₹ 14.66 लाख (1999-2000)।

¹³ बहराइच: ₹ 94.60 लाख; जौनपुर: ₹ 2.06 करोड़; मिर्जापुर: ₹ 89.06 लाख।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान हमारी आपत्ति पर सहमति व्यक्त की एवं आश्वस्त किया कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अग्रेतर, सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2010)।

6.2.19 प्रेषणों का कोषागार से मिलान न किया जाना

चार प्रभाग¹⁴

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VII के प्रस्तर 185 में प्रावधान है कि प्रत्येक कोषागार जिसने विगत माह में वन प्रेषण को प्राप्त किया है, प्रत्येक प्रेषण का विवरण अलग-अलग दर्शाते हुए प्रत्येक माह की पहली तारीख को कन्सालिडेटेड ट्रेजरी रिसीट सम्बन्धित प्रभागीय अधिकारी को भेजेगें। प्रेषणों का मिलान प्रपत्र सं० 26 से किया जाना चाहिये तथा विसंगति, यदि कोई हो, उसे वर्तमान माह में सम्बन्धित प्रभाग द्वारा ठीक करा लेनी चाहिये।

हमने देखा कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध ₹ 34.45 करोड़ की वन प्राप्तियों का मिलान कोषागार के अभिलेखों से नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान हमारे निष्कर्षों से सहमति जतायी।

6.2.20 राजस्व प्राप्ति को जमा में लेखांकित किया जाना

दस प्रभाग¹⁵

उ०प्र० वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 21 एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 97 (iii) के अनुसार विभागीय अधिकारियों को यह यह देखना चाहिए कि सरकार को देय समस्त राजस्व प्राप्तियों का शुद्ध एवं उचित निर्धारण हो रहा है तथा सरकारी खाते में बिना किसी विलम्ब के जमा हो रही हैं। सरकार ने शासनादेश (जून 1999) के द्वारा निर्देशित किया था कि समस्त करेतर राजस्व को वन राजस्व शीर्ष "0406 वन राजस्व" में जमा किया जाना चाहिये।

हमने देखा कि वर्ष 1997-98 से 2008-09 तक पौध बिक्री, अभिवहन शुल्क, पट्टा किराया, आदि से प्राप्त धनराशि ₹ 1.46 करोड़ को राजस्व शीर्ष "0406 वन राजस्व" के बजाय वन-जमा खाता शीर्ष "8782-103-वन जमा" में जमा किया गया। इन प्रभागों द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने समापन विचार गोष्ठी के दौरान टिप्पणी से सहमति जतायी।

¹⁴ दुधवा: ₹ 1.11 करोड़ (4/06 से 3/09); हरदोई: ₹ 1.88 करोड़ (4/05 से 03/09); रामनगर: ₹ 31.12 करोड़ (4/08 से 03/09); सिद्धार्थ नगर: ₹ 33.89 लाख (4/07 से 3/09)।

¹⁵ आगरा: ₹ 5.23 लाख; दुधवा: ₹ 14.71 लाख; गोंडा: ₹ 1.04 लाख; हमीरपुर: ₹ 73.67 लाख; हरदोई: ₹ 5.78 लाख; ललितपुर: ₹ 11.46 लाख; पडरौना (कुशीनगर): ₹ 1.34 लाख; पीलीभीत (एस०एफ०): ₹ 1.02 लाख; रेनूकूट ₹ 30.88 लाख; सिद्धार्थ नगर: ₹ 60,000।

6.2.21 निष्कर्ष

हमारी समीक्षा ने इंगित किया कि 2008-09 से आगे कई प्रभागों के लिए कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी। चूँकि वानिकी गतिविधियों के उचित प्रबन्धन के लिए कार्ययोजना आवश्यक है, इनकी अनुपस्थिति वनों के विकास एवं पुनरोत्पादन पर गहरा प्रभाव डालती है। उ०प्र०व०नि० द्वारा बाँस के विदोहन को सुनिश्चित न करने के कारण राजस्व की हानि हुई। वन विभाग द्वारा अन्य विभागों/एजेन्सियों जैसे खनन विभाग से समन्वय की कमी से भी राजस्व क्षति हुई तथा शुल्क, किराया एवं रायल्टी की दरों को समयबद्ध ढंग से पुनरीक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। पातन चक्र में बदलाव के साथ-साथ आयतन गुणांक का निर्धारण नहीं किया गया। जाँच चौकियों से अर्जित होने वाले राजस्व को प्राप्त करने के लिए बिना किसी प्रभावी वैकल्पिक तंत्र के जाँच चौकियों को हटाये जाने से राज्य को अत्यधिक राजस्व क्षति हुई।

6.2.22 संस्तुतियाँ

शासन निम्न संस्तुतियों को लागू करने पर विचार कर सकता है।

- बजट अनुमान बजट मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वास्तविक एवं वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये;
- उ०प्र०व०नि० से बकायों की वसूली उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य से भू-राजस्व के बकाये की भाँति मामलों को राजस्व प्राधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संदर्भित करते हुए की जानी चाहिए;
- कार्ययोजना की तैयारी की निगरानी की जानी चाहिये तथा वर्तमान कार्ययोजना के समाप्त होने के पूर्व ही भारत सरकार से इसे अनुमोदित करा लेना चाहिये जिससे कि विभाग का राजस्व प्रभावित न हो। शासन को राज्य में कार्ययोजनाओं की तैयारी एवं लागू होने की स्थिति की प्रभावी निगरानी हेतु प्रभागों द्वारा भेजे जाने वाले आवधिक रिटर्न/प्रतिवेदन निर्धारित करने पर विचार करना चाहिये;
- जब भी वृक्षों का पातन चक्र परिवर्तित किया जाए, साथ ही साथ आयतन गुणांक भी निश्चित किया जाये;
- राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों के निर्माण के दौरान रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों की जड़ों को एकत्रित करके उ०प्र०व०नि० को आबंटित करने तथा उस पर रायल्टी वसूलने की कोई प्रणाली विकसित की जाए;
- राजस्व क्षति से बचने के लिए अन्य विभागों एवं एजेन्सियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिये;
- नियतकालिक समीक्षा हेतु एक प्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए तथा शुल्क, किराया एवं रायल्टी की दरों को तय अन्तराल में पुनरीक्षित किया जाना चाहिए;

- राजस्व हितों की सुरक्षा तथा इंगित की गयी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये वन अधिकारियों को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये; तथा
- पूर्व में जाँच चौकियों पर संग्रह किये जाने वाले राजस्व में रिसाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

6.3 अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

सिंचाई विभाग तथा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में प्रतिशतता प्रभार एवं रायल्टी की वसूली न किया जाना, शल्य क्रिया शुल्क का कम आरोपण के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरो में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

6.4 निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभार का अनारोपण

शारदा नहर खण्ड, बाराबंकी

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V (भाग-1) के प्रावधानों के साथ पठित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त 1998 के अन्तर्गत राज्य में वाणिज्यिक विभागों तथा स्थानीय निकायों के निक्षेप कार्यों को सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने की दशा में निर्माण कार्यों के वास्तविक परिव्यय पर सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार आरोपित एवं राजकीय लेखों में जमा किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से खण्ड द्वारा किये गये ₹ 15.20 करोड़ के निक्षेप कार्यों में से माह फरवरी 2009 से फरवरी 2010 के मध्य खर्च किये गये ₹ 7.40 करोड़ पर विभाग द्वारा ₹ 92.54

लाख प्रतिशतता प्रभार आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि परियोजना के नियम एवं शर्तों में प्रतिशतता प्रभार का कोई प्रावधान नहीं है। परियोजना के नियम एवं शर्तों में संशोधन एवं उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात् प्रतिशतता प्रभार की वसूली की जायगी।

हमने विभाग एवं शासन को मार्च 2010 में मामला प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

6.5 स्टोन बैलास्ट के संग्रह पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

पीलीभीत में सिंचाई विभाग का शारदा सागर खण्ड

शासन ने अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर 1988 सपठित 2 फरवरी 2001 को जारी निर्देशों के द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया था कि ठेकेदारों / आपूर्तकों को स्टोन बैलास्ट, मोरम, मिट्टी एवं बालू की आपूर्ति का भुगतान करने से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने खान एवं खनिज विभाग को रायल्टी का भुगतान कर दिया है तथा खान एवं खनिज विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र एम0एम0-11 में प्राप्ति प्रस्तुत कर दी है। विफलता की दशा में ठेकेदारों/आपूर्तकों के देयको से रायल्टी की कटौती कर ली जाये।

हमने देखा कि 19 ठेकेदारों ने माह अप्रैल 2007 एवं जून 2008 के मध्य निर्माण कार्यों के लिए शारदा सागर खण्ड को 32,486.03 घन मीटर स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति की। खण्ड के अभिलेखों की हमारी जाँच में हमने पाया कि खण्ड ने ठेकेदारों को पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान करने से पूर्व न तो खान एवं खनिज

विभाग द्वारा निर्गत प्राप्ति प्रपत्र एम0एम0-11 प्राप्त किया और न ही उनके देयकों से निर्धारित दर¹⁶ से रायल्टी की कटौती की गयी। फलस्वरूप ₹ 10.40 लाख के रायल्टी की हानि हुई।

हमने विभाग एवं शासन को मार्च 2010 में मामला प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

6.6 शल्य-क्रिया शुल्क का कम आरोपण

छः¹⁷ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

शासनादेश दिनांक 28 जून 2000 के अनुसार राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों (राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्ता परक चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्क दिनांक 1 जुलाई 2000 से आरोपणीय था। इस प्रकार आरोपणीय चिकित्सा सेवा शुल्कों में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। शासन ने 31 दिसम्बर 2003 के आदेश द्वारा मात्र कैलेण्डर वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सेवा शुल्कों में वृद्धि को रोका था।

हमने सितम्बर 2009 से जनवरी 2010 के मध्य देखा कि कैलेण्डर वर्ष 2005 से 2009 के मध्य चिकित्सालयों द्वारा शल्य क्रिया शुल्क के रूप में ₹ 1.38 करोड़ आरोपित किये गये। जबकि पुनरीक्षित दर से शुल्क की गणना ₹ 2.24 करोड़ होती थी।

चिकित्सा सेवा शुल्क का आरोपण पुनरीक्षित दर की अपेक्षा पुरानी दर से करने के फलस्वरूप ₹ 86.69 लाख का सेवा शुल्क कम आरोपित किया गया।


¹⁶ ₹ 32 प्रति घन मीटर।

¹⁷ बलिया, फिरोजाबाद, गोण्डा, हरदोई, खीरी तथा रायबरेली।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद मु0चि0 अधीक्षक हरदोई ने बताया कि दिनांक 31.12.2003 के आदेश द्वारा चिकित्सा सेवा शुल्को में वृद्धि रोक दी गई थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह आदेश मात्र कैलेण्डर वर्ष 2004 के लिए प्रभावी था। अन्य मु0 चि0 अधीक्षकों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

हमने विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य मामला प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2010)।

लखनऊ
दिनांक : **11 मई 2011**


(डा0 स्मिता एस0 चौधरी)
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : **13 मई 2011**


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.9.7.2)

विभाग का पुनर्गठन और कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति का विश्लेषण
वैट के पूर्व एवं वैट के पश्चात की अवधि में संगठनात्मक ढांचा एवं कर्मचारियों/अधिकारियों
की स्थिति का श्रेणीवार विवरण।

कार्यालय

कार्यालय की श्रेणी	वैट के पहले	वैट के बाद
जोनल कार्यालय	14	20
रीजनल कार्यालय	39	45
ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सेल)	शून्य	20
ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट/रजिस्ट्रेशन/फार्म)	शून्य	20
विशेष अनुसंधान शाखा कार्यालय	39	45
कर निर्धारण कार्यालय	241	441
डिप्टी कमिश्नर (वसूली)	20	20
डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)	20	20
डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (राज्य प्रतिनिधि)	51	51
सचल दल कार्यालय	54	150
चेक पोस्ट	83	शून्य
योग	561	832

अधिकारी

अधिकारी की श्रेणी	वैट के पहले	वैट के बाद	
	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	पदस्थ की स्थिति
कमिश्नर	01	01	01
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1	14	23	21
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2	02	77	73
ज्वाइंट कमिश्नर	125	157	155
डिप्टी कमिश्नर	317	494	420
असिस्टेंट कमिश्नर	792	964	582
वाणिज्य कर अधिकारी	1056	1275	514
ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या)	00	01	शून्य
डिप्टी डायरेक्टर (संख्या)	01	04	01
संख्या अधिकारी	03	24	शून्य
योग	2311	3020	1767

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि में स्वीकृत पदों तथा पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति।

क्रम सं०	कैडर का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		स्वीकृत पद	पदस्थ	स्वीकृत पद	पदस्थ	स्वीकृत पद	पदस्थ	स्वीकृत पद	पदस्थ
1.	लिपिक	5160	4667	5160	4672	5160	4727	5160	4604
2.	आशुलिपिक	861	803	861	805	861	803	861	805
3.	सांख्यिकीविद्	185	127	185	167	185	164	185	152
4.	सम्प्रेक्षक	91	43	91	38	91	39	91	34
5.	लेखाकार	131	33	121	33	121	33	121	33
6.	चालक	459	349	459	336	459	362	459	362
7.	गुप-डी	3529	2945	3529	2940	3529	2940	3529	2959

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना।

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.9.12.1)

क्रम सं०	वादों के उद्धरण
	धारा 15ए(1)(सी)-टर्नओवर छिपाने पर अर्थदण्ड
1.	सर्वश्री जीवन राम,राम लखन बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया०771
2.	सर्वश्री रोशन ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 498
3.	सर्वश्री नार्दन इण्डिया केमिकल वर्क्स बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 52
4.	सी०टी०टी० बनाम धर्मपाल वाशने आयल एक्सपेलेर एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 29
5.	सी०एस०टी० बनाम जमुना ब्रिक फील्ड एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 17
6.	सर्वश्री दुर्गा मातेश्वरी मिल्स बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 8
7.	सर्वश्री मोती लाल जवाहर लाल बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2003 इला० उच्च न्याया० 769, 2003 एन०टी०एन०(वाल्सूम 23) 590 इला० उच्च न्याया०
8.	सर्वश्री मोती लाल द्वारका प्रसाद बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2003 इला० उच्च न्याया० 756
9.	सी०एस०टी० बनाम महेश्वरी मिल स्टोर, एस०टी०आई० 2003 इला० उच्च न्याया० 663
10.	सी०एस०टी० बनाम अग्रवाल किराना कारपोरेशन एस०टी०आई० 2003 इला० उच्च न्याया० 609
11.	सी०एस०टी० बनाम मस्त राम बीडी मर्चेन्ट एस०टी०आई० 2003 इला० उच्च न्याया० 127, 2003 एन० टी० एन० (वाल्सूम 22) 201 इला० उच्च न्याया०
	धारा 15ए(1)(ओ)-धारा 28ए के प्रावधान के उल्लंघन पर आयातित माल के परिवहन पर अर्थदण्ड
12.	सी०टी०टी० बनाम रावल बटन स्टोर 2007 एन० टी० एन० (वाल्सूम 33) 149 इला० उच्च न्याया० (2007) 5 वी०एल०जे० 150 इला० उच्च न्याया०
13.	सर्वश्री लिंक मार्केटिंग सर्विसेस (इला०)बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2006 इला० उच्च न्याया० 403, 2006 यू०पी०टी०सी० 1194, 2006 एन० टी० एन० (वाल्सूम 31) 13 इला० उच्च न्याया० (2006) 44 एस०टी०आर० 699 उच्च न्याया०
14.	सी०टी०टी० बनाम आर०के० इन्टरप्राइजेज 2006 एन० टी० एन० (वाल्सूम 30) 1 इला० उच्च न्याया० (2006) 4 वी०एल०जे० 100 इला० उच्च न्याया०
15.	सर्वश्री जे०पी० रीवा सीमेन्ट बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2006 इला० उच्च न्याया० 171,(2006) 43 एस०टी०आर० 261 उच्च न्याया० (2006) 4 वी०एल०जे० 117 इला० उच्च न्याया०
16.	सर्वश्री फेडर्स लायड कारपोरेशन लि० बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2006 इला० उच्च न्याया० 156
17.	सर्वश्री उमा सेन्ड कोटिंग प्रा० लि० बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2006 इला० उच्च न्याया० 133
18.	सर्वश्री बरनवाल कारपेट मैनुफेक्चरिंग कम्प० बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2006 इला० उच्च न्याया० 73
19.	सर्वश्री जिन्दल स्ट्रिप्स लि० बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्याया० 676, (2005) एस०टी०डी० उच्च न्याया० 77 2005 एन०टी०एन०(वाल्सूम 27) 176 इला० उच्च न्याया०
20.	सर्वश्री इन्सट्र्यूमेन्टेशन लि० बनाम सी०टी०टी०, एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्याया० 256, 2005 एन०टी०एन०(वाल्सूम 26) 371 इला० उच्च न्याया०
21.	सर्वश्री फ्लोसिन फ्रैगरेन्सेस बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्याया० 227, 2005 एन०टी०एन०(वाल्सूम 26) 405 आर०एस०
22.	सी०एस०टी० बनाम पारसरामपुरिया सिन्थेक्टिस लि० एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्याया० 214,
23.	सर्वश्री चुकनू मार्केटिंग प्रा० लि० बनाम सी०टी०टी० एस०टी०आई० 2005 इला० उच्च न्याया०, 107,(2005) 41 एस०टी०आर० 247 उच्च न्याया०
24.	सर्वश्री ताज प्लास्टिक हाउस बनाम सी०एस०टी०, एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 806, 2004 यू०पी०टी०सी० 729, 2004 एन० टी० एन० (वाल्सूम 25) 1105 इला० उच्च न्याया० (2004) 40 एस०टी०आर० 733 उच्च न्याया०
25.	सर्वश्री एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट लि० बनाम सी०टी०टी०, एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 780, 2004 यू०पी०टी०सी० 1265,
26.	सर्वश्री राधा बल्लभ सतीस चन्द्र बनाम सी०एस०टी०, एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 649, 2004 यू०पी०टी०टी० 852, 2004 एन० टी० एन० (वाल्सूम 25) 760 इला० उच्च न्याया० (2004) 40 एस०टी०आर० 727 उच्च न्याया०
27.	सर्वश्री लिफ्टन इण्डिया लि० बनाम सी०एस०टी०, एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 644, 2004एन० टी० एन० (वाल्सूम 25) 1032 इला० उच्च न्याया० (2004) 40 एस०टी०आर० 1201 उच्च न्याया०
28.	सी०एस०टी० बनाम श्रवण कुमार एण्ड ब्रदर्स एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया० 610,
29.	सर्वश्री वर्दन टेक्सटाइल्स बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2004 इला० उच्च न्याया०, 154,(2004) 39 एस०टी०आर० 103 उच्च न्याया०
30.	सर्वश्री विम्को लि० बनाम सी०एस०टी० एस०टी०आई० 2001 इला० उच्च न्याया० 133

परिशिष्ट-III

(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.9.18)

वर्ष 2008-09 की अवधि में निस्तारित वाद

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान निस्तारित वादों की संख्या	मार्च माह में निस्तारित वादों की संख्या	कुल वादों के सापेक्ष माह में निस्तारित वादों प्रतिशत
1.	डि०कमि०-5, नोयडा	703	448	64
2.	डि०कमि०-6, नोयडा	220	135	61
3.	डि०कमि०-8, नोयडा	234	117	50
4.	डि०कमि०-13, मेरठ	125	62	50
5.	डि०कमि०-4, नोयडा	632	420	66
6.	डि०कमि०-13, नोयडा	985	458	46
7.	डि०कमि०-20, लखनऊ	294	200	68
8.	डि०कमि०-4, मुरादाबाद	261	185	70
9.	डि०कमि०-10, मुरादाबाद	395	313	79
10.	डि०कमि०-8, झाँसी	344	124	36

वर्ष 2009-10 की अवधि में निस्तारित वाद

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	वर्ष के दौरान निस्तारित वादों की संख्या	मार्च माह में निस्तारित वादों की संख्या	कुल वादों के सापेक्ष माह में निस्तारित वादों प्रतिशत
1.	डि०कमि०-15, लखनऊ	88	29	32.95
2.	डि०कमि०-16, लखनऊ	212	85	40.09
3.	डि०कमि०-4, गाजियाबाद	239	185	77.41
4.	डि०कमि०-9, गाजियाबाद	400	96	24
5.	डि०कमि०-10, नोयडा	510	235	46.08
6.	डि०कमि०-14, नोयडा	536	336	62.69
7.	डि०कमि०-7, मेरठ	447	140	31.32
8.	डि०कमि०-सरधना मेरठ	319	156	48.90
9.	डि०कमि०-3, मुजफ्फरनगर	49	02	4.08
10.	डि०कमि०-8, मुजफ्फरनगर	318	120	37.74
11.	डि०कमि०-3, बरेली	182	88	48.35
12.	डि०कमि०-10, आगरा	32	03	9.38
13.	डि०कमि०-11, आगरा	422	60	14.22
14.	डि०कमि०-7, अलीगढ़	117	29	24.78
15.	डि०कमि०-8, अलीगढ़	216	94	43.52
16.	डि०कमि०-12, कानपुर	736	136	18.48
17.	डि०कमि०-17, कानपुर	250	108	43.20
18.	डि०कमि०-21, कानपुर	167	72	43.11
19.	डि०कमि०-5, वाराणसी	121	25	20.66
20.	डि०कमि०-6, वाराणसी	26	17	65.38
21.	डि०कमि०-3, इलाहाबाद	70	12	17.14
22.	डि०कमि०-9, इलाहाबाद	54	10	18.52
23.	डि०कमि०-3, मुरादाबाद	151	25	16.56
24.	डि०कमि०-7, मुरादाबाद	142	53	37.32

परिशिष्ट-IV

**कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.1.2)**

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर (₹ लाख में)	कर की दर आरोपणीय	कम आरोपित कर (₹ लाख में)
						आरोपित (प्रतिशत)	
1.	डि०क०-15, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (अक्टूबर 2007)	पी०वी०सी० सोल	19.22	10/4	1.15
			2006-07 (अक्टूबर 2008)	—तदैव—	6.03	10/4	0.36
			2007-08 (दिसम्बर 2008)	पी०वी०सी० सोल, पी०यू० लेदर क्लाथ	12.53	10/04	0.75
2.	डि०क०-15, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (नवम्बर 2008)	होजरी	133.00	5/4	1.33
3.	डि०क०-17, वा०क०, कानपुर	1	2004-05 (नवम्बर 2006)	मल्टीलेयर पोलीफिल्म	112.17	4/2.5	1.68
			2005-06 (नवम्बर 2008)	—तदैव—	153.92	4/2.5	2.30
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	78.58	4/2.5	1.18
4.	डि०क०-1, वा०क०, शामली	1	2003-04 (जनवरी 2006)	खाली बोटल	26.93	5/4	0.27
			2004-05 (मार्च 2007)	—तदैव—	121.14	5/4	1.21
			2005-06 (फरवरी 2009)	—तदैव—	140.05	5/4	1.40
5.	डि०क०-1, वा०क०, शामली	1	2004-05 (मार्च 2007)	सल्फर	13.61	4/2.5	0.20
			2005-06 (फरवरी 2009)	—तदैव—	25.22	4/2.5	0.38
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	55.05	4/2.5	0.83
6.	डि०क०-13, वा०क०, वाराणसी	1	2005-06 (अक्टूबर 2007)	ट्रान्समिशन लाइन टूल्स	43.90	12/8	1.76
			2006-07 (अक्टूबर 2008)	—तदैव—	2.08	12/8	0.08
योग		6			943.57		14.88

परिशिष्ट-V

माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.1.2)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	अनियमितताओं की प्रकृति	टर्नओवर (₹ लाख में)	कर की आरोपणीय दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर (₹ लाख)
1.	डि०क०(क०नि०)-11, वा०क०, इलाहाबाद	1	2005-06 (मार्च 2009)	लिथो प्रिंटिंग प्लेट्स को एल्यूमिनियम शीट माना गया	21.71	10	4	1.3
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	42.13	10	4	2.3
2.	डि०क०(क०नि०)-9, वा०क०, इलाहाबाद	1	2005-06 (फरवरी 2009)	संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीट मीट व नमकीन जिस पर उपभोक्ता के बिन्दु पर बिक्री माना गया जबकि संरक्षित खाद्य सामग्री निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता है	223.29	12	5	15.1
			2006-07 (फरवरी 2009)	—तदैव—	271.21	12	5	18.5
3.	डि०क०(क०नि०)-5, वा०क०, गाजियाबाद	1	2004-05 (मार्च 2007)	डी०वी०डी० प्लेयर को अन्य इलेक्ट्रानिक गुड्स माना गया	22.00	12	8	0.2
			2005-06 (जनवरी 2009)	—तदैव—	19.18	12	8	0.5
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	4.22	12	8	0.1
4.	डि०क०(क०नि०)-13, वा०क०, गाजियाबाद	1	2005-06 (मार्च 2009)	यू०पी०एस० को पावर सप्लाय डिवाइस माना गया	56.44	8	4	2.3
			2006-07 (मार्च 2009)	यू०पी०एस० को पावर सप्लाय डिवाइस माना गया	14.97	8	4	0.1
5.	डि०क०(क०नि०)-10, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (सितम्बर 2008)	टोनर पाउडर को कम्प्यूटर पार्ट्स माना गया	15.89	10	4	0.5
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	26.19	10	4	1.2
6.	डि०क०(क०नि०)-11, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (अक्टूबर 2007)	गैस लाइटर को इलेक्ट्रानिक गुड्स माना गया	33.13	10	8	0.4
			2006-07 (फरवरी 2009)	—तदैव—	22.45	10	8	0.4
7.	डि०क०(क०नि०)-29, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (मार्च 2009)	प्रोसेस केमिकल को कैटालिस्ट माना गया	211.94	4	2.5	3.1
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	27.45	4	2.5	0.4

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	अनियमितताओं की प्रकृति	टर्नओवर (₹ लाख में)	कर की आरोपणीय दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर (₹ लाख में)
1.	डि०क०(क०नि०)-19, वा०क०, लखनऊ	1	2005-06 (मार्च 2009)	एल्यूमिनियम फ्वायल को एल्यूमिनियम शीट माना गया	24.25	10	4	1.46
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	26.32	10	4	1.58
2.	डि०क०(क०नि०)-14, वा०क०, लखनऊ	1	2006-07 (दिसम्बर 2008)	कार सिक्यूरिटी सिस्टम (कम्पोनेन्ट पार्ट्स एवं एक्ससरीज) को अवर्गीकृत माना गया	83.04	12	10	1.66
3.	डि०क०(क०नि०)-11, वा०क०, मेरठ	1	2005-06 (मार्च 2009)	प्रिंटेड कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं फार्मस को पेपर माना गया	59.60	10	5	2.98
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	77.42	10	5	3.87
4.	डि०क०(क०नि०)-1, वा०क०, मुजफ्फरनगर	1	2006-07 (मार्च 2009)	वेस्ट पेपर को पेपर माना गया	40.46	8	5	1.21
5.	डि०क०(क०नि०)-3, वा०क०, मुजफ्फरनगर	1	2003-04 (फरवरी 2005)	इण्डस्ट्रीयल साल्वेन्ट को केमिकल माना गया	17.20	12	4	1.38
			2004-05 (मई 2006)	—तदैव—	2.77	12	4	0.22
			2005-06 (जनवरी 2009)	—तदैव—	14.24	12	4	1.14
			2006-07 (मार्च 2009)	—तदैव—	25.88	12	4	2.07
6.	डि०क०(क०नि०)-6, वा०क०, सहारनपुर	1	2005-06 (अक्टूबर 2007)	कूलिंग गैस को केमिकल माना गया	14.05	8	4	0.56
			2006-07 (अक्टूबर 2008)	—तदैव—	24.04	8	4	0.96
7.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, वाराणसी	1	2006-07 (फरवरी 2007)	संरक्षित खाद्य सामग्री को स्वीट मीट व नमकीन जिस पर उपभोक्ता के बिन्दु पर बिक्री माना गया जबकि संरक्षित खाद्य सामग्री निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर देयता है	65.29	12	5	4.57
योग		14			1,486.76			73.99

परिशिष्ट-VI**राज्य विकास कर का अनारोपण****(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.1.3)**

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर योग टर्नओवर (₹ लाख में)	आरोपणीय विकास कर (₹ लाख में)
1.	डि०क०(क०नि०), वा०क० डिबई, बुलन्दशहर	1	2005-06 (अक्टूबर 2007)	67.59	0.68
			2006-07 (सितम्बर 2008)	91.16	0.91
2.	डि०क०(क०नि०)-3, वा०क०, इटावा	1	2005-06 (मार्च 2009)	690.77	6.91
			2006-07 (मार्च 2009)	1292.91	12.93
3.	डि०क०(क०नि०)-3, वा०क०, गोरखपुर	1	2005-06 (दिसम्बर 2008)	977.87	9.78
4.	अ० कमि०, खण्ड-4, गाजियाबाद	1	2006-07 (मार्च 2009)	161.05	1.61
5.	डि०क०(क०नि०)-2, वा०क०, मेरठ	1	2006-07 (अक्टूबर 2008)	109.12	1.09
6.	डि०क०(क०नि०)-5, वा०क०, मेरठ	1	2005-06 (अक्टूबर 2008)	167.66	1.68
7.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, नोयडा	1	2005-06 (मार्च 2008)	612.86	6.13
8.	डि०क०(क०नि०)-9, वा०क०, वाराणसी	1	2005-06 (अगस्त 2008)	178.00	1.78
			2006-07 (मार्च 2009)	103.00	1.03
योग		8		4,451.99	44.53

परिशिष्ट-VII

धारा 15ए (1)(ए) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.2.2)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	स्वीकृत कर की धनराशि (₹ लाख में)	बिलम्ब की अवधि (दिन में)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ लाख में)
1.	डि०क०(क०नि०), वा०क०, देवरिया	1	2005-06 (फरवरी 2008)	30.33	1 से 9	3.03
2.	डि०क०(क०नि०)-1, वा०क०, फर्रुखाबाद	1	2006-07 (मार्च 2009)	15.23	16 से 116	1.52
3.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, गाजियाबाद	1	2005-06 (फरवरी 2009)	15.14	124 से 125	1.51
4.	डि०क०(क०नि०)-2, वा०क०, गोण्डा	1	2005-06 (मार्च 2009)	112.19	121 से 122	11.22
5.	डि०क०(क०नि०)-2, वा०क०, गोण्डा	1	2006-07 (मार्च 2009)	201.47	26 से 52	20.15
6.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, सोनभद्र	1	2005-06 (मार्च 2009)	11.57	10	1.16
योग		6		385.93		38.59

परिशिष्ट-VIII

धारा 8डी (6) के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.2.3)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि (₹ लाख में)	बिलम्ब की अवधि (दिन में)	अधिकतम आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ लाख में)	आडिट परिपेक्ष - आरोपित अर्थदण्ड (₹ लाख में)
1.	अ०कमि० खण्ड-9 वा०क०, आगरा	1	2006-07 (दिसम्बर 2008)	1.97	31	3.94	
2.	वा०क० अ०, बस्ती	1	2003-04 (मार्च 2006)	0.66	24	1.32	1.32
3.	डि०क०(क०नि०)-3, वा०क०, एटा	1	2006-07 (मार्च 2009)	0.58	4 से 44	1.16	0.58
4.	डि०क०(क०नि०)-2, वा०क०, गौतम बुद्ध नगर	1	2006-07 (मार्च 2009)	8.75	8 से 38	17.50	
5.	अ०कमि० खण्ड-27 वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (जुलाई 2008)	1.20	25	2.40	
6.	वा०क०अ०-9, लखनऊ	1	2006-07 (मार्च 2009)	0.82	22	1.64	1.64
7.	डि०क०(क०नि०)-16, वा०क०, लखनऊ	1	2005-06 (फरवरी 2009)	7.74	5 से 80	15.48	
8.	अ०कमि० खण्ड-3 वा०क०, लखनऊ	1	2002-03 (मार्च 2005)	0.29	112	0.58	10.87
			2003-04 (फरवरी 2006)	0.62	48 से 51	1.24	
			2004-05 (मार्च 2007)	4.88	65 से 230	9.76	
9.	डि०क०(क०नि०)-9, वा०क०, मुरादाबाद	1	1997-98 (अगस्त 2008)	0.75	18	1.50	
10.	डि०क०(क०नि०)-2, वा०क०, रायबरेली	1	2006-07 (मार्च 2009)	0.60	17 से 244	1.20	
11.	अ०कमि० खण्ड-12 वा०क०, सहारनपुर	1	2005-06 (फरवरी 2009)	0.60	8	1.20	
12.	डि०क०(क०नि०)-17, वा०क०, वाराणसी	1	2006-07 (मार्च 2009)	0.92	30	1.84	
योग		12		30.38		60.76	14.41

परिशिष्ट-IX

धारा 10ए के अन्तर्गत अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं०-2.11.2.4)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि (₹ लाख में)	कर की दर	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर	आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ लाख में)
1.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, बरेली	1	2006-07 (मार्च 2009)	टाइल्स	33.28	16	24	7.99
2.	अ०कमि० खण्ड-1 वा०क०, बरेली	1	2006-07 (अगस्त 2008)	टाइल्स एवं ए. सी. उपकरण	4.40	16	24	1.06
3.	डि०क०(क०नि०)-1, वा०क०, गाजियाबाद	1	2006-07 (मार्च 2009)	केबल, कास्टिक सोडा फ्लास्क, मस्टर्ड आयल	64.66	10	15	9.70
4.	डि०क०(क०नि०)-9, वा०क०, कानपुर	1	2005-06 (फरवरी 2009)	हाइड्रोजन गैस	12.53	12	18	2.26
5.	अ०कमि० खण्ड-6 वा०क०, मेरठ	1	2003-04 (दिसम्बर 2005)	तारफेल्ट (20)	3.90	20	30	1.17
			2004-05 (मार्च 2007)	डब्लू०पी०एम० (20)	3.24	20	30	0.97
6.	अ०कमि० खण्ड-4 वा०क०, मुरादाबाद	1	2004-05 (जनवरी 2009)	मशीनरी एवं एल्युमिनियम	80.26	10	15	12.04
				आयरन शीट	2.77	8	12	0.33
				मोम	2.15	20	30	0.65
7.	डि०क०(क०नि०)-5, वा०क०, मुरादाबाद	1	2006-07 (फरवरी 2009)	टरपेनटाइन आयल एवं वार्निश	109.37	12	18	19.69
8.	अ०कमि० खण्ड-4 वा०क०, नोएडा	1	2004-05 (जनवरी 2007)	स्प्लिट एयर कंडीशनर	5.46	16	24	1.31
9.	डि०क०(क०नि०)-4, वा०क०, नोएडा	1	2001-02 (सितम्बर 2007)	चमड़ा	13.93	8	12	1.67
				बाक्स, पोलिथीन कवर	4.33	10	15	0.65
10.	डि०क०(क०नि०)-9, वा०क०, नोएडा	1	2006-07 (मार्च 2009)	केमिकल, हैंगर, पैटर्न पेपर एवं बकल्स	17.88	10	15	2.68
योग		10			358.16			62.17

परिशिष्ट-X

देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) के कम उठान के कारण आबकारी अधिकार की हानि

(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.8)

क्रम सं0	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा का माह	देशी मदिरा का कम उठान वाले अनुज्ञापियों की संख्या	उठाई गई मात्रा (ब0 ली0 में)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (ब0 ली0 में)	वर्ष	प्रति ब0ली0 अधिकार की दर (₹ में)	कम उठान की मात्रा (ब0 ली0 में)	वसूलनी अनुज्ञाप-शुल्क व घनराशि (₹ में)
1.	जिला आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद	मई 2009	29	7,57,911.30	7,93,314	2008-09	104	35,402.70	36,81.5
2.	जिला आबकारी अधिकारी, इटावा	मई 2009	30	5,19,991.96	5,51,617	2008-09	104	31,625.04	32,89.0
3.	जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद	जून 2009	08	5,06,789.71	5,14,750	2008-09	104	7,960.29	8,27.8
4.	जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर	जनवरी 2010	05	93,606.72	95,616	2008-09	104	2,009.28	2,08.9
5.	जिला आबकारी अधिकारी, झांसी	जनवरी 2010	10	53,323.00	62,420	2008-09	104	9,097.00	9,46.0
6.	जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा	जुलाई 2009	09	1,28,113.58	1,32,990	2008-09	104	4,876.42	5,07.1
7.	जिला आबकारी अधिकारी, मऊ	फरवरी 2010	01	9,321.43	10,356	2008-09	104	1,034.57	1,07.5
8.	जिला आबकारी अधिकारी, उरई	नवम्बर 2009	22	3,65,540.54	3,81,701	2008-09	104	16,160.46	16,80.4
9.	जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी	जनवरी 2010	14	3,56,902.39	3,74,919	2008-09	104	18,016.61	18,75.1
योग			128	27,91,500.63	29,17,683			126,182.37	1,31,22.9

परिशिष्ट-XI

टोटल रिडियूसिंग शुगर (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति
(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 3.10)

आसवनी का नाम	सम्बन्धित माह व वर्ष	पासों की संख्या	प्राप्त शीरा (कुन्तल में)	टी0आर0एस0 का विवरण (प्रतिशत में)			मार्गस्थ हानि में टी0आर0 एस0 की मात्रा (कुन्तल में)	मार्गस्थ हानि में एफ0एस0 की मात्रा (टी0आर0एस0 का 88 प्रतिशत) (कुन्तल में)	उत्पादित की जा सकने वाली अल्कोहल की मात्रा (एफ0एस0 के प्रति कु0 से 52.5 ए0एल0) (ए0एल0में)	आबकारी अभिकर की दर प्रति ब0 ली0 (42.8 वी0/वी0 तीव्रता के सन्दर्भ में) (₹ में)	सन्निहित अभिकर (₹ में)
				प्रेषित	प्राप्त	अन्तर					
सिम्भावली, गाजियाबाद	जनवरी 2009	24	6,324.35	47.00	46.20	0.80	50.59	44.52	2,337.30		
		03	4,500.00	47.39	47.00	0.39	17.55	15.44	810.60		
		07	9,100.00	47.39	46.10	1.29	117.39	103.30	5,423.25		
		94	20,758.90	46.00	45.00	1.00	207.59	182.68	9,590.70		
		योग	40,683.25				393.12	345.94	18,161.85	170	72,13,819
बजाज हिन्दुस्तान लि0, गागिनौली, सहारनपुर	अप्रैल 2008	07	2,648.50	44.50	44.26	0.24	6.36	5.60	294.00		
		38	17,681.00	44.59	44.26	0.33	58.35	51.35	2,695.88		
		योग	20,329.50				64.71	56.95	2,989.88	170	11,87,569
सहकारी चीनी मिल आसवनी, अनूपशहर, बुलन्दशहर	मार्च 2008	10	1,792.40	46.50	45.05	1.45	25.99	22.87	1,200.68		
		05	1,227.20	49.00	47.50	1.50	18.41	16.20	850.50		
		योग	3,019.60				44.40	39.07	2,051.18	162	7,76,381
	अप्रैल 2008	20	4,060.00	49.00	47.50	1.50	60.90	53.59	2,813.48		
		37	7,349.45	48.50	47.50	1.00	73.49	64.67	3,395.18		
		योग	11,409.45				134.39	118.26	6,208.66	170	24,66,057
नारंग आसवनी, गोण्डा	अगस्त 2008	29	3,878.00	50.50	46.80	3.70	143.49	126.27	6,629.18		
		40	8,526.65	45.95	44.50	1.45	123.64	108.80	5,712.00		
		10	1,814.30	48.00	46.00	2.00	36.29	31.94	1,676.85		
	सितम्बर 2008	54	10,023.10	48.00	46.00	2.00	200.46	176.40	9,261.00		
		योग	24,242.05				503.88	443.41	23,279.03	170	92,46,344
के0एम0 शुगर मिल्स, आसवनी, फेजाबाद	सितम्बर 2007	101	21,086.80	44.30	44.10	0.20	42.17	37.11	1,948.28		
		योग	21,086.80				42.17	37.11	1,948.28	48 प्रति ए0एल0	93,517
	दिसम्बर 2007	333	68,815.60	44.30	44.00	0.30	206.45	181.68	9,538.20		

क्रम सं०	आसवनी का नाम	सम्बन्धित माह व वर्ष	पासों की संख्या	प्राप्त शीरा (कुन्तल में)	टी०आर०एस० का विवरण (प्रतिशत में)			मार्गस्थ हानि में टी०आर० एस० की मात्रा (कुन्तल में)	मार्गस्थ हानि में एफ०एस० की मात्रा (टी०आर०एस० का 88 प्रतिशत) (कुन्तल में)	उत्पादित की जा सकने वाली अल्कोहल की मात्रा (एफ०एस० के प्रति कु० से 52.5 ए०एल०) (ए०एल०में)	आबकारी अभिकर की दर प्रति ब० ली० (42.8 वी०/ वी० तीव्रता के सन्दर्भ में) (₹ में)	सन्निहित अभिकर (₹ में)
					प्रेषित	प्राप्त	अन्तर					
		जनवरी 2008	98	19,194.00	44.30	44.10	0.20	38.39	33.78	1,773.45		
		योग		88,009.60				244.84	215.46	11,311.65	162	42,81,512
		अप्रैल से अक्टूबर 2008	229	45,695.00	44.30	44.10	0.20	91.39	80.42	4,222.05		
		योग		45,695.00				91.39	80.42	4,222.05	170	16,76,987
6.	सर शादी लाल आसवनी, मुजफ्फर नगर	नवम्बर 2009	29	6,675.60	45.22	45.00	0.22	14.69	12.93	678.83		
			51	10,856.80	44.80	44.50	0.30	32.57	28.66	1,504.65		
			6	1,859.50	45.20	45.00	0.20	3.72	3.27	171.68		
			6	1,896.00	45.00	44.00	1.00	18.96	16.68	875.70		
			19	5,553.00	45.00	44.80	0.20	11.11	9.78	513.45		
			59	13,987.90	44.44	44.20	0.24	33.57	29.54	1,550.85		
			7	1,508.60	45.18	45.00	0.18	2.72	2.39	125.48		
		योग		42,337.40				117.34	103.25	5,420.64	180	22,79,704
महायोग				2,96,812.65				1,636.24	1,439.87	75,593.22		2,92,21,883

परिशिष्ट-XII

देयों/बकायों की वसूली किये बिना वसूली प्रमाण-पत्रों का वापस किया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.8.2)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	धनराशि (₹ में)	बकाये की अवधि	वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलम्ब (वसूली प्रमाण-पत्र जिस वर्ष से सम्बन्धित है उसके एक वर्ष बाद)
1.	स०प०अ० आगरा	14	5,75,748	2004-05 से 2008-09	3 वर्ष तक
2.	स०प०अ० आजमगढ़	13	6,68,940	2004-05 से 2007-08	2 वर्ष तक
3.	स०प०अ० फैजाबाद	99	1,34,81,037	1983-84 से 2007-08	20 वर्ष तक
4.	स०प०अ० मेरठ	453	93,85,582	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	स०प०अ० सहारनपुर	44	21,24,135	2003-04 से 2006-07	2 वर्ष तक
6.	स०प०अ० वाराणसी	33	16,82,838	1992-93 से 2006-07	10 वर्ष तक
7.	स०स०प०अ० बाराबंकी	10	2,23,263	2004-05 से 2006-07	3 वर्ष तक
8.	स०स०प०अ० बिजनौर	131	19,01,720	1997-98 से 2008-09	10 वर्ष तक
9.	स०स०प०अ० बदायूँ	130	50,15,134	1995-96 से 2008-09	7 वर्ष तक
10.	स०स०प०अ० इटावा	3	7,05,500	2002-03 से 2004-05	2 वर्ष तक
11.	स०स०प०अ० फतेहपुर	20	3,11,362	2004-05 से 2008-09	4 वर्ष तक
12.	स०स०प०अ० हरदोई	6	11,78,351	2004-05 से 2007-08	2 वर्ष तक
13.	स०स०प०अ० हाथरस	3	1,40,616	2001-02 से 2005-06	3 वर्ष तक
14.	स०स०प०अ० कानपुर देहात	4	1,33,500	2003-04 से 2006-07	2 वर्ष तक
15.	स०स०प०अ० मथुरा	29	44,97,979	2004-05 से 2006-07	1 वर्ष तक
16.	स०स०प०अ० सुल्तानपुर	13	2,48,652	1992-93 से 2003-04	9 वर्ष तक
	योग	1,005	4,22,74,357		

परिशिष्ट-XIII

स्टेज कैरिज पर अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.15.1)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	जिले का नाम	वाहनों की सं०	आरोपणीय अतिरिक्त कर	आरोपित अतिरिक्त कर	कम वसूल अतिरिक्त कर
1.	स०प०अ० आगरा	32	51,32,449	38,02,743	13,29,706
2.	स०प०अ० बरेली	130	1,23,74,432	71,89,647	51,84,785
3.	स०प०अ० गोरखपुर	25	62,03,856	44,39,100	17,64,756
4.	स०प०अ० झाँसी	6	10,77,868	5,13,205	5,64,663
5.	स०प०अ० कानपुर नगर	146	3,16,88,354	1,87,17,735	1,29,70,619
6.	स०प०अ० लखनऊ	53	92,70,070	33,20,989	59,49,081
7.	स०प०अ० मेरठ	86	1,86,03,324	79,11,045	1,06,92,279
8.	स०प०अ० मुरादाबाद	31	49,51,692	22,32,000	27,19,692
9.	स०प०अ० वाराणसी	92	5,46,70,052	3,50,27,021	1,96,43,031
10.	स०स०प०अ० बलरामपुर	27	20,66,484	11,64,672	9,01,812
11.	स०स०प०अ० बाराबंकी	15	33,84,000	23,04,000	10,80,000
12.	स०स०प०अ० बस्ती	5	9,48,021	6,50,504	2,97,517
13.	स०स०प०अ० बदायूँ	33	1,02,67,003	73,40,510	29,26,493
14.	स०स०प०अ० चन्दौली	6	36,90,240	14,43,840	22,46,400
15.	स०स०प०अ० जौनपुर	14	16,68,892	12,29,955	4,38,937
16.	स०स०प०अ० मथुरा	42	1,85,45,504	1,34,28,260	51,17,244
17.	स०स०प०अ० रायबरेली	5	7,39,137	6,03,641	1,35,496
	योग	748	18,52,81,378	11,13,18,867	7,39,62,511

परिशिष्ट-XIV

स्टेज कैरिज पर अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.15.2)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की सं०	धनराशि (₹ में)
1.	स०प०अ० मुरादाबाद	110	84,97,688
2.	स०स०प०अ० इटावा	18	7,96,620
3.	स०स०प०अ० हरदोई	7	1,71,840
4.	स०स०प०अ० मथुरा	23	3,29,728
5.	स०स०प०अ० उन्नाव	85	33,89,378
	योग	243	1,31,85,254

परिशिष्ट-XV

वाहन के लदान भार पर कर का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.16)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की सं०	धनराशि (₹ में)
1.	स०प०अ० इलाहाबाद	219	16,47,450
2.	स०प०अ० आजमगढ़	101	3,73,005
3.	स०प०अ० बरेली	835	6,17,805
4.	स०प०अ० फैजाबाद	199	23,34,825
5.	स०प०अ० गाजियाबाद	180	2,59,200
6.	स०प०अ० गोरखपुर	179	10,49,355
7.	स०प०अ० झाँसी	3,820	54,63,855
8.	स०प०अ० मेरठ	198	15,99,075
9.	स०प०अ० मिर्जापुर	51	4,39,200
10.	स०प०अ० वाराणसी	1,954	58,63,545
11.	स०स०प०अ० बस्ती	280	6,73,965
12.	स०स०प०अ० बदायूँ	97	20,700
13.	स०स०प०अ० फर्रुखाबाद	68	1,41,120
14.	स०स०प०अ० हरदोई	34	3,58,560
15.	स०स०प०अ० जौनपुर	68	2,68,335
16.	स०स०प०अ० प्रतापगढ़	132	7,00,740
	योग	8,415	2,18,10,735
	शास्ति की धनराशि (25%)		54,52,684

परिशिष्ट-XVI

स्वस्थता प्रमाण-पत्र के बिना संचालित वाहनों के कारण राजस्व क्षति
(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.17)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की सं०	शुल्क (₹ में)	शास्ति (₹ में)
1.	स०प०अ० आगरा	412	4,82,500	10,30,000
2.	स०प०अ० आजमगढ़	209	1,04,500	5,22,500
3.	स०प०अ० बरेली	3,799	48,48,500	94,97,500
4.	स०प०अ० फैजाबाद	795	8,69,100	19,87,500
5.	स०प०अ० गाजियाबाद	714	5,89,000	17,85,000
6.	स०प०अ० गोरखपुर	47	23,500	1,17,500
7.	स०प०अ० झाँसी	1,319	10,03,100	32,97,500
8.	स०प०अ० लखनऊ	2,487	24,26,600	62,17,500
9.	स०प०अ० मुरादाबाद	142	84,500	3,55,000
10.	स०प०अ० सहारनपुर	54	37,500	1,35,000
11.	स०प०अ० वाराणसी	10,598	1,65,12,500	2,64,95,000
12.	स०स०प०अ० बाराबंकी	573	6,92,500	14,32,500
13.	स०स०प०अ० बिजनौर	667	6,46,100	16,67,500
14.	स०स०प०अ० हरदोई	171	85,500	4,27,500
15.	स०स०प०अ० मथुरा	72	36,000	1,80,000
16.	स०स०प०अ० रायबरेली	733	7,77,900	18,32,500
17.	स०स०प०अ० उन्नाव	307	2,90,000	7,67,500
	योग	23,099	2,95,09,300	5,77,47,500
			कुल योग	8,72,56,800

परिशिष्ट-XVII

नये पंजीयन चिन्ह का आवेदन न किया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.18)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की सं०	घनराशि (₹ में)
1.	स०प०अ० इलाहाबाद	124	68,800
2.	स०प०अ० आजमगढ़	2	900
3.	स०प०अ० बरेली	1,659	9,55,500
4.	स०प०अ० फैजाबाद	96	51,300
5.	स०प०अ० झाँसी	51	30,600
6.	स०प०अ० मेरठ	293	1,55,200
7.	स०प०अ० मिर्जापुर	125	68,200
8.	स०प०अ० वाराणसी	35	20,800
9.	स०स०प०अ० औरैया	32	16,000
10.	स०स०प०अ० बागपत	130	75,200
11.	स०स०प०अ० बाराबंकी	83	33,240
12.	स०स०प०अ० बिजनौर	166	91,660
13.	स०स०प०अ० चन्दौली	105	60,100
14.	स०स०प०अ० इटावा	24	14,400
15.	स०स०प०अ० जी०बी० नगर (नोएडा)	554	1,32,500
16.	स०स०प०अ० हाथरस	66	39,600
17.	स०स०प०अ० जौनपुर	51	30,600
18.	स०स०प०अ० कानपुर देहात	52	30,600
19.	स०स०प०अ० मथुरा	108	64,800
20.	स०स०प०अ० मऊ	63	37,800
21.	स०स०प०अ० मुरादाबाद	345	2,07,000
22.	स०स०प०अ० रायबरेली	128	31,260
	योग	4,292	22,16,060

परिशिष्ट-XVIII

अग्रेषण/यात्रा अभिकर्ताओं के पंजीयन का नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.19)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	अभिकरणों की सं०	प्रतिभूति जमा	शुल्क	कुल धनराशि
1.	स०प०अ० बरेली	5	50,000	8,000	58,000
2.	स०प०अ० फैजाबाद	38	3,80,000	40,000	4,20,000
3.	स०प०अ० गोरखपुर	7	70,000	7,000	77,000
4.	स०प०अ० कानपुर नगर	82	8,20,000	82,000	9,02,000
	योग	132	13,20,000	1,37,000	14,57,000

परिशिष्ट-XIX

जब्त वाहनों की नीलामी न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.21)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वाहनों की सं०	धनराशि (₹ में)
1.	स०प०अ० आगरा	6	54,246
2.	स०प०अ० आजमगढ़	12	3,31,114
3.	स०प०अ० मिर्जापुर	24	2,09,354
4.	स०प०अ० मुरादाबाद	5	4,08,412
5.	स०स०प०अ० बाराबंकी	10	5,23,102
6.	स०स०प०अ० बिजनौर	11	7,41,012
7.	स०स०प०अ० जौनपुर	16	3,96,800
8.	स०स०प०अ० मथुरा	3	7,30,582
9.	स०स०प०अ० सुल्तानपुर	5	1,34,546
	योग	92	35,29,168

परिशिष्ट-XX

मानवशक्ति प्रबन्धन

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.23)

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की सं०	नियोजित व्यक्तियों की सं०	स्वीकृत पदों के सापेक्ष कमी	अधिक नियोजन
1.	स०प०अ० लखनऊ	62	106	0	44
2.	स०प०अ०मेरठ	67	79	0	12
3.	स०प०अ० मिर्जापुर	40	49	0	9
4.	स०स०प०अ० सुल्तानपुर	25	26	0	1
5.	स०प०अ० झॉसी	89	63	26	0
6.	स०स०प०अ० औरैया	14	5	9	0
7.	स०स०प०अ० बदायूँ	17	11	6	0
8.	स०स०प०अ० मऊ	18	14	4	0
	योग	332	353	45	66

परिशिष्ट-XXI

कम/अधिक कर्मचारी वाले परिवहन कार्यालयों की राजस्व प्राप्तियाँ

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	जिला	राजस्व प्राप्तियाँ				राजस्व प्राप्तियों में पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
	कार्यालय जिनमें कम कर्मचारी हैं:							
1.	झॉसी	15.74	17.31	19.03	24.56	9.97	9.94	29.06
1	औरैया	3.64	4.21	4.52	5.27	15.66	7.36	16.59
2	बदायूँ	5.97	6.78	7.47	8.78	13.57	10.18	17.54
2.	मऊ	4.68	5.16	5.55	7.46	10.26	7.56	34.41
	कार्यालय जिनमें अधिक कर्मचारी हैं:							
1.	लखनऊ	313.33	372.75	407.61	450.33	18.96	9.35	10.48
1	मेरठ	28.04	28.97	32.70	40.78	3.32	12.88	24.71
2	मिर्जापुर	11.56	12.50	13.90	17.10	8.13	11.20	23.02
2.	सुल्तानपुर	8.11	8.70	9.77	13.13	7.27	12.30	34.39

परिशिष्ट-XXII

चालान किये गये मामलों को न्यायालय में न भेजा जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 4.5.24)

क्रम सं०	इकाई का नाम	मामलों की सं०	धनराशि (₹ में)
1.	स०प०अ० बरेली	27	1,98,950
2.	स०प०अ० मिर्जापुर	63	29,000
3.	स०स०प०अ० औरैया	31	3,42,350
4.	स०स०प०अ० बाराबंकी	141	12,90,200
5.	स०स०प०अ० मुजफ्फरनगर	20	1,91,700
	योग	282	20,52,200

परिशिष्ट-XXIII

गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर सं० 5.8)

(₹ लाख में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	खण्ड सं० लेखपत्र सं०	पंजीयन का माह लेखा परीक्षा का माह	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	सम्पत्ति का मूल्यांकन		स्टाम्प शुल्क		कम आरोपित स्टाम्प शुल्क
					लेखपत्र के अनुसार	बजार दर के अनुसार	आरोपणीय	आरोपित	
(अ) अकृषि भूमि का पंजीयन कृषि भूमि की दर से									
1.	उप-निबन्धक, जेवर, गौतम बुध नगर	356 806	मार्च 2008 जून 2008	13,373.00	53.50	106.99	8.56	4.32	4.24
2.	उप-निबन्धक, खागा, फतेहपुर	1613 1807	अप्रैल 2008 जनवरी 2009	1,566.67	6.24	34.47	2.36	0.38	1.98
3.	उप-निबन्धक, एटा	5590 5976	जुलाई 2008 नवम्बर 2008	3,284.00	4.93	52.55	3.68	0.35	3.33
4.	उप-निबन्धक-II अलीगढ़	2822 7115	अगस्त 2008 अक्टूबर 2008	3,328.00	6.50	29.96	2.10	0.46	1.64
5.	उप-निबन्धक, मडिहान, मिर्जापुर	495 1486	अगस्त 2008 जून 2009	17,870.00	5.61	114.02	7.98	0.42	7.56
6.	उप-निबन्धक-V, आगरा	2294 1218	जून 2009 जून 2009	10,000.00	30.00	150.00	7.50	1.50	6.00
7.	उप-निबन्धक, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	2437 1353	अप्रैल 2008 अक्टूबर 2009	10,000.00	18.00	165.00	16.50	1.80	14.70
योग (अ)					124.78	652.99	48.68	9.23	39.45
(ब) आवासीय भूमि का पंजीयन औद्योगिक भूमि की दर से									
8.	उप-निबन्धक, चोंदपुर, बिजनौर	4006 4647	मई 2008 फरवरी 2009	18,990.00	33.12	81.22	6.50	2.65	3.85
योग (ब)					33.12	81.22	6.50	2.65	3.85
(स) सड़क किनारे की भूमि का पंजीयन सड़क से दूर की दर से									
9.	उप-निबन्धक-III, लखनऊ	5895 2523	अप्रैल 2007 मार्च 2008	743.11	11.52	96.61	9.46	0.95	8.51
10.	उप-निबन्धक, बागपत	3325 4200	अगस्त 2007 अगस्त 2008	16,981.25	166.00	267.77	21.42	13.28	8.14
योग (स)					177.52	364.38	30.88	14.23	16.65
महायोग (अ+ब+स)					335.42	1098.59	86.06	26.11	59.95

टिप्पणी :

- क्रम सं० 1 और 5—क्रमशः फैशन व्यवसाय से जुड़ी संस्था एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा भूमि क्रय की गई।
 क्रम सं० 2—दो भिन्न क्रेताओं द्वारा समान अंश में क्रय की गई भूमि का छोटा टुकड़ा जिसकी चौहद्दी में दो तरफ आवासीय भवन हैं।
 क्रम सं० 3 एवं 4—क्रय किये गये भूमि के भाग को पहले आवासीय दर से मूल्यांकित किया जा चुका है।
 क्रम सं० 6—डिग्री कालेज की स्थापना के लिए भूमि का क्रय।
 क्रम सं० 7—लेखपत्र में क्रय की गयी भूमि की प्रकृति व्यावसायिक अंकित थी न कि कृषि।
 क्रम सं० 8—भूमि को अकृषि घोषित किया जा चुका है तथा व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया है। भूमि के एक भाग पर कमरे निर्मित हैं।
 क्रम सं० 9 एवं 10—क्रय किये गये भूमि के भाग को पूर्व में सड़क किनारे की दर से मूल्यांकित किया जा चुका है।

